शुक्रवार,
१४ मई, १९५४

सत्यमेव जयते

# संसदीय वाद विवाद

1st

## लोक सभा

छठा सत्र

## शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

# लोक सभा

## विषय-सूची

**अंक ३—२४ अप्रैल से २१ मई १९५४**


| | पृष्ठ भाग |
|---|---|
| **बुधवार, २८ अप्रैल, १९५४** | |
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर | २८८३–२९२४ |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | २९२४–२९२८ |
| **बृहस्पतिवार, २९ अप्रैल, १९५४** | |
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर | २९२९–२९६६ |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | २९६६–२९७२ |
| **शुक्रवार, ३० अप्रैल, १९५४** | |
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर | २९७३–३०१८ |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | ३०१८–३०२४ |
| **सोमवार, ३ मई, १९५४** | |
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर | ३०२५–३०६४ |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | ३०६४–३०६८ |
| **मंगलवार, ४ मई, १९५४** | |
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर | ३०६९–३११५ |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | ३११५–३१२२ |
| **बुधवार, ५ मई, १९५४** | |
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर | ३१२३–३१७३ |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | ३१७३–३१८२ |
| **बृहस्पतिवार, ६ मई, १९५४** | |
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर | ३१८३–३२१९ |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | ३२१९–३२२२ |
| **शुक्रवार, ७ मई, १९५४** | |
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर | ३२२३–३२६८ |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | ३२६८–३२८० |
| **सोमवार, १० मई, १९५४** | |
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर | ३२८१–३३२३ |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | ३३२४–३३४० |
| **मंगलवार, ११ मई, १९५४** | |
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर | ३३४१–३३८६ |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | ३३८६–३३९८ |

पृष्ठ भाग

**बुधवार, १२ मई, १९५४**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३३९९–३४४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३४४६–३४७०

**बृहस्पतिवार, १३ मई, १९५४**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३४७१–३५१७

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३५१७–३५४२

**शुक्रवार, १४ मई, १९५४**

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ३५४३

प्रश्नों के मौखिक उत्तर–

तारांकित प्रश्न संख्या २४९१ से २४९५, २४९७ से २५०८, २५१० से २५११ और २५१३ से २५२१ ३५४३–३५९२

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १३ ३५९२–३५९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर–

तारांकित प्रश्न संख्या २४९६ से २५१२ और २५२२ से २५२६ ३५९७–३६०१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५७७ से ५८९, ५९१ और ५९२ ३६०१–३६१०

**बुधवार, १९ मई, १९५४**

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण ३६११

प्रश्नों के मौखिक उत्तर–

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १४ ३६११–३६१४

**शुक्रवार, २१ मई, १९५४**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर–

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १५ से १७ ३६१५–३६२४

## लोक सभा

शुक्रवार, १४ मई, १९५४

---

**लोकसभा सवा आठ बजे समवेत हुई**

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

### सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

**श्री शिव नारायण टंडन** (जिला कानपुर-मध्य)

---

### प्रश्नो के मौखिक उत्तर

**हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड**

*२४९१. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे :

(क) हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर में सन् १९५३ में रेलवे के यात्री डब्बों का मासिक उत्पादन कितना था; तथा

(ख) क्या इसी अवधि में बसों के ढांचे भी तैयार किये गये थे ?

**रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या १४**]

(ख) हां श्रीमान्, १२५ एक मंजली तथा ४० दो मंजली बसों के ढांचों के किट भी इसी अवधि में बनाए गए थे ।

**सरदार हुक्म सिंह** : क्या इस फ़ैक्टरी की रेल डिब्बों के बनाने की अधिकतम सामर्थ्य यही है जिसके अनुसार पिछले दो वर्षों से यह डिब्बे बनाए जा रहे हैं, अथवा कुछ सामर्थ्य और भी है जिसे प्रयोग में लाया जा सकता है ।

**सरदार मजीठिया** : यह सामर्थ्य अधिकतम नहीं है । हम प्रति मास १५ यात्री डब्बे तैयार कर सकते है, परन्तु मख्य अड़चन डिब्बों के नीचे के ढांचों (फ्रेम) को प्राप्त करने में है ।

**सरदार हुक्म सिंह** : क्या इस फैक्टरी में केवल सरकारी प्रयोजनों से ही बसों के ढांचे तैयार किए जाते ह अथवा क्या गैर सरकारी काम भी यहां किया जाता है ?

**सरदार मजीठिया** : जहां तक बसों के ढांचो का सवाल है, हमने यह बी० ई० एस० टी० बम्बई, पूर्वी पंजाब गवर्नमेंट ट्रान्सपोर्ट, यू० पी० गवनमेंट ट्रान्सपोर्ट, मद्रास गवर्नमेन्ट ट्रान्सपोर्ट, दि एयर फ्लो ट्रान्सपोर्ट (इन्डिया) लिमिटेड, बंगलौर को दिए हैं।

**श्री के० सुब्रह्मण्यम् :** सरकार का एक यात्री डिब्बे के बनाने में औसत व्यय कितना होता है ।

**सरदार मजीठिया :** मैं केवल अनुमानित आंकड़े ही बता सकता हूं क्योंकि इस समय हम प्रति डिब्बा ९५,००० रुपए प्राप्त कर रहे हैं अन्तिम आंकड़े इसी आंकड़े के लगभग होंगे जिस का समायोजन बाद में किया जायगा ।

### पाकिस्तान द्वारा देय ऋण

*२४९२. **श्री दाभी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पाकिस्तान द्वारा देय ऋण की लगभग राशि कितनी है ;

(ख) इस ऋण के चुकाए जाने को शर्तें क्या हैं; तथा ।

(ग) पाकिस्तान ने अभी तक इस ऋण में से कितना ऋण चुका दिया है ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमख) :** (क) से (ग) . विभाजन के सम्बन्ध में पाकिस्तान को जो ऋण भारत का देना है, उसकी ठीक ठीक राशि अभी निर्धारित नहीं की गई है। यह ऋण १५ अगस्त, १९५२ से मूल तथा ब्याज की ५० बराबर किस्तों में चुकाया जायगा। पाकिस्तान सरकार ने अभी तक कोई भुगतान नहीं किया है जैसा कि मैंने २७ फरवरी, १९५४ को अपने आय व्ययक भाषण में तथा २२ और २३ मार्च, १९५४ को सामान्य चर्चा का उत्तर देते समय कहा था, मैं दोनों देशों के बीच अभी तक लम्बमान इस मामले तथा दूसरे वित्तीय मामलों के बारे में अवसर मिलने पर पाकिस्तान के वित्त मन्त्री से समझौते की वार्ता को जो पहले होती रही है, फिर से आरम्भ करने का विचार कर रहा हूं ।

**श्री दाभी :** चालू वर्ष में माननीय मन्त्री को पाकिस्तान से कितनी राशि के मिलने का पक्का निश्चय है ?

**श्री सी० डी० देशमख :** मुझे किसी बात का निश्चय नहीं है । मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं .. .. .. ..

**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न नहीं उठता है।

**श्री दाभी :** पाकिस्तान द्वारा स ऋण अथवा इसके किसी भाग के भुगतान करने से इन्कार किये जाने की अवस्था में सरकार क्या उपाय करने का विचार कर रही है ?

**अध्यक्ष महोदय :** यह एक कल्पनात्मक प्रश्न है ।

**श्री भागवत झा आजाद :** क्या पाकिस्तान सरकार ने इन किस्तों का भुगतान न करने के कोई कारण बताये हैं ? क्या सरकार को पाकिस्तान सरकार से ऐसी कोई सूचना मिली है कि यह ऋण की किस्तें क्यों नहीं दी गई हैं ?

**श्री सी० डी० देशमुख :** दोनों देशों में लम्बमान कई वित्तीय मामलों में से यह भी एक मामला है, तथा सम्भव है कि पाकिस्तान का विचार यह हो कि दूसरे मामलों के निपटाये जाने तक इस ऋण सम्बन्धी कोई किस्तें न दी जायें ।

**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह :** क्या हम ऋण की इस राशि को जान सकते हैं ?

**श्री सी० डी० देशमुख :** लगभग राशि का बतलाना वांछनीय नहीं होगा । इतना कहा जा सकता है कि ऋण की किस्त को

अस्थायी रूप से ९ करोड़ रुपये निश्चित किया गया है त ा स्वयं पाकिस्तान ने अपनी रुपया मुद्रा में इस राशि को पांच करोड़ रुपये निश्चित किया है। इससे दोनों देशों के प्राक्कलनों के अन्तर का कुछ पता चलता है।

**डा० राम सुभग सिंह :** क्या १९५२ की देय किस्त के न दिये जाने के बाद भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान से उस देश के हित में कुछ सौदे किये गये थे ?

**श्री सी० डी० देशमुख :** यह भी एक बहुत ही विस्तृत प्रकार का प्रश्न है। पाकिस्तान ने रिज़र्व बैंक आफ़ इन्डिया में रुपया मुद्रा में अपना कुछ लेखा रखा हुआ है।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि क्या कोई और वाग्बद्धतायें या सौदे किये गये हैं ?

**श्री सी० डी० देशमुख :** वाग्बद्धतायें तथा सौदा एक ही बात नहीं हैं। सौदे का अर्थ यह है कि रिज़र्व बैंक के पाकिस्तान के खाते में से रुपये को निकाल लिया जाय। उस ने ऐसा कई एक उन व्यापारिक समझौतों के फलस्वरूप किया है जो हमने उससे किये थे। इसके अतिरिक्त वित्तीय प्रकार का कोई सौदा या वाग्बद्धता नहीं की गई है।

### गैर-सरकारी नौकरियां लेने के लिए त्यागपत्र देने वाले अधिकारी

***२४९३. पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उन आई० सी० एस०, आई० पी० तथा आई० ए० एस० अधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्होंने पिछले दो वर्षों में त्यागपत्र देकर गैर सरकारी व्यापारिक सार्थों में नौकरी कर ली हैं; तथा

(ख) ऐसे उन अधिकारियों की संख्या जिन्होंने सेवानिवृत्त होने के पश्चात् व्यापारिक सार्थों में नौकरी कर ली है

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** (क) पिछले दो वर्षों में आई० सी० एस० अथवा आई० पी० के किसी अधिकारी ने त्यागपत्र नहीं दिया है, परन्तु आई० ए० एस० के तीन तथा आई० पी० एस० के एक अधिकारी ने इस अवधि में त्यागपत्र दिया है। इनमें से एक सरकार की उसी सेवा पर फिर वापस आ गया है। शेष तीन अधिकारियों की वर्तमान सेवा के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) १९४८ में एक नियम लागू किया गया था जिसमें अधिकारियों को सेवानिवृत्ति होने के दो वर्ष के अन्दर वाणिज्यिक व्यवसायों में सेवा करने के लिये अनुज्ञा मांगना आवश्यक किया गया था। तब से यह अनुज्ञा आई० सी० एस०/आई० ए० एस०/आई० पी०/आई० पी० एस० सेवाओं के २६ अधिकारियों को दी गई है।

**पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या आज से दो वर्ष पहले एक आई० सी० एस० अधिकारी टाटा, जमशेदपुर में सेवा युक्त हो गया था ? क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई सूचना है या नहीं ?

**श्री दातार :** पिछले दो वर्षों में किसी आई० सी० एस० या आई० पी० अधिकारी ने त्यागपत्र नहीं दिया है।

**पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या सरकार ऐसी किसी विधि के बनाने का विचार कर रही है जिससे किसी आई०

सी० एस० अथवा आई० पी० अधिकारी के लिये सेवानिवृत्ति से पहले किसी व्यापारिक व्यवसाय अथवा सार्थ में सेवा-युक्त होना प्रतिषिद्ध किया जाय ?

**श्री दातार :** नियमों के अनुसार यह अधिकारी सेवानिवृत्ति से पहले किसी व्यापारिक व्यवसाय में सेवायुक्त नहीं हो सकते हैं ।

श्री पुन्नूस : क्योंकि इन अधिकारियों को अपने पदाकाल में इन व्यापारिक व्यवसायों से वास्ता पड़ता है, मैं जान सकता हूं कि इन्हें विभिन्न सार्थों में गैरसरकारी नौकरी करने की अनुज्ञा देने का आधार क्या है ?

**श्री दातार :** जब छुट्टी के दौरान में अथवा सेवानिवृत्ति के बाद ऐसी किसी नौकरी की अनुज्ञा मांगी जाती है तो सरकार उस व्यवसाय पर, जिसमें कि वह अधिकारी विशेष जाना चाहता है विचार करती है तथा यह देखती है कि जिस पद पर वह पहले कार्य कर रहा था उस का इस से कोई सम्बन्ध है या नहीं ।

**कोचीन पत्तन में भारत विरोधी प्रचार**

*२४९४. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या गृह-कार्य मंत्री २६ नवम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३३५ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मद्रास सरकार द्वारा दी गई कोचीन पत्तन में इटैलियन धर्म प्रचारकों सम्बन्धी रिपोर्ट पर विचार कर लिया गया है; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचारकर रही है ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) :** (क) जी हां ।

(ख) यह फैसला किया गया था कि दो इटैलियन महन्तों के निवास सम्बन्धी परमिट की अवधि को न बढ़ाया जाय। तब से वह महन्त भारत से जा चुके हैं ।

**श्री एस० सी० सामन्त :** क्या किसी अन्य भाग में भी इस प्रकार की घटनायें हुई हैं ?

**श्री दातार :** अन्य भागों के सम्बन्ध म मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

**श्री पुन्नूस :** क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि चर्च के कुछ उच्चपदस्थ पादरियों के वक्तव्यों में इन आरोपों का खण्डन किया गया है और सदन में गृह मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्यों को ईसाई मत के हितों के विरुद्ध समझा गया है और यदि हां तो सरकार ने इस विषय में क्या किया है ?

**श्री दातार :** मैं प्रश्न समझ नहीं सका ।

**अध्यक्ष महोदय :** चर्च के कुछ उच्च-पदस्थ पादरियों ने कुछ आरोप लगाये हैं और उन में से एक ने यह वक्तव्य दिया है कि माननीय गृह मंत्री ने इस सदन में जो कुछ कहा था वह ठीक नहीं है । क्या यह ठीक है ?

**श्री पुन्नूस :** चर्च के कुछ उच्चपदस्थ पादरियों ने माननीय गृह मंत्री द्वारा ईसाई धर्म प्रचारकों की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्यों को ईसाई मत के हितों के विरुद्ध समझा है ।

**श्री दातार :** हमें इन ईसाई धर्म-प्रचारकों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए

हैं और समाचारपत्रों में भी कुछ टिप्पणियां प्रकाशित हुई थीं और मैं समझता हूं कि सरकार इन पर विचार कर रही है।

**डा० राम सुभग सिंह :** माननीय सदस्य, श्री पुन्नूस ने जिन उच्चपदस्थ पादरियों का उल्लेख किया है उन में से कितनों को विदेशियों से वेतन मिलता है ?

**श्री दातार :** यह पता लगाना कठिन है कि कितनों को विदेशियों से वेतन मिलता है।

### विदेशी राज्यों से खिताब स्वीकार करना

*२४९५. **श्री एस० एन० दास :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) संविधान के लागू होने के पश्चात् कितने ऐसे व्यक्तियों ने जो भारत के नागरिक नहीं हैं किन्तु राज्य के अन्तर्गत किसी लाभ या विश्वास पद पर आरूढ़ हैं, किसी विदेशी राज्य से कोई खिताब लेने के लिये राष्ट्रपति की स्वीकृति मांगी; और

(ख) उनमें से कितनों को ऐसा करने की अनुमति दे दी गई और उन्होंने किस प्रकार के खिताब लिये ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) :** (क) तथा (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायगी।

**श्री एस० एन० दास :** सरकार ने एसे कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया जिनके पास पहले ही किसी विदेशी सरकार के खिताब थे ?

**श्री दातार :** इसका पता लगाना कठिन है; यदि माननीय सदस्य की इच्छा हो, तो मैं पता लगा दूंगा कि क्या कोई खिताबधारी व्यक्ति सरकार के अधीन काम कर रहा है।

**श्री एस० एन० दास :** क्या संविधान के उपबन्धों के उल्लंघन के कोई मामले सरकार के ध्यान में लाये गये थे और यदि हां, तो उन की संख्या कितनी थी ?

**श्री दातार :** यह प्रश्न उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में है जो भारत के नागरिक नहीं हैं और इसलिये जहां तक उन के द्वारा अन्य सरकारों से खिताब स्वीकार करने का सम्बन्ध है उन पर हमारा संविधान लागू नहीं होता। यह तो प्रथाओं के अनुसार होता है और प्रथा यह है कि कोई खिताब लेने से पहले वे सरकार से अनुमति मांग लेते हैं।

**श्री रघरामय्या :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस देश के नागरिकों को हमारे संविधान के अनुच्छेद १८(२) द्वारा कोई खिताब लेने का निषेध है मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की यह नीति नहीं है कि अनागरिकों को भी खिताब न लेने के लिये प्रेरित किया जाये ?

**श्री दातार :** यह तो परिस्थिति विशेष पर निर्भर करता है। उन पर हमारे नियम लागू नहीं होते और वे यहां केवल कुछ समय के लिये होते हैं।

**श्री पी० आर० नरसिंहन् :** भारतीय नागरिकों तथा अनागरिकों पर खिताब लेने के सम्बन्ध में जो संवैधानिक प्रतिबन्ध लगा हुआ है क्या उस के संभावित उल्लंघन के विरुद्ध कोई वैधानिक दण्ड उपलब्ध है ?

**श्री दातार :** जहां तक अनागरिकों का सम्बन्ध है, सम्भवतः उन्हें केवल यही दण्ड दिया जा सकता है कि यहां से चले जाने के लिये कह दिया जाये। जहां तक भारतीयों का सम्बन्ध है किसी भारतीय के विदेशी खिताब लेने का कोई मामला उठा ही नहीं। सभी मामलों में वे सरकार की अनुमति ले लेते हैं।

**तृतीय श्रेणी के क्लर्कों के वेतन**

*२४९७. **श्री संगण्णा :** क्या वित्त मंत्री १ अप्रैल, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उस के बाद केन्द्रीय सरकार के तृतीय श्रेणी के क्लर्कों के वेतन के सम्बन्ध में कोई निश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वह निश्चय क्या है

**वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) :** (क) तथा (ख). यह विषय अब भी विचाराधीन है।

**श्री संगण्णा :** सरकार के कोई निश्चय करने में क्या कठिनाइयां बाधक हैं ?

**श्री एम० सी० शाह :** कोई कठिनाई नहीं है। इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

**श्री संगण्णा :** किस तिथि तक इस विषय पर अन्तिम निश्चय होने की सम्भावना है ?

**श्री एम० सी० शाह :** इस विषय में शीघ्र ही निश्चय कर लिया जायेगा।

**कोयले की राख**

*२४९८. **श्री के० पी० सिन्हा :** (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय भवन-निर्माण गवेषणा संस्था में इस बात का पता लगाने के लिये गवेषणा की गई है कि क्या कोयले की राख का भवन-निर्माण के लिये प्रयोग किया जा सकता है ?

(ख) क्या संस्था ने यह भी पता लगाया है कि कंकड़ सीमेंट से बनाये गये भवनों में बांस का प्रयोग किया जा सकता है ?

**प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक वेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय):** (क) हां, श्रीमान्।

(क) इस संस्था में इस विषय में कोई प्रयोग नहीं किये गये हैं।

**श्री के० पी० सिन्हा :** क्या सरकार ने इन गवेषणाओं के परिणाम को क्रियात्मक रूप में परिणत किया है ?

**श्री के० डी० मालवीय :** जहां तक इन परिणामों को क्रियात्मक रुप देने का सम्बन्ध है, यह मंत्रालय इस विषय में कुछ कहने में सक्षम नहीं है। यह प्रश्न उत्पादन मंत्रालय से पूछा जा सकता है। मैं इतना और बता दूं कि हम ने इस विषय में जो सलाह दी है वह बहुत उपयोगी है और सम्भवतः इस सलाह के आधार पर सामान्यतया घरों के निर्माण में सुधार हो जायेगा।

**श्री सुरेश चन्द्र :** कंकड़ और सीमेंट के भवनों में बांस का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता ?

**श्री के० डी० मालवीय :** इस संस्था में बांस के सम्बन्ध में कोई प्रयोग नहीं

किये गये हैं यद्यपि जर्मनी, अमेरिका और इटली इत्यादि अन्य देशों में इस सम्बन्ध म कुछ कार्य किया जा रहा है । कठिनाई यह है कि कंकड़ और बांस का फैलाव और संकोच अलग अलग होने के कारण इन म कोई अच्छा और स्थायी मेल नहीं हो सकता । फिर भी इस बात का पता लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि क्या उन्हें एक साथ मिलाया जा सकता है । यदि हम बांस तथा कंकड़ इन दोनों को मिलाने में सफल हो गये, तो यह एक सफल चीज़ होगी ।

**त्रिपुरा के लिये कारागार संहिता**

*२४९९. **श्री बीरेन दत्त :** क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार की अपनी कोई कारागार संहिता है ;

(ख) यदि नहीं, तो सामान्यतया किस संहिता का अनुसरण किया जाता है ;

(ग) क्या बन्दियों को किसी संहिता के अन्तर्गत कोई छूट दी जाती है ;

(घ) क्या कोई ऐसी नियमावली है जिस में कारागार में निरुद्ध व्यक्तियों के विशेषाधिकार दिये हुए हों और इस समय उन के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है ; और

(ङ) क्या सरकार के पास त्रिपुरा में कारागार में तुरन्त सुधार के लिये कोई प्रस्ताव हैं ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) :** (क) जी नहीं ।

(ख) बंगाल कारागार संहिता को आवश्यक रूपभेदों के साथ त्रिपुरा में अपना लिया गया है ।

(ग) बंगाल कारागार संहिता के उपबन्धों के अनुसार छूट दी जाती ह ।

(घ) त्रिपुरा सरकार के निरुद्ध व्यक्तियों के लिये अपने नियम, अर्थात् "निरुद्ध (व्यक्ति) नियम, १९५२" हैं । उन में निम्न बातों के सम्बन्ध म निरोध की शर्तें दी हुई हैं : —

(१) स्थान ।

(२) वर्गीकरण ।

(३) भोजन ।

(४) कपड़ा ।

(५) फर्नीचर तथा बर्तन ।

(६) धन ।

(७) प्रसाधन की वस्तुएं ।

(८) अनुशासन तथा तलाशियां ।

(९) फोटो चित्र तथा अंगुली के चिन्ह ।

(१०) मुलाकातें ।

(११) लेखन सामग्री तथा अन्य विषय ।

निरुद्ध व्यक्तियों के साथ इन नियमों के अनुसार बर्ताव किया जा रहा है ।

(ङ) जी हां ।

**श्री बीरेन दत्त :** क्या सरकार को यह विदित है कि ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्हें बिना कोई छूट दिये १७, १८ और १९ वर्ष तक निरुद्ध करके रखा जा रहा है ? क्या सरकार इस की जांच करेगी और भाग (ख) तथा (ग) में दिये गये उत्तरों का परिपालन करेगी ?

**श्री दातार :** मैं इस सम्बन्ध में जांच क गा ।

**समुद्रपार के व्यापार के आंकड़े**

*२५००. **श्री एच० एन० मकर्जी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार के पास इस समय भारत के कुछ पत्तनों में विदेशी व्यापार

संघों को हमारे समुद्रपार के व्यापार के सम्बन्ध में आंकडे इकट्ठे करने और उन के संकलन के लिये इस समय दी हुई सुविधाओं को बन्द कर देने की कोई योजना है ; और

(ख) क्या सरकार का यह अभिप्राय है कि इस प्रकार के आंकड़े केवल हमारे सरकारी अभिकरणों द्वारा ही इकट्ठे किये जाने चाहियें ?

**वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) :** (क) हम यह नहीं जानते कि माननीय सदस्य का "विदेशी व्यापार संघ" इस वाक्य खण्ड से क्या अभिप्राय है । हम यह मान लेते हैं कि उन का अभिप्राय ऐसे संघ से है जिस में केवल अभारतीय सदस्य हों ।

बम्बई के अतिरिक्त अन्य सब बड़े बड़े पत्तनों पर समुद्रपार के व्यापार के सम्बन्ध में आंकड़ों को इकट्ठा करने और उन के संकलन का काम सीमाशुल्क गृहों द्वारा किया जाता है ; बम्बई में यह कार्य बहुत वर्षों से बम्बई वाणिज्य संघ द्वारा किया जा रहा है जिस म अब केवल अभारतीय सदस्य नहीं हैं । इस कार्य को सीमाशुल्क द्वारा सम्भाले जाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ख) हां, श्रीमान्, सरकार का यह इरादा है कि जहां तक सम्भव हो इस प्रकार के आंकड़े केवल हमारे सरकारी अभिकरणों द्वारा इकट्ठे किये जायें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमें अभी अभी सूचना मिली है कि बम्बई व्यापार ल में लगभ। ४४ प्रातशत सदस्य भारतीय हैं ।

**श्री ः र ० मुकर्जी :** बम्बई व्यापार मण्डल या बंगाल व्यापार मंडल जसे व्यापार मण्डलों को सुविधायें न दिय जाने का मामला कितने समय से सरकार के विचाराधीन है ?

**श्री ए० सी० गुहा :** हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि हम शीघ्र ही कोई निर्णय कर लेंगे ।

**श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या यह सच है कि सरकार ने एक पत्तन तथा नौवहन सांख्यकीय समिति नियुक्त की थी जो इस मामले की जांच कर रही है, और यदि ऐसी बात है, तो वह समिति अपना प्रतिवेदन और निर्णय कब प्रस्तुत करेगी ?

**श्री ए० सी० गुहा :** मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता है। इस समय मेरे पास इस की जानकारी नहीं है।

**श्री बंसल :** माननीय मंत्री कहा कि बम्बई व्यापार मंडल विशिष्ट रूप से एक यरोपीय व्यापार मंडल नहीं है। मैं जान सकता हूं कि क्या इसके प्रारम्भ से, इस मंडल का प्रधान या उपप्रधान कोई भारतीय रहा है ?

**श्री ए० सी० गुहा :** मैंने पहले ही बता दिया है कि इस समय इसके ४४ तशत सदस्य भारतीय हैं, और लगातार भारतीय सदस्य बढ़ रहे हैं । निस्सन्देह, प्रारम्भ म यह पूर्णतया अभारतीय व्यापार मंडल था किन्तु यह द्रुतगति से अपना स्वरूप बदल रहा हैं ।

**नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय में उच्च श्रेणी के क्लर्कों का स्थायीकरण**

***२५०१. श्री के० के० बसु :** (क) क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि स्थायीकरण सम्बन्धी विभागीय परीक्षा पास करने के पश्चात् भी, जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय में उच्च श्रेणी के क्लर्कों

के लिये लागू की गई थी, उन को स्थायी होने का अधिकार नहीं है ?

(ख) और अन्य कौनसी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं ?

**वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) जी, हां।

(ख) (१) संतोष जनक आचरण और दिन प्रति दिन का काम।

(२) ऊंची श्रेणी के क्लर्कों के स्थायी पद की उपलब्धता।

**श्री के० के० बसु** : जिन क्लर्कों ने यह परीक्षा पास कर ली है, उनमें से कितनों को अभी स्थायी नहीं किया गया है ?

**श्री एम० सी० शाह** : मेरे पास यह आंकड़े नहीं हैं।

**श्री के० के० बसु** : क्या स्थायी किये गये किसी व्यक्ति ने उन व्यक्तियों के दावों का अतिक्रमण किया है, जिन्होंने परीक्षा पास कर ली है पर जिन्हें स्थायी नहीं किया गया है ?

**श्री एम० सी० शाह** : मेरे पास इस का ब्यौरा नहीं है। मुझे पूर्व-सूचना की आवश्यकता है।

### अनसूचित जातियों और आदिम जातियों का कल्याण

*२५०२. **श्री अजित सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघटन की ओर से अनुसूचित जातियों के कल्याण कार्य करने के लिय की गई अनुदान की मांग सरकार द्वारा अस्वीकार कर दी गई है और ऐसा करने के मुख्य कारणों में एक कारण यह था कि यह पंजीबद्ध निकाय नहीं था ;

(ख) क्या सरकार द्वारा विमुक्त जाति सेवक संघ दिल्ली को अनुदान दिया गया है, जो पंजीबद्ध निकाय नहीं है ; तथा

(ग) यदि हां, उस के क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग), जी, हां। विमुक्त जाति सेवक संघ, लोक सेवक समाज (सर्वेन्ट्स आफ़ दि पीपुल सुसायटी) की एक उपसमिति है, जो एक अखिल भारतीय, गैर-राजनैतिक, पंजीबद्ध निकाय है, चूंकि यह संघ, लोक सेवक समाज के नियंत्रण और आदेश के अनुसार कार्य कर रहा है, इस का पृथक पंजीयन आवश्यक नहीं समझा गया था।

**श्री अजित सिंह** : इस दृष्टिकोण से कि विमुक्त जाति सेवक संघ, लोक सेवक समाज की एक शाखा है, गृह-कार्य मंत्रालय ने संघ के सचिव को ७ जुलाई, १९५३ को उक्त संस्था को १८६० के संस्था पंजीयन अधिनियम २१ के अधीन पंजीबद्ध करा लेने के लिये क्यों लिखा था ?

**श्री दातार** : मैंने इसी प्रश्न का उत्तर दिया है। किसी शाखा या उपसमिति का पंजीयन अनिवार्य नहीं होता है। मूल निकाय पंजीबद्ध है और यह विमुक्त जाति सेवक संघ पर नियंत्रण रख रहा है।

**श्री अजित सिंह** : क्या यह तथ्य है कि भतपूर्व जरायमपेशा आदिम

जातियों के कल्याणार्थ मंजूर किया गया धन, गैर हरिजनों द्वारा उपयोग म लाया जा रहा है और इन भूतपूर्व जरायमपेशा आदिम जातियों में से कोई व्यक्ति सेवा में नहीं है ?

**श्री दातार :** माननीय सदस्य भूल में हैं। यह अनुदान, भूतपूर्व जरायमपेशा आदिम जातियों के कल्याण के लिये दिया गया था, और जो भी विभिन्न योजनायें मंजूर की गई हैं, वह केवल जरायमपेशा आदिम जातियों के कल्याण से सम्बन्ध रखती हैं ।

**श्री तिम्मय्या :** अनुसूचित जाति संघ और अन्य संघटनों को, जिन्हें राजनैतिक संघटन समझा जाता है, धन आवंटित करने से पहले, क्या सरकार उनकी कार्यवाहियों की जांच करेगी ?

**श्री दातार :** जहां तक दूसरे गैर सरकारी निकायों का सम्बन्ध है, सरकार केवल उतनी ही जांच करेगी जितनी कि आवश्यक है । एक शर्त यह रखी गई है कि दिये गये अनुदान को राजनैतिक उद्देश्यों के लिये काम में नहीं लाया जा सकता है ।

**ईंट बनाने की मशीनें**

*२५०३. **श्री गिडवानी : क्या रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी में सैनिक अधिकारियों द्वारा ईंट बनाने की मशीनों के सम्बन्ध में प्रयोग किये हैं ; तथा

(ख) इन प्रयोगों का क्या परिणाम निकला है ?

**रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

**खासी की पहाड़ियों में पैट्रोल**

*२५०४. **श्री विमला प्रसाद चालिहा : क्या प्राकृतिक ससाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि हाल के भूतत्वीय परिमाप ने खासी की पहाड़ियों में पैट्रोल के अस्तित्व को बताया है ; तथा

(ख) यदि ऐसी बात है, तो क्या भूतत्वीय परिमाप कोई खोज प्रारम्भ करेगा ?

**प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय):** (क) खासी की पहाड़ियों के कोयले क्षेत्रों का परिमाप करते हुए सिलहट जिले को सीमा के पास खासी की पहाड़ियों में कुछ स्थानों पर तेल रिसता हुआ पाया गया था । तेल के इस प्रकार रिसने के साथ साथ कुछ गैस भी उठती हुई देखी गई थी ।

(ख) इस क्षेत्र में अग्रेतर काम करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

**श्री विमला प्रसाद चालिहा :** क्या कोई ऐसा भारतीय उपक्रम है, जो पैट्रोल की खोज करने और निकालने का काम कर सकता है ?

**श्री के० डी० मालवीय :** भारतीय परिमाप विभाग ने जो थोड़ा बहुत परिमाप कार्य किया है, उस से पता चलता है कि इस क्षेत्र की खोज पर बहुत लागत आयेगी और भारतीय परिमाप विभाग के महानिदेशक का यह मत है कि इस क्षेत्र की सविस्तार खोज करने का प्रस्ताव व्यवहारिक नहीं होगा। तो भी, जहां अधिक तेल की खोज की जा सकती है, ऐसे क्षेत्रों की सीमा

निर्धारण करने के लिये, भारतीय परिमाप विभाग के महानिदेशक का विचार इस सम्बन्ध में कुछ और परिमाप करने का है।

**श्री विमला प्रसाद चालिहा :** क्या राज्य के साथ मिल कर किसी खनिज तेल की खोज करने, और तेल निकालन के उपक्रम को चलाने का प्रस्ताव, सरकार के विचाराधीन है ?

**श्री के० डी० मालवीय :** यह बहुत ही व्यापक प्रश्न है।

**अध्यक्ष महोदय :** वह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ऐसा करने का इरादा रखती है ?

**श्री के० डी० मालवीय :** ऐसे क्षेत्रों में विस्तृत खोज करने का सरकार का इरादा नहीं है।

**अधिक ऊंचाई वाला (हाई आल्टीट्यूड) गवेषणा केन्द्र**

*२५०५. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री १० अगस्त, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उसके बाद अधिक ऊंचाई वाले (हाई आल्टीट्यूड) गवेषणा केन्द्र तथा वेधशाला की स्थापना में कोई प्रगति हुई है ?

**प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय):** इस सम्बन्ध में हाउस की टेबुल पर एक बयान रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबंध संख्या १५**]

**श्री भक्त दर्शन :** यह जो वक्तव्य दिया गया है इससे मालूम होता है कि कस्मिक रे रिसर्च स्टेशन्स तथा हाई आल्टीट्यड रिसर्च स्टेशन अलग अलग स्थानों पर स्थापित किय जायेंगे, क्या मैं जान सकता हूं कि कितने वर्षों से इस सम्बन्ध में छानबीन की जा रही है, अब तक किन किन स्थानों की छानबीन की गयी है और उनके सम्बन्ध में क्या रिपोर्टें विशेषज्ञों ने दी हैं ?

**श्री के० डी० मालवीय :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संक्षेप में यह कहना चाहूंगा कि लगभग दो, तीन वर्षों से इस सम्बन्ध में प्रयत्न हो रहे हैं और बोर्ड आफ साइंटिफिक एन्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने अपनी एक उपसमिति भी इस सम्बन्ध में वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की बनाई थी और बार बार उन्होंने इस प्रश्न पर विचार किया लेकिन दिक्कत यह है कि मुनासिब तौर के आदमी नहीं मिल रहे हैं जो ऐसे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में जा कर वहां की प्राकृतिक दशाओं का अध्ययन करके तदनुसार सिफारिशें करें जो कि वैज्ञानिकों को स्वीकार हों, इसलिये सबसे पहली दिक्कत यह है कि मुनासिब आदमी नहीं मिल रहे हैं जो इतनी ऊंचाई पर जांय। दूसरे कई स्थानों में हाई आल्टीट्यूड आबजरवेटरी स्थापित करने का इरादा था, पर आखिरी मीटिंग जो दो, तीन महीने पहले मार्च या अप्रैल में हुई थी उसमें यह तय हुआ कि इन कामों को अलग कर दिया जाय और यह तय पाया गया कि कास्मिक र रिसर्च का अध्ययन का काम एटोमिक इनर्जी कमीशन करे और दूसरे जो मामले हों वह हाई आल्टीट्यूड रिसर्च कमेटी उन पर अलग से विचार करे।

**श्री भक्त दर्शन :** क्या यह सत्य है कि सन् १९५२ व फिर १९५३ की गर्मियों म व ों का एक दल बद्रीनाथ के समीप माना

दर्रे की यात्रा करने वाला था और वह किन्हीं कारणवश रुक गया था, क्या अब फिर किसी अन्वेषक दल को वहां पर भेजने का विचार किया जा रहा है ?

**श्री के० डी० मालवीय** : सन् ५२ में ऐसा कार्यक्रम बनाया गया था लेकिन तबियत खराब होने के कारण पार्टी के लीडर आगे नहीं जा सके । इसके लिये मुनासिब तौर के आदमी जो वैज्ञानिक भी हों, तजुर्बा भी रखते हों और साथ ही ऐसी उम्र के भी हों जो पहाडी स्थानों पर यात्रा करने का कष्ट उठा सकें ऐसे आदमियों के मिलने में जरा दिक्कत पड़ती है ।

**श्री सी० डी० पांडे** : क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि ऐसी संस्थाओं को स्थापित करते समय इस बात का ख्याल रक्खा जाता है कि वह ऐसे स्थानों पर हों जहां पर कोई अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ा व टंटा न हो ;

**श्री के० डी० मालवीय** : हां, सभी बातों पर विचार किया जाता है लेकिन जहां तक कास्मिक रे के अध्ययन करने का सम्बन्ध है उसके लिये काश्मीर ज्यादा मुनासिब जगह मालूम पड़ती है ।

**त्रिपुरा में आग की दुर्घटनायें**

*२५०६. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान त्रिपुरा में सोनामूरा मंडी में हाल में आग लगने की दुर्घटना की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने क्षति का कुछ अनुमान लगाया है ;

(ग) आग लगने के क्या कारण थे ; तथा

(घ) इस प्रकार उजडे हुए व्यक्तियों को फिर से बसाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाहियां की हैं ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) क्षति का अनुमान २,५०,००० रुपये है ।

(ग) आग आकस्मिक थी ।

(घ) उजड़े हुए व्यक्तियों में से कुछ को उनके सम्बन्धियों के घरों में स्थान दे दिया गया है, और शेष को डाक बंगलों, स्कूलों के भवनों तथा लोगों के घरों में स्थान दिया गया है ।

मैं यह भी बता दूं कि वन विभाग प्रभावित व्यक्तियों को बिना किसी स्वामित्व के पास के रक्षित बन में से खाद्य पदार्थ इकट्ठा करने के लिये निःशुल्क अनुज्ञप्तियां दे रहा है ।

**श्री एन० बी० चौधरी** : ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः जो आग लग जाती है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने, लोगों की मांग के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में आग बुझाने के लिये स्टिरप पम्प देने के प्रश्न पर विचार किया है ?

**श्री दातार** : मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि आग अक्सर लग जाती है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है । फिर भी माननीय सदस्य का सुझाव आवश्यक कार्यवाही के लिये मुख्य आयुक्त के पास भेज दिया जायेगा ।

**श्री एन० बी० चौधरी** : जो भारी नुकसान हुए हैं उसको दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार केन्द्र से कोई अतिरिक्त सहायता देने का विचार करती है ?

**श्री दातार :** यदि मुख्य आयुक्त सहायता दिये जाने की मांग करेगा तो सहायता दी जायेगी। इसी बीच २,००० रुपये की एक राशि उत्पादन के रूप में दी गई है।

**त्रिपुरा में भ्रष्टाचार**

*२५०७. **श्री दशरथ देव :** क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अभी हाल में त्रिपुरा राज्य के सोनामूरा स्थित समाहार विभाग में किसी गबन के मामले का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई घोषित अधिकारी या अधिकारीगण अन्तग्रस्त हैं; तथा

(ग) इस मामले में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) :** (क) जी हां।

(ख) एक घोषित अधिकारी अन्तग्रस्त है।

(ग) उस अधिकारी को मुअत्तिल कर दिया गया है और भारतीय दण्ड संहिता की धारा ४०९ के अधीन एक फ़ौजदारी मुकदमा चलाया गया है।

**श्री दशरथ देव :** क्या यह सच है कि एक ऐसे सब-इन्सपेक्टर को, जो एक रिश्वत के मामले में अन्तर्ग्रस्त था, पदोन्नति देकर एस० डी० आं० बना दिया गया है, और यह अफवाह है कि शीघ्र ही उसे मैजिस्ट्रेट बना दिया जायेगा?

**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति। क्या उन्हें कोई और प्रश्न पूछना है? प्रश्न के बाद वाले भाग से पहले भाग का प्रभाव नष्ट हो जाता है।

**श्री दशरथ देव :** क्या वह किसी रिश्वत के मामले में अन्तर्ग्रस्त था;

**श्री दातार :** मुझे नहीं मालूम है कि वह किसी रिश्वत के मामले में अन्तर्ग्रस्त था या नहीं। यदि वह अन्तर्ग्रस्त रहा होता तो उसे नौकरी में न रहने दिया गया होता।

**पंजाब विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना के लिये ऋण**

*२५०८. **श्री हेम राज :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पंजाब सरकार ने पंजाब विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना के लिये भारत सरकार से कोई आर्थिक सहायता मांगी है; तथा

(ख) यदि हां, तो इस मामले में तथा कार्यवाही की गई है?

**शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) :** (क) जी नहीं, श्रीमान्, परन्तु पंजाब विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने एक अनुदान की प्रार्थना की है।

(ख) यह मामला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है।

**श्री हेम राज :** विभाजन के समय पंजाब विश्वविद्यालय को पश्चिम पाकिस्तान में ४० लाख रुपये की सम्पत्ति छोड़ देनी पड़ी थी। पश्चिम पाकिस्तान म उसको जो क्षति हुई उसको दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार पंजाब विश्वविद्यालय को ४० लाख रुपये का ऋण या अनुदान देने का विचार करती है?

**डा० एम० एम० दास :** आज की तिथि तक केन्द्रीय सरकार पंजाब विश्वविद्यालय को अनुदानों एवं ऋणों के रूप में २५ लाख रुपये से अधिक दे चुकी है, और अग्रेतर अनुदानों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।

**श्री डी० सी० शर्मा :** उपकुलपति ने शिक्षा मंत्री को जो पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने कितने अनुदान की मांग की है, और क्या उन्होंने केवल अनुदान की मांग की है या अनुदान और ऋण की ?

**डा० एम० एम० दास :** पंजाब विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने दिसम्बर १९५३ में पुनर्वास मंत्रालय को दो वर्षों के अन्दर ८० लाख रुपये के एक अनुदान के लिये लिखा था—५० लाख रुपये १९५३–५४ में और ३० लाख रुपये १९५४–५५ में।

**सरदार ए० एस० सहगल :** क्या मैं जान सकता हूं कि अब तक ईस्ट बंगाल और पंजाब युनिवर्सिटियों को कितनी ग्रांट दी गई है ?

**डा० एम० एम० दास :** जैसा कि मैं कह चुका हूं, जहां तक नये पंजाब विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है, विभाजन के तुरन्त बाद ही शिक्षा मंत्रालय ने पंजाब विश्वविद्यालय को कार्य आरम्भ करने के लिये प्रारंभिक व्यय के हेतु १० लाख रुपये दिये थे। उसके बाद १९४९–५० में पुनर्वास मंत्रालय ने २·१९ लाख रुपये का एक ऋण दिया था। मैं यह बता दूं कि कुल मिलाकर लगभग २५,६९,००० रुपये पंजाब विश्वविद्यालय को ऋणों और अनुदानों के रूप में दिये जा चुके हैं। इन में वे अनुदान भी सम्मिलित हैं, जो विज्ञान विभागों और मनुष्यत्व संबंधी विज्ञान के विकास के लिये दिये गये हैं।

## खसरा आदि के नक्शों की बिक्री पर प्रतिबन्ध

*२५१०. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के कुछ ज़िलों में ख़सरा आदि के नक्शों की बिक्री पर रक्षा मंत्रालय ने रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को यह बात मालूम है कि सहरसा ज़िले में बेकार पड़ी हुई भूमि को फिर से कृषि योग्य बनाने का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है, और उस क्षेत्र में नक्शों की बिक्री पर लगाई गई इस रोक से बहुत से भूमि सम्बन्धी झगड़े पैदा हो गये हैं; तथा

(घ) क्या सरकार अपने निर्णय को संशोधित करने का विचार करती है ?

**रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया):** (क) तथा (ख)। केवल उन्हीं नक्शों को "प्रतिबंधित" श्रेणी में रखा गया है, जिनमें अत्यधिक महत्व की जानकारी दी हुई है। उन नक्शों की बिक्री केवल सद्भावनापूर्ण प्रयोजनों के लिये हो सकती है। राज्य सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह सद्भावनापूर्ण व्यक्तियों को ख़सरा आदि के नक्शे दे सकती है चाहे वे "प्रतिबंधित" श्रेणी ही के क्यों न हों, बशर्ते कि इन नक्शों में राज्य से बाहर का कोई क्षेत्र सम्मिलित न हो। जहां पर राज्य की सीमाओं से बाहर के क्षेत्रों के "प्रतिबंधित" नक्शों की आवश्यकता होती है, तो रक्षा मंत्रालय से पूछा जाता है, और वह आमतौर से असली मामलों में नक्शे देने के लिये राजी हो जाता हैं।

(ग) भारत सरकार को यह बात नहीं मालूम है कि नक्शों की बिक्री पर लगाये गये प्रतिबंधों के कारण सहारसा जिले में भूमि संबंधी झगड़े हुए हैं।

(घ) अभी हाल में बिहार सरकार ने सुझाव दिया है कि सहारसा उप-ज़िले के कुछ क्षेत्रों और कुछ अन्य क्षेत्रों के

भूपरिमाप-नक्शों को ज़मीदारों और काश्त-कारों को जिलाधीश के आदेश के अधीन, बेचे जाने की अनुमति दे दी जाये। इस प्रस्ताव पर विचार हो रहा है।

**श्री एल० एन० मिश्र** : क्या बिहार के कुछ और ज़िलों में भी भूपरिमाप बन्दोबस्त नक्शों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ?

**सरदार मजीठिया** : जैसा कि मैंने कहा, राज्य सरकार को नक्शों के देने का पूरा अधिकार प्राप्त है, चाहे वे "प्रतिबंधित" ही क्यों न हों, और उचित मांग होने पर वे दिये जाते हैं, बशर्ते कि वह क्षेत्र राज्य के अन्दर हो।

**श्री एल० एन० मिश्र** : मेरे प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर से क्या मैं यह समझूं कि भूपरिमाप बन्दोबस्त नक्शों की बिक्री केवल उसी ज़िले में हो सकेगी ?

**सरदार मजीठिया** : उसकी अनुमति पहले ही से है।

**श्री एल० एन० मिश्र** : उसकी अनु-मति नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। उनका कहना है कि इसको तय करना बिहार सरकार का काम है।

**सरदार मजीठिया** : बिहार सरकार बिक्री की अनुमति दे सकती है।

**श्री के० के० बसु** : प्रश्न के भाग (क) और (ख) के सम्बन्ध में मैं जान सकता हूं कि क्या वही प्रतिबन्ध भारत के अन्य राज्यों पर भी लागू होते हैं और क्या राज्य सरकारों को भी वैसे ही अधि-कार प्राप्त हैं ?

**सरदार मजीठिया** : जी हां। उन शर्तों के अधीन।

**पंडित डी० एन० तिवारी** : सद्भा-वनापूर्ण व्यक्ति, जिनके हाथ बिक्री की जा सकती है, कौन हैं, यह किस प्रकार निश्चित किया जाता है ?

**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि यह राज्य सरकार का काम है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार कोई निर्णय नहीं करती है।

**सरदार मजीठिया** : जब वह नक्शे मांगते हैं, तब उनसे कारण पूछे जाते हैं, और यदि कारण उचित होते हैं तो उन्हें नक्शे दे दिये जाते हैं।

## सामाजिक कल्याण संस्थायें

*२५११. **श्री मादिया गौडा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सामाजिक कल्याण संस्थाओं की संख्या कितनी है और अभी तक उनको आन्ध्र, त्रावनकोर-कोचीन और हैदराबाद में केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड द्वारा कितनी राशियां दी गई हैं ?

**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : संस्थाओं की संख्या और आन्ध्र, त्रावनकोर-कोचीन तथा हैदराबाद में केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड द्वारा उनको दिये गये अनुदान की राशि इस प्रकार है :—

| राज्य का नाम | संस्थाओं की संख्या | कुल मंजूर की गई राशि |
|---|---|---|
| आन्ध्र | ४२ | १,७३,००० रु० |
| त्रावनकोर-कोचीन | १९ | ३५,१०० रु० |
| हैदराबाद | १२ | ३८,००० रु० |

श्रीमान्, मैं यह भी बता दूं कि कुछ आवेदन पत्र अभी भी बोर्ड के विचाराधीन हैं।

**श्री मादिया गौडा :** क्या मैं मैसूर के आंकड़े जान सकता हूं ?

**डा० एम० एम० दास :** १९५३–५४ म ३४ संस्थाओं को कुल ८१,२०० रुपये का अनुदान दिया गया है।

**श्री मादिया गोडा :** इस बोर्ड द्वारा प्रोत्साहन किये जाने के लिये किस प्रकार की संस्थाओं को चुना जाता है, और वे अनुदानों के देने में किस निति को अपनाते हैं ?

**श्री डा० एम० एम० दास :** वर्ष १९५३-५४ में जिन संस्थाओं का अनुदान दिये गये हैं, उन्हें चार श्रेणियों में विभक्त क्या जा सकता है : (१) शिशु कल्याण संस्थायें, (२) महिला कल्याण संस्थायें, (३) अपराधी एवं बाधाग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण की संस्थायें, और (४) सामान्य कल्याण संस्थायें।

**श्री एम० डो० रामस्वामी :** क्या मैं मद्रास राज्य के आंकड़े जान सकता हूं ?

**डा० एम० एम० दास :** ६६ संगठनों या संस्थाओं को अनुदान दिये गये हैं। दिये गये अनुदान की कुल राशि २,२९,००० रुपये है।

## शारीरिक प्रशिक्षण

***२५१३. श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १९५३ तथा १९५४ में शारीरिक प्रशिक्षण की उच्चतर शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से विदेश जाने के लिये छात्र वृत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) आन्ध्र राज्य से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ग) क्या किसी भी प्रार्थी का चुनाव कर लिया गया है ; तथा

(घ) यदि हां तो कितने ?

**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) :** (क) हां।

(ख) तीन

(ग) नहीं, परन्तु ऐसे दो प्रार्थियों के मामले तत्सम्बन्धी प्राधिकारियों के विचाराधीन हैं।

(घ) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

**श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् :** क्या प्रार्थियों के लिये कोई अर्हतायें निर्धारित की गई हैं, यदि हां तो वे अर्हतायें क्या हैं ?

**डा० एम० एम० दास :** ये प्रार्थना पत्र दो योजनाओं के अन्तर्गत लिये जा सकते थे, पहले तो चतुर्थ सूत्र कार्यक्रम, जो विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिये रिज़र्व कर दिया गया था तथा दूसरा भारतीय महिला शिक्षा संस्था लंदन की ओर से दी गई केवल एक छात्रवृत्ति जो महिला ग्रेजुएटों के लिये रिज़र्व कर दी गई थी।

**श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् :** यदि प्रार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है तो उनको किस विषय में विशेषता प्राप्त करनी पड़ती है ?

**डा० एम० एम० दास :** शारीरिक प्रशिक्षा।

**श्री जनार्दन रेडडी :** क्या हैदराबाद राज्य का कोई प्रार्थी चुना गया है ?

डा० एम० एम० दास : अभी तक कोई भी उम्मेदवार नहीं छांटा गया है। जहां तक महिला छात्रवृत्ति के आवेदन पत्रों का सम्बन्ध है, वे अन्तिम चुनाव के लिये तत्सम्बंधी प्राधिकारी के विचाराधीन हैं।

हिन्दुस्तानी कल्चर सोसाइटी

*२५१४. श्री आर० एन० सिंह : क्या शिक्षा मंत्री २८ अप्रैल, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २१०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी, इलाहाबाद को जो धन राशि हिन्दी और उर्दू की पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिये दी गई थी उससे उसने कौन कौन सी पुस्तकें तथा पत्रिकाएं प्रकाशित की हैं; और

(ख) इन पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के लेखक तथा प्रकाशक कौन हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) तथा (ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १०, अनुबंध संख्या १६।]

श्री आर० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि स्टेटमेंट में जो ३२ पुस्तकें और पत्रिकाएं दी गयी हैं, ये किस प्रेस में छपी हैं और कितनी संख्या में छपी हैं और उनकी हर एक की कितनी कितनी प्रतियां बिकी हैं ?

डा० एम० एम० दास : वह एक लम्बी सूची है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं विस्तृत आंकड़े उपस्थित कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : वे यह सूची माननीय सदस्य को दे दें।

श्री आर० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि यह हिन्दुस्तानी कल्चर सोसाइटी जो पिछले तीस सालों से हिन्दी की सेवा का काम कर रही है, तो उसने केवल यह ही काम किया है या इसके अलावा और कुछ भी काम उसने किया है?

डा० एम० एम० दास : इस सूची में इस संगठन के १९४६ से १९५४ तक के प्रकाशन हैं। उससे पहले के और भी प्रकाशन हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : यह जो सूची सदन के सामने रखी गयी है इसमें लिखा है कि ये सब के सब ३२ पबलिकेशन्स उर्दू स्क्रिप्ट में हैं और उनमें जो भाषा प्रयोग की गयी है उसको देखने से मालूम हुआ कि वह हिन्दी नहीं है, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का जो यह कहना है कि तीस वर्ष से यह संस्था हिन्दी की सेवा का काम कर रही है तो क्या यह हिन्दी की सेवा हो रही है और अभी उस दिन आपने इंकार किया था कि 'नये हिन्द' को कोई मदद नहीं दी गयी है लेकिन एक लाख बारह हजार रुपये की रकम सरकार ने बतलाया था कि पबलिकेशन के लिये दी गयी है, तो इसका मतलब क्या है?

मौलाना आज़ाद : मतलब इस वक्त कहने का यह था कि खास इस पर्चे के निकालने और छापने के लिये कोई मदद नहीं दी गयी है। हिन्दुस्तानी कल्चर सोसाइटी को पबलिकेशन के लिये एक रक़म दी गयी है। अब पबलिकेशन में यह चीज भी है लेकिन खास इस के लिये अलग ग्रान्ट नहीं दी गयी है।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि संसद् में जो प्रश्नोत्तर हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए सरकार इस संस्था की कार्यवाही की जांच करने के लिये कोई कमेटी नियुक्त करेगी ?

मौलाना आज़ाद : गवर्नमेंट इस की ज़रुरत महसूस नहीं करती कि जांच के लिये कोई कमेटी मुकर्रर की जाय, लेकिन हां सोसाइटी से हालात पूछे जा सकते हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि सोसाइटी को जो साठ हज़ार रुपया डिक्शनरी बनाने के लिये दिया गया है उसमें इस किस्म के शब्दों का निर्माण हो रहा है, जैसे कि अभी "हिंदुस्तान" दैनिक पत्र में पांच, छः रोज़ पेश्तर ये शब्द निकले थे "गांधियात" "गांधियाती" "मछलियात" "मछलियाती" ?

मौलाना आज़ाद : मैं नहीं समझता आनरेबुल मेम्बर किस तरफ इशारा कर रहे हैं। इस सोसाइटी को डिक्शनरी बनाने के लिये कहा गया है और इस के साथ यह शर्त कर दी गयी है कि वह एक नमूना बना कर पेश करे और मिनिस्ट्री का हिन्दी सेक्शन इसे मंजूर करेगा, बाकी यह जिन अल्फ़ाज़ का ज़िक्र हुआ है यह मैंने अपनी उम्र में पहली बार सुने हैं।

### अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पुस्तकालय

*२५१५. डा० रामसुभग सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे :

(क) क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा, एक नया पुस्तकालय स्थापित करने की कोई योजना प्रस्तुत की गई है ;

(ख) क्या सरकार न इस योजना का स्वीकार कर लिया है ;

(ग) यदि हां, तो इस पुस्तकालय को स्थापित करने की अनुमानित लागत क्या है ; तथा

(घ) क्या सरकार कोई आर्थिक सहायता देने का विचार करती है ? यदि हां तो कितनी ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): (क) नया पुस्तकालय स्थापित करने की कोई योजना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। परन्तु जुलाई, १९५२ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से, एक नये पुस्तकालय भवन के निर्माण की एक योजना प्राप्त हुई थी।

(ख) हां। पुस्तकालय भवन निर्माण की योजना सरकार द्वारा स्वीकार की जा चुकी है।

(ग) इस भवन की अनुमानित लागत ६·५ लाख रुपया होगी।

(घ) इस भवन की सारी लागत केंद्रीय सरकार देगी। १९५२-५३ में विश्वविद्यालय को २·४ लाख रुपये का एक अग्रिम अनुदान दिया गया था।

डा० रामसुभग सिंह : केंद्रीय विश्वविद्यालयों को पुस्तकालय बनाने के लिये दिया जाने वाला कुल अनुदान कितना है?

डा० एम० एम० दास : अब तक अलीगढ़ विश्वविद्यालय को २·४ लाख रुपया दिया जा चुका है। मैं अपनी स्मरण शक्ति से बता सकता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय को २·४ लाख रुपया तथा विश्वभारती विश्वविद्यालय को १·२ लाख रुपया दिया जा चुका है।

डा० रामसुभग सिंह : क्या माननीय सभासचिव को ज्ञात है कि इन पुस्तकालयों में जो पुस्तकें हैं उन का कुल मूल्य कितना है।

डा० एम० एम० दास : मेरे लिये इस समय ये आंकड़े बताना संभव नहीं है।

**मद्रास विश्वविद्यालय को अनुदान**

*२५१६. **डा० रामा राव** : क्या शिक्षा मंत्री ३ मई १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या २१८९ के उत्तर तथा मनोविज्ञान अथवा शरीर विज्ञान सम्बन्धी गवेषणा के लिये मद्रास विश्वविद्यालय की अनुदान की प्रार्थना सम्बन्धी २ अप्रैल १९५४ के 'हिन्दू' के अग्रलेख के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अग्रलेख में लगाये गये आरोप कहां तक ठीक हैं ?

**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : यह आरोप सर्वथा निराधार हैं।

**डा० रामा राव** : मद्रास का 'हिन्दू' जो न तो विरोधी दल का पत्र है और न साम्यवादी पत्र ही है अपने अग्रलेख में निम्नलिखित बातें कहता है...

**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। उन्होंने कहा है कि इन आरोपों में कोई सार नहीं है इसका अर्थ है कि उन्होंने यह बयान पढ़ा है।

**डा० रामा राव** : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। उपकुलपति ने कहा है, "इस विषय पर सरकार से पत्र व्यवहार हो रहा है"— मनोविज्ञान तथा शरीर विज्ञान विभागों के बीच के मामले पर क्या यह सच है ?

**डा० एम० एम० दास** : नहीं, मद्रास विश्वविद्यालय को शरीर विज्ञान प्रयोगशाला उपकरण के लिये ५०,००० रुपये का अनुदान दिये जाने के पश्चात् अन्तिम विस्तृत योजना प्रस्तुत की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सामने यह योजना रख दी गई है और हो सकता है कि विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा शिक्षा मंत्रालय में कुछ पत्र व्यवहार चल रहा हो।

**डा० रामा राव** : क्या इस अनुदान के पश्चात् भी मद्रास विश्वविद्यालय ने किसी भी समय पहले अथवा बाद में मनोविज्ञान में गवेषणा के लिये अनुदान मांगा था ?

**डा० एम० एम० दास** : ऐसा ज्ञात होता है कि इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों के मन में कोई गलत धारणा बैठ गई है यदि आप अनुमति दें तो मैं स्थिति को स्पष्ट कर दूं।

**अध्यक्ष महोदय** : वह स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं किन्तु मैं समझता हूं कि एक पहले अवसर पर उन्होंने स्थिति का पूरा स्पष्टीकरण कर दिया है।

**डा० एम० एम० दास** : कुछ अन्य बातें भी हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : वे केवल उन्हीं बातों को बता सकते हैं।

**डा० एम० एम० दास** : सरकार के सामने दो विभिन्न प्रस्ताव थे। एक वैज्ञानिक शिक्षा की विकास योजना के अन्तर्गत शरीर विज्ञान के स्नातकोत्तर विभाग की स्थापना के लिये अनुदान तथा दूसरा कलाओं तथा समाजशास्त्रों के विकास की योजना के अन्तर्गत मनोविज्ञान के लिये अनुदान के विषय में था। मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा मनोविज्ञान के उपकरण अनुदान के सम्बंध में मांगी गई राशि केवल १५,००० रुपये थी तथा पुस्तकालय के लिये १०,००० रुपये की मांग की गई थी। केन्द्रीय सरकार द्वारा यह अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया था किन्तु शरीर विज्ञान प्रयोग शाला के लिये उपकरण क्रय करने के लिये ५०,००० रुपये का

उपकरण अनुदान स्वीकृत किया गया था। अब मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा मनोविज्ञान के लिये मांगे गये १५,००० रुपये के उपकरण अनुदान तथा सरकार द्वारा शरीर विज्ञान प्रयोग शाला के उपकरण के लिये दिये गये ५०,००० रुपये के अनुदान, इन दोनों राशियों के भारी अन्तर से पता लग जाता है कि न तो इसमें कोई गलती हुई है और न एक अनुदान के स्थान पर दूसरा अनुदान दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त एक ओर कलाओं तथा समाज शास्त्रों और दूसरी ओर वैज्ञानिक विषयों—इन दो विषय समूहों में से प्रत्येक के लिये अनुदान की व्यवस्था भिन्न भिन्न है और शिक्षा मंत्रालय के भिन्न भिन्न विभागों द्वारा उन का प्रबंध किया जाता है। अतः इन में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने की कोई गुंजायश नहीं है।

डा० रामा राव: बस एक प्रश्न और है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब अगला प्रश्न ले रहा हूं।

**अलोह धातुओं सम्बन्धी गोष्ठी**

*२५१७. **श्री विश्वनाथ रेड्डी :** क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या फरवरी, १९५४ में नेशनल मेटलरजिकल लेबोरेटरी में अलोह धातुओं सम्बन्धी गोष्ठी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग के किन मुख्य पहलुओं पर विचार किया गया था;

(ग) क्या यह सच है कि यह सामान्य विचार प्रकट किया गया था कि शीघ्र ही, जैसा कि योजना में उल्लेख है, एक २०,००० टन वाला एलूमिनियम का कारखाना स्थापित किया जाये; तथा

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** (क) हां :

(ख) भारत के अलोह खनिज संसाधनों का संरक्षण तथा योजनाबद्ध उपयोग।

(ग) नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**श्री विश्वनाथ रेड्डी :** क्या प्रश्न (ग) के उत्तर के आधार पर मैं पूछ सकता हूं कि क्या योजना के अनुसार एलूमिनियम संयंत्र लगाने का भी कोई प्रस्ताव है ?

**श्री के० डी० मालवीय :** २० हजार टन अलूमीनियम उत्पादन करने वाला संयंत्र लगाने का तो कोई प्रस्ताव नहीं था, किन्तु गोष्टी में वार्ता के दौरान में निश्चय ही इस प्रश्न के बारे में विचार किया गया था। और यह कहा गया था कि............

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। कुछ सदस्य एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। अब मेरे पास केवल एक यही उपाय रह गया है कि बातचीत करने वाले सदस्य का नाम बोलूं—सदन से बाहर जाने के लिये नहीं—अपितु सदैव बातचीत करने वाले उन सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने के लिये जो सदन की कार्यवाही में विघ्न डाला करते हैं।

**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) :** यह तो बहुत कठोर बात होगी।

**अध्यक्ष महोदय :** सदस्यों को बातचीत करने से मैं नहीं रोकता; किन्तु कुछ सदस्य तो काफी दूरी पर होते हुए एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं; इस प्रकार की बातचीत को धीमी तौर पर बातचीत करना नहीं कहते। इस बेंच पर बैठे सदस्य उस बेंच के सदस्यों से बातचीत कर रहे हैं और उस बेंच के इस बेंच वालों से। वे लोग सदन की कार्यवाही की उपेक्षा करते हैं इस में तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यदि वे चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, किन्तु उनको इस बात का ध्यान तो रखना चाहिए कि वे सदन की कार्यवाही में विघ्न डाल रहे हैं। जो सदन की कार्यवाही में भाग लेना चाहते हैं उनको तो कम से कम भाग लेने दें। कई बार मैंने कहा है और फिर कहता हूं कि सदन की ध्वनि-व्यवस्था से अधिकांशतः अध्यक्ष के कार्य में हस्तक्षेप होता है। मैं उस कोने से बोलने वाले सदस्य के भाषण को सुनने का यथासंभव प्रयत्न कर रहा हूं किन्तु बीच में सदस्यों की बातचीत ऐसी जोर से सुनाई देती है कि माननीय सदस्यों के कथन को मैं सुन ही नहीं पाता। यही मेरी सबसे बड़ी कठिनाई है। दो बार से अधिक इसके बारे में मैं कह चुका हूं और मैं यह नहीं समझ सका कि यदि मैं सदस्यों को शांत रहने के लिए कहूं तो इसमें कठोरता की क्या बात है।

**श्री के० डी० मालवीय :** अलौह धातुओं के सम्बन्ध में होने वाली गोष्ठी में वार्ता के दौरान में यह कहा गया था कि देश में कच्चा सामान एवं उपलब्ध विद्युत के द्वारा ब्यूक्साइट तथा अन्य वस्तुओं से २० हजार टन एलूमिनियम बनाया जा सकता है। इसके बारे में कोई विशेष निर्णय नहीं हुआ था।

**श्री विश्वनाथ रेड्डी :** क्या देश में मिलने वाले कच्चे एलूमिनियम के बारे में सही अनुमान लगा लिया है ?

**श्री के० डी० मालवीय :** जी हां। ब्यूक्साइट के साधनों के बारे में सर्वेक्षण किये गये हैं। २५० लाख टन ब्यूक्साइट संचित रूप में मिलने का अनुमान है। भारतवर्ष के भूतत्वीय सर्वेक्षण ने ऐसा बताया है।

**श्री विश्वनाथ रेड्डी :** योजना काल में एलूमिनियम कारखाने की स्थापना तुरन्त ही करने में क्या क्या कठिनाइयां हैं ?

**श्री के० डी० मालवीय :** मैंने बताया है कि ब्यूकसाइट एवं सस्ती विद्युत उपलब्ध है वर्ष १९५५-५६ में काफी विद्युत उपलब्ध होगी। अतः ऐसी आशा की जाती है कि एलूमिनियम का उत्पादन बढ़ जायेगा।

### रेडियो ऐक्टिव आइसोटोप्स

***२५१८. श्री सी० आर० नरसिंहन् :** क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारतवर्ष में किसी भी वैज्ञानिक संस्था अथवा प्रयोगशाला को रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स उत्पादन करने में सफलता मिली है;

(ख) क्या इस प्रकार का उत्पादन निकट भविष्य में काफी मात्रा में होगा; तथा

(ग) अणु शक्ति के विकास के आधार पर टेकनीक के प्रयोग से देश में

जीवविद्या क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है ?

**प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय):** (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जिन गवेषणात्मक समस्याओं पर अनुसन्धान हो रहा है उनका विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १०, अनुबंध संख्या १७]

**श्री सी० आर० नरसिंहन्** : हम उनका उत्पादन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कठिनाई है ?

**श्री के० डी० मालवीय** : आइसोटोप का उत्पादन साइक्लोट्रोन तथा रीएक्टर के हमारे उत्पादन पर निर्भर करता है । साइक्लोट्रोन के उत्पादन के सम्बन्ध में हमने कार्य प्रारम्भ कर दिया है । रीएक्टर के सम्बन्ध में भी शीघ्र ही कार्य होने की आशा है और तब आइसोटोप अपने देश में बनने लगेगा ।

**श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : क्या इन गवेषणाओं का कोई ऐसा परिणाम भी निकला है जो जनसाधारण के कल्याण के लिए हितकर हो ?

**श्री के० डी० मालवीय** : अणु शक्ति आयोग ने जो प्रयोग निश्चित किये हैं उनका यही उद्देश्य है । आइसोटोप न होने के कारण हमने यह प्रयोग अभी तक नहीं किया है । हम सीमित संख्या में आइसोटोप का आयात कर रहे हैं और उन्हें न्यूकलियर फिज़ीकल लेबोरेटरी, कलकत्ता को दे दिया है, और वे टोक्सिक जोइल्टर आदि पर आइसोटोप आदि के प्रभाव के आधार पर कुछ कार्य कर रहे हैं ।

## नई दिल्ली में अपराधियों का गुप्त प्रवेश

*२५१९. **श्री वल्लाथरास** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजस्थान के काफ़ी अपराधी नई दिल्ली क्षेत्र में गुप्त रूप से घुस आये हैं और लोगों के जीवन एंव सम्पत्ति के सम्बन्ध में विषम स्थिति उत्पन्न हो गई है;

(ख) क्या स्थिति को काबू में करने के लिए नई दिल्ली में पुलिस की संख्या अपर्याप्त है; तथा

(ग) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** : (क) नहीं । राजस्थान के अपराधियों का नई दिल्ली क्षेत्र में कोई गुप्त प्रवेश नहीं हुआ है और न इस क्षेत्र के निवासियों के जीवन एंव सम्पत्ति के बारे में कोई स्थिति ही विषम हुई है । कुछ अपराधी जो पकड़े गये हैं उन के बारे में ज्ञात हुआ है कि वे दिल्ली के बाहर के हैं । किन्तु अपराध सम्बन्धी स्थिति में काफी सुधार हुआ है । उदाहरण के लिए फरवरी से अप्रैल १९५४ तक कुल ५१ चोरियां हुई हैं जब कि पिछले बर्ष इन्हीं दिनों ७३ चोरियां हुई थीं ।

(ख) तथा (ग). जैसा कि प्रश्न (क) में स्थिति बताई गई है वैसी स्थिति न होने के कारण ये प्रश्न नहीं उठते । किन्तु फिर भी गश्त लगाने के प्रबन्ध में काफ़ी वृद्धि कर दी गई है ।

**श्री वल्लाथरास** : क्या २९ अप्रैल १९५४ के "इंडियन एक्सप्रेस" नामक समाचार पत्र के दिल्ली संस्करण में

प्रकाशित समाचार के बारे में सरकार को ज्ञान है जिसमें नई दिल्ली के उत्तर-दायी पदस्थ पुलिस अधिकारी ने कहा था कि नई दिल्ली में गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है; नई दिल्ली की पुलिस संख्या में कम है और यहां की पुलिस स्थिति पर काबू पाने के लिए त्रिसूत्रीय योजना के आधार पर कार्य कर रही है ?

**श्री दातार** : माननीय सदस्य ने जिस समाचार का उल्लेख किया है उसे देखा है । इस सम्बन्ध में सरकार जांच कर रही है । मैं कह सकता हूं कि बड़ी संख्या में अपराधी गुप्त रूप से नहीं आ रहे हैं ।

**श्री वल्लाथरास** : क्या संसद एवं राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस कर्मचारी रखे गये हैं अथवा वे नई दिल्ली पुलिस संस्थान के ही कर्मचारी हैं ?

**श्री दातार** : माननीय सदस्य ने जिन पुलिस पदाधिकारियों का उल्लेख किया है उनकी संख्या काफी नहीं है । दूसरे जहां तक कि प्रभावित क्षेत्रों का सम्बन्ध है पुलिस कमचारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की संख्या में गतवर्ष काफ़ी वृद्धि कर दी गई है।

**श्री वल्लाथरास** : क्या यह सत्य है कि संसद तथा अन्य सुरक्षा प्रयोजनों संबंधी कार्यों और नई दिल्ली क्षेत्र के रोजाना वाले काम को मिला देने के कारण पुलिस के काम में काफ़ी वृद्धि हो गई है एवं रुकावट आ गई है और उस में सफ़लता एवं उत्कृष्टता के साथ प्रगति नहीं हो रही है ?

**श्री दातार** : माननीय सदस्य को मैं यह बता देना चाहता हूं कि गत तीन वर्षों में पदाधिकारियों की संख्या में ५० प्रतिशत एवं सिपाहियों की संख्या में १०० प्रतिशत की वृद्धि हो गई है ।

**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न

**श्री वल्लाथरास** : क्या मैं यह भी जान सकता हूं । ....

**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न । इतना ही काफ़ी है ।

### युद्ध सामग्री कारखानों में कुछ कर्मचारियों की पदावनति

*२५२०. **श्री नम्बियार**: }
**सरदार एस० एस० सहगल**: }
क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि कानपुर तथा मुरादनगर के युद्ध सामग्री कारखानों के और ईछापुर की राइफल फैक्टरी १४० प्रवीण कर्मचारियों को अप्रवीण कर्मचारी बना दिया गया है और अभी हाल ही में उनका स्थानान्तरण कानपुर के लिए किया गया है, यदि ऐसा है तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि हारनेस तथा सैडलरी फैक्टरी कर्मचारी संघ ने इनकी उन्नति करने के लिए सरकार से प्रार्थना की है;

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या यह सच है कि चार प्रभावित कर्मचारियों ने २१ अप्रैल १९५४ से भूख हड़ताल प्रारम्भ कर दी है; तथा

(ङ) यदि हां, तो स्थिति के तनाव को दूर करने के लिए क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

**रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) कानपुर के युद्ध सामग्री कारखाने से १२०, ईछापुर की रायफल फ़ैक्टरी से

१४, तथा मुरादनगर के युद्ध सामग्री कारखाने से ६ मशीन चालकों को, जो आवश्यकता से अतिरिक्त बताये गये थे; हारनैस एण्ड सैडलरी फ़ैक्टरी, कानपुर में रस्सी जोड़ने एवं आच्छादन जाल बनाने के लिए रस्सी वालों के रूप में उसी वेतन दर पर काम देने की व्यवस्था की गई। प्रवीण कर्मचारियों से अप्रवीण कर्मचारी उन्हें नहीं बनाया गया है। स्थानान्तरण से पूर्व वे अर्द्ध-प्रवीण कर्मचारी थ और स्थानान्तरण के बाद भी वे इसी रूप में कार्य करते रहेंगे।

(ख) हारनैस तथा सैडलरी फ़ैक्टरी कर्मचारी संघ, कानपुर ने सरकार से प्रार्थना की थी कि इन कर्मचारियों को अपने कारखानों को ही वापिस भेज दिया जाय और अपना वही पुराने वाला काम दिया जाय। पदोन्नति का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि उनकी पदावनति नहीं की गई थी।

(ग) कर्मचारियों को यह बता दिया गया था कि यदि उन्हें यह कार्य नहीं दिया गया होता तो वे छंटनी में आ जाते अपने निजी काम पर अथवा उस सरीखे काम पर उनका स्थानान्तरण हो सकता है बशर्ते कि वहां इस प्रकार के स्थान रिक्त हों।

(घ) तथा (ङ). हारनैस एन्ड सैडलरी फैक्टरी, कानपुर के चार कर्मचारियों द्वारा २१ अप्रैल १९५४ से फैक्टरी के द्वार पर भूख हड़ताल करने का समाचार मिला था, २६ अप्रैल १९५४ से तीन कर्मचारियों ने उनका साथ देना और शुरू कर दिया। १ मई १९५४ को यह भूख हड़ताल समाप्त हो गई।

**श्री नम्बियार :** क्या सरकार ने कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया था कि उनके पुनस्थानान्तरण के प्रश्न के बारे में अथवा उनको वही वेतन दर देने के सम्बन्ध में पुनर्विचार किया जायगा ?

**श्री सतीश चन्द्र :** कर्मचारियों से कहा गया था कि उनको उनके पहले वाले व्यवसाय पर स्थानान्तरण तभी किया जा सकता है जब कि उस व्यवसाय में कोई स्थान रिक्त हो।

**सरदार ए० एस० सहगल :** क्या यह सच है कि ११ दिन की भूख हड़ताल के बाद डाइरेक्टर जनरल आफ आर्डनेन्स फैक्ट्रीज़ ने जो वादा दिया था वह पहले भी किया जा सकता था, जिस के कारण कि भूख हड़ताल बन्द हुई ?

**श्री सतीश चन्द :** जी नहीं; उनको पहले ही बता दिया गया था, कोई नया वादा ११ दिन बाद नहीं किया गया। हंगर स्ट्राइक शुरू होने से पहले और हंगर स्ट्राइक के दौरान में उन को बताया गया कि अगर जगहें खाली होंगी तो जिन जगहों पर वह पहले थे उन्हीं जगहों पर भेज दिया जायेगा। और यह भी कहा गया था कि हंगर स्ट्राइक इस तरह की डिमान्ड्स को रखने का गलत तरीका है।

**कैंटीनें**

***२५२१. सरदार हुक्म सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १९५३-५४ में ठेकेदारों द्वारा चलाई गई कैंटीनों की जगह टुकड़ियों द्वारा चलाई जाने वाली कैंटीनें खोलने की नीति में कोई संतोषजनक प्रगति हुई है ; तथा

(ख) ठेकेदारों द्वारा अभी भी कितनी कैंटीनें चलाई जा रही हैं, तथा टुकडियों द्वारा कितनी ?

**रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी हां ।

(ख) ३१ मार्च, १९५४ को कैंटीनों की संख्या निम्नलिखित थी :--

(१) ठेकेदारों द्वारा चलाये जाने वाली कैंटीनें १९१ ।

(२) टुकड़ियों द्वारा चलाई जाने वाली कैंटीनें १००६ ।

**सरदार हुक्म सिंह** : क्या टुकड़ियों द्वारा चलाई जाने वाली कैंटीनें 'मुनाफा सहित लागत' के आधार पर मूल्य निश्चित करती हैं, अथवा सहकारिता के आधार पर, जिस में कि मुनाफा कैंटीन को ही मिल जाता है ?

**सरदार मजीठिया** : कैंटीनों द्वारा बेचे जाने वाले पदार्थों के मूल्य केन्द्रीय कैंटीन बोर्ड द्वारा निश्चित किये जाते हैं । वह लागत तथा थोड़े बहुत लाभ के आधार पर निश्चित किये जाते हैं ।

**सरदार हुक्म सिंह** : क्या ठेकेदारों द्वारा चलाई जाने वाली सभी कैंटीनों को सरकार अपने कार्यभार में लेने का विचार रखती है ; क्या ठेकों की कालावधि समाप्त होने पर यह बिल्कुल बंद कर दी जायेंगी अथवा क्या गत वर्ष में किसी ठेके का पुनर्नवीकरण हुआ है ?

**सरदार मजीठिया** : ठेके खतम नहीं कर दिये गये हैं । ज्यो ज्यों टुकड़ियां इन कैंटीनों का कार्यभार सम्भालती हैं त्यों त्यों ठेके समाप्त कर दिये जाते हैं । मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि यह १९१ व्यक्ति जो कि इन कैंटीनों को अभी चला रहे हैं अधिकांश रूप से विस्थापित व्यक्ति हैं । उन्हें १९५२ में इस बात के सम्बन्ध में एक वर्ष का नोटिस दिया गया था कि उनके ठेकों का पुनर्नवीकरण नहीं किया जायगा तथा इस के बाद उन्हें छै महीने का अग्रेतर नोटिस दिया गया, जब कि इन ठेकों की शर्तों के अनुसार उन्हें केवल तीन महीनों के नोटिस पर ही समाप्त किया जा सकता था ।

## अल्पसूचना प्रश्न और उत्तर

### निष्क्रांत अचल सम्पत्ति

**अल्पसूचना प्रश्न संख्या १३. श्री डी० सी० शर्मा** : क्या पुनर्वास मंत्री ७ मई, १९५४ को निष्क्रांत अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में सदन पटल पर रखे गये विवरण की ओर निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार अन्तरिम प्रतिकर परियोजना अन्य श्रेणियों पर भी लागू करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि रखती है तो वह कौन सी श्रेणियां हैं ;

(ग) यह परियोजना कब से लागू होगी ;

(घ) प्रतिकर परियोजना के क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में विधान कब पुरःस्थापित किये जाने का विचार है ;

(ङ) क्या सरकार ने पाकिस्तान से यह जानने की कोशिश की है कि शहरी अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में उनकी प्रस्थापित अर्धस्थायी बांट की उपलक्षणाएं क्या होंगी ; तथा

(च) (१) निष्क्रान्त सम्पत्ति संग्रह में से तथा (२) सरकार द्वारा दी गई नकदी अथवा मकानों आदि में से विस्थापित व्यक्तियों को कितना प्रतिकर दिये जाने का विचार है ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) से (ग) । जैसे कि ७ मई के मेरे

वक्तव्य में कहा गया है, सरकार ने अन्तरिम प्रतिकर परियोजना को विस्थापित व्यक्तियों की अन्य श्रेणियों तक बढ़ा देने का निश्चय किया है जो श्रेणियां तत्काल ही इसके अन्तर्गत आ जायंगी, उनके सम्बन्ध में सविस्तार विवरण तैयार किया जा रहा है। सदन की सामान्य सूचना के लिए में निवेदस करना चाहता हूं कि अभ्यावेदन पत्र शीघ्र ही उन व्यक्तियों से मांगे जाने की सम्भावना है जोकि भारत भर के छोटे कस्बों में निष्क्रान्तों के मकानों में रह रहे हैं तथा उन व्यक्तियों से भी यह मांगे जायेंगे जोकि विभिन्न राज्यों में पूर्ववर्तिता प्राप्त श्रेणियों में पहले ही शामिल बस्तियों को छोड़ कर सरकार द्वारा बनाये गए अन्य भवनों आदि में रह रहे हैं। अभ्यावेदन-पत्र मांगने के सम्बन्ध में समय-समय पर घोषणा की जायगी। अभ्यावेदन पत्र पहले ही आवास सहकारी समितियों के ५,००० सदस्यों से मांगे गए हैं। कुछ मामलों में कृषि सम्बन्धी जमीनें पहले ही हैदराबाद उत्तर प्रदेश, भोपाल, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में दी गई हैं तथा कुछ मामलों में उनका आवंटन किया जा रहा है। पंजाब तथा पेप्सू के सम्बन्ध में पंजाबी तथा गैर पंजाबी विस्थापित व्यक्तियों को वह जमीन देने का अनुदेश दिया गया है जोकि मिली-जुली कृषि की जमीनों के पृथककरण से प्राप्त हुई है।

(घ) इस विधान को आज पुर-स्थापित करने का विचार है।

(ङ) कोई औपचारिक संदेश नहीं भेजा गया है।

(च) प्राक्कलित राशियां ये हैं :—

(१) १०० करोड़ रुपये।

(२) ८५ करोड़ रुपय।

**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या माननीय मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि इस अन्तरिम, प्रतिकर परियोजना से लगभग कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा ?

**अध्यक्ष महोदय** : वह आज इस विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

**श्री ए० पी० जन** : में आज एक विधेयक को पुरःस्थापित करूंगा परन्तु इसका अन्तरिम प्रतिकर परियोजना से कोई सम्बन्ध नहीं।

**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या में जान सकता हूं कि सरकार उस फर्क को कैसे पूरा करने जा रही है जोकि पश्चमी पाकिस्तान में हिन्दुओं द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति तथा पूर्वी पंजाब में मुसलमानों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति में है ; वहां की तथा यहां की सम्पत्ति में जो अन्तर है, क्या वह उस संग्रह में जोड़ दिया जायगा जोकि निष्क्रमणार्थियों के फायदे के लिए रखा गया है ?

**श्री ए० पी० जैन** : सरकार को जितना अशंदान देना था वह उसने दिया है। सरकार द्वारा और कोई अग्रेतर अशंदान नहीं दिया जायगा, तथा यह फर्क तभी पूरा किया जायगा जबकि हमें पाकिस्तान से इस सिलसिले में कुछ प्राप्त होगा।

**श्री गिडवानी** : क्या पाकिस्तान को कोई संदेश भेज दिया गया है, तथा यदि भेज दिया गया है तो क्या उन्होंने कोई उत्तर दिया है ?

**श्री ए० पी० जैन** : जी हां। हमारी इस प्रस्थापित कार्यवाही के सम्बन्ध में पाकिस्तान को सूचना दी गई है। निस्सन्देह

अभी इसका उत्तर मिलने की आशा नहीं की जा सकती।

**सरदार हुक्म सिंह** : क्या सरकार ने आज के समाचार पत्र में यह समाचार पढ़ा है कि एक पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा है कि भारत के साथ समझौता करने का अब कोई आधार नहीं रहा तथा भारत सरकार ने उन्हें सूचना दी है कि वह इस सम्पत्ति को अपने हाथ में लेने का विचार रखती है ?

**श्री ए० पी० जैन** : जी हां, मैंने समाचार देखा है।

**सरदार हुक्म सिंह** : जब पाकिस्तान को इस निश्चय की सूचना दी गई, तो क्या उनके अपने शरणार्थियों के प्रति इसकी उपलक्षणाओं के बारे में भी कोई पूछ-ताछ की गई ?

**श्री ए० पी० जैन** : यह प्रश्न कुछ अजीब सा है, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि पाकिस्तान के दिल में क्या कुछ है तथा वह क्या कुछ करना चाहता अथवा नहीं करना चाहता है। जहां तक अर्धस्थायी बांट का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य ने पाकिस्तान के पुनर्वास मंत्री श्री कुरेशी का वक्तव्य देखा होगा उन्होंने कहा कि अर्धस्थायित्व का सविस्तार विवरण तैयार किया जायगा जिसका अर्थ यह है कि उन्होंने यह काम अभी नहीं किया है। स्वभावतः वह हमें कुछ संदेश नहीं भेज सकते थे।

**श्री जोकीम आल्वा** : क्या सरकार निष्क्रान्त सम्पति अर्जित करने के सम्बन्ध में किसी निश्चय पर पहुंची है ? क्या सरकार एक वाइट पेपर (श्वेत पत्र) जारी करने का विचार रखती है जिसमें कि इस मामले के सम्बन्ध में दिल्ली तथा कराची में हुई बैठकों का इतिहास दिया गया हो तथा क्या वहां यहां अथवा वहां इस बारे में और बैठकें बुलाने का विचार रखती है ?

**श्री ए० पी० जैन** : बहुत बार इस सम्बन्ध में वक्तव्य आदि दिए जा चुके हैं। हाल ही में मैंने उस वक्तव्य की एक प्रति सदन पटल पर रख दी है जिसके सम्बन्ध में कि यह प्रश्न पूछा गया है। इन वक्तव्यों आदि में हमने पारस्परिक बात चीत का सारा इतिहास दिया है। मेरे विचार में वाइट पेपर जारी करने का कोई फायदा नहीं होगा, निस्सन्देह, सरकार ने अन्तिम निश्चय किया है तथा उस निश्चय के आधार आज सदन में एक विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है।

**सरदार हुक्म सिंह** : क्या इन समाचारों में कोई सचाई है कि राज्यों के पुनर्वास मंत्रियों का एक सम्मेलन गुलमर्ग में होगा तथा सरकार उनके सामने एक प्रस्थापना रखेगी कि १०,००० रुपये से अधिक मूल्य की सम्पत्तियों की नीलामी होनी चाहिये और वह सब से अधिक बोली देने वालों को बेच दी जानी चाहिये ?

**श्री ए० पी० जैन** : निस्सदेह, पुनर्वास मंत्रियों का एक सम्मेलन अगले महीने गुलमर्ग में होगा, परन्तु विचार विषय की सूची अभी तैयार ही की जा रही है। इस वक्तव्य में कोई सचाई नहीं कि १०,००० रुपये से अधिक मूल्य की सभी सम्पत्तियां बेची जायेंगी। इस तरह की कोई प्रस्थापना नहीं। निस्सन्देह इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार किया जायगा।

**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या मैं यह समझ लूं कि सारी बातचीत......

**अध्यक्ष महोदय** : मैं अब अगले प्रश्न को लेता हूं।

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

## सीमावर्ती पड़ताल चौकियां

*२४९६. श्री धूसिया : : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत तिब्बत सीमा पर कुल कितनी पड़ताल चौकियां हैं; तथा

(ख) इन में से कितनी सीमा शुल्क चौकियां हैं ?

**वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा):** (क) तथा (ख)। भारत तिब्बत सीमा पर कोई सीमाशुल्क पड़ताल चौकी नहीं है भारत सिक्किम सीमा, जहां से कि भारत तथा तिब्बत के बीच के सभी मुख्य व्यापार मार्ग गुजरते हैं, पर पश्चिमी बंगाल पुलिस की दो पड़ताल चौकियां हैं; एक रांगयो में तथा दूसरी पेडांग में जोकि दार्जिलिंग जिले में स्थित हैं।

## मध्य भारत के सैनिक केन्द्रों में बंजर भूमि

*२५०९. श्री बी० एन० मालवीय : क्या रक्षा मंत्री १५ मार्च, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मध्य भारत में सैनिक प्रयोजनों के लिए कुल कितने एकड़ भूमि रक्षित की गई है और उससे प्रति वर्ष कितनी आय होती है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस भूमि का कब्जा मांगा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में क्या निश्चय किया गया है ?

**रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) इस समय कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है किन्तु शिविर क्षेत्रों की संख्या ३८ है।

(ख) जी हां।

(ग) लगभग एक महीने में इस मामले का अन्तिम निश्चय किया जाएगा।

## राज्य सहकारी बैंकों को ऋण

*२५१२. ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया ने इस तरह की कोई शर्त रखी है कि राज्य सहकारी बैंकों को कोई ऋण मंजूर किये जाने से पहले उन बैंकों को व्यापारिक गतिविधियां बन्द कर के कवल बैंकिंग का काम करना चाहिये ?

**वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) :** नहीं, श्रीमान्। यों तो इस प्रकार की कोई भी शर्त नहीं रखी गई है कि व्यापारिक गतिविधियां रोकी जानी चाहिएं, किन्तु रिज़र्व बैंक आफ़ इण्डिया की यह नीति है कि वह राज्य सहकारी बैंकों एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों को व्यापारिक और बैंकिंग गतिविधियों को साथ साथ चलाने से हतोत्साहित करता है क्योंकि व्यापार और महाजनी का एक साथ चलना खतरे से खाली नहीं।

## अनुसूचित क्षेत्र

*२५२२. श्री संगण्णा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के राज्यपालों और राजप्रमुखों ने १९५३ में तत्सम्बन्धी क्षेत्रों के प्रशासन के सम्बन्ध में, संविधान की अपेक्षा के अनुसार, राष्ट्रपति के पास १९५३ की रिपोर्टें भेज दी हैं ; और

(ख) यदि भेज दी हैं, तो उक्त अवधि में इन अनुसूचित क्षेत्रों की सामान्य आर्थिक स्थिति क्या है ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख) . केवल मध्य भारत से रिपोर्ट मिली है और वह जांच के अधीन है। अन्य राज्यों से भी रिपोर्टें भेजने के लिए कहा गया है।

**आय-कर (ज़िला मिदनापुर)**

*२५२३. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) विगत पांच वर्षों में, वर्षवार, ज़िला मिदनापुर से कितना आय-कर प्राप्त किया गया ; और

(ख) उक्त अवधि में इसी ज़िले के धान कूटने की मशीनों के मालिकों से प्राप्त किया गया औसत वार्षिक आय-कर कितना है ?

**वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) विगत पांच वर्षों में मिदनापुर ज़िले से प्राप्त किया गया आय-कर इस प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| १९४९–५० | ४,५९,००० रुपये । |
| १९५०–५१ | ६,२०,००० रुपये । |
| १९५१–५२ | ६,१७,००० रुपये । |
| १९५२–५३ | ७,२४,००० रुपये । |
| १९५३–५४ | ६,८१,००० रुपये । |

(ख) उक्त अवधि में इसी ज़िले के धान कूटने की मशीनों के मालिकों से प्राप्त किया गया औसत वार्षिक आय-कर ७९,००० रुपये है ।

**खिलाड़ी दलों को सहायता**

*२५२४. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय खेल-कूद प्रतियोगिता–पर्वों में भाग लेने के लिए विदेश जाने वाले भारतीय खिलाड़ी दलों को कोई वित्तीय सहायता देती है ;

(ख) यदि देती है, तो १९५३–५४ में इस प्रकार के कितने खिलाड़ी दलों को वित्तीय सहायता दी गई ; और

(ग) इस सहायता की कुल राशि कितनी थी ?

**शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद)** : (क) जी हां ।

(ख) चार

(ग) केवल चालीस हज़ार रुपये ।

**आदिम-जाति कल्याण के लिए अनुदान**

*२५२५. **श्री [illegible]णा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आदिम जाति कल्याण के हित विविध संस्थाओं और संगठनों को १९५४–५५ के लिए अनुदान आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में कोई निश्चय किया गया है ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** : अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए सीधे ही गैर सरकारी संस्थाओं और संगठनों को केन्द्र द्वारा कोई भी अनुदान नहीं दिया जाता भूत। पूर्व अपराध जीवी आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए गैर सरकारी संस्थाओं को दी गई राशियां जताने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है ; [देखिये परिशिष्ट १०, अनुबंध संख्या १८] आवंटित राशि यों तो, अस्थायी हैं ; और इन संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत की गई सविस्तार योजनाओं की जांच किए जाने के बाद ही इस राशि का अंतिम निश्चय होगा ।

**इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी, खड़गपुर**

***२५२६. श्री एन० बी० चौधरी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी, खड़गपुर में प्रवेश पाने के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों और आदम जातियों के विद्यार्थियों को कोई विशेष सुविधायें दी जाती हैं ; और

(ख) इस इंस्टीट्यूट में लगभग कितने विद्यार्थी अध्ययन एवं अनुसंधान कार्य कर सकते हैं ?

**शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) :** (क) अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिए कुल जगहों का १२½ प्रतिशत रक्षित किया जाता है ।

(ख) १२२५ तक ।

**भूतपूर्व सैनिकों की युद्धोत्तर पुर्नानर्माण निधि**

**५७७. श्री भक्त दर्शन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष १९५३-५४ भूतपूर्व-सैनिकों की युद्धोत्तर पुर्नानर्माण में से कितनी राशि व्यय की गई ;

(ख) प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत कितनी राशि व्यय की गई ;

(ग) वर्ष के अन्त में निधि में कुल कितनी राशि रह गई थी ; और

(घ) इस निधि में से १९५४–५५ के लिये कितनी राशियां मंजूर की गई हैं और किन किन योजनाओं के लिये ?

**रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) ७,४८,७७७ रुपय ।

(ख) और (घ). सदन-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [ देखिये **परिशिष्ट १०, अनुबंध संख्या १९** ]

(ग) १,२३,३९,५७३ रुपये ।

**सीमान्त सुरक्षा पुलिस**

**५७८. श्री दशरथ देव :** क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार को सीमान्त सुरक्षा पुलिस का संधारण करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा राज्य द्वारा १९५२–५३ और १९५३–५४ में कुल कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) :** (क) त्रिपुरा राज्य में कोई अलग सीमान्त सुरक्षा पुलिस नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**सम्पदा-शुल्क की अदायगी**

**५७९. श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विशिष्ट रूप से सम्पदा-शुल्क की अदायगी के प्रयोजनार्थ विविध समवायों ने मार्च १९५४ तक कितनी जीवन बीमा पालिसियां जारी कीं और उन से कितनी राशि पूरी हुई है ?

**वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) :** चूंकि बीमा अधिनियम, १९३८ के अधीन इस बात का बताया जाना अपेक्षित नहीं, अतः यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

**तम्बाकू उत्पाद शुल्क (जिला मिदनापुर)**

५८०. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२-५३ और १९५३-५४ में जिला मिदनापुर से तम्बाकू उत्पाद शुल्कों से कुल कितनी आय हुई ; और

(ख) इस शुल्क को इकट्ठा करने के लिए उस क्षेत्र में प्रशासनीय व्यवस्था पर कितना व्यय हुआ ?

**वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा):** (क) तथा (ख). उपलब्ध जानकारी का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १०, अनुबंध संख्या २०]

**अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से सहायता**

५८१. **श्री एन० बी० चौधरी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विकास तथा पुनर्निमाण के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिये सरकार के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निधि मिशन की सिफ़ारिशें स्वीकार करना अनिवार्य है ; और

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की कोई सिफ़ारिशें ऐसी हैं जो सरकार को स्वीकार नहीं हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख):** (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की सिफ़ारिशें मुख्यत: उन प्रयोजनाओं के टेकनिकल पहलुओं के सम्बन्ध में होती हैं, जो विशेषज्ञों द्वारा टेकनिकल परीक्षण के बाद ऋण की सहायता लेने के विचार स प्रस्तुत की जाती हैं । अब तक कोई ऐसा अवसर उत्पन्न नहीं हुआ, जिस पर सरकार ने इस प्रकार की सिफारिश स्वीकार न की हो ।

**विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कलकत्ता**

५८२. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस प्रश्न का अन्तिम निर्णय किया गया है कि विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कलकत्ता को किस प्रकार विकसित किया जाये ?

**शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद):** जी नहीं, श्रीमान ।

**राजस्थान में लोहे और तांबे के निक्षेप**

५८३. **श्री शोभा राम :** क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजस्थान में लोहे और तांबे के निक्षेपों का सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस का क्या परिणाम निकला है ?

**शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद):** (क) हां, श्रीमान ।

(ख) राजस्थान में लोहे और तांबे के निक्षेपों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है । बतलाया जाता है कि लोहे की कच्ची धातु के निक्षेप अधिक नहीं हैं, किन्तु तांबे की कच्ची धातु के निक्षेप काफ़ी हैं ।

**त्रिपुरा के प्राइमरी स्कूलों के लिये अध्यापक**

५८४. **श्री दशरथ देव :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३-५४ से अब तक त्रिपुरा के प्राइमरी स्कूलों के लिए कितने नये अध्यापक नियुक्त किये गये हैं ;

(ख) उन में से कितने आदिम जातियों के हैं और कितने अन्य जातियों के ; और

(ग) इन पदों के लिए कम से कम क्या शिक्षा सम्बन्धी योग्यता चाहिए ?

**शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) :** (क) २४४ ।

(ख) आदिम जातियों के : ४ ; अन्य जातियों के : २४० ।

(ग) मैट्रीकुलेशन या स्कूल फाइनल परीक्षा पास ।

### विदेशी बीमा कम्पनियां

५८५. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी बीमा कम्पनियों ने १९५२-५३ में भारत में जीवन तथा साधारण बीमा से कितनी धनराशि अर्जित की ;

(ख) इन कम्पनियों ने भारतीय प्रतिभूतियां खरीदने में कितना धन लगाया; और

(ग) इन कम्पनियों ने भारत में किये बीमों से अर्जित कितनी राशि विदेशों को भेजी तथा वहां लगाई ?

**वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) :** (क) १९५२ में भारत में प्रत्येक्ष दिये गये कुल प्रीमियम का व्योरा यह है :

| जीवन | साधारण |
|---|---|
| ६·८ करोड़ रुपये | ६·४ करोड़ रुपये |

(ख) साधारण बीमा के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है । जीवन बीमा के सम्बन्ध में विदेशी बीमा कम्पनियों के पास बीमा अधिनियम की धारा २७ के अन्तर्गत ३१–१२–१९५२ को ३१·७७ करोड़ रुपये तक की सरकारी और अनुमोदित प्रतिभूतियां थीं ।

(ग) बीमा अधिनियम के अन्तर्गत बीमा कम्पनियों के लिए यह जानकारी देना आवश्यक नहीं है ।

### संघ लोक सेवा आयोग

५८६. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) संघ लोक सेवा आयोग ने १९५३-५४ में विज्ञापनों पर कितनी धन राशि व्यय की; और

(ख) इस में से अंग्रेजी के तथा प्रादेशिक या वर्नाक्यूलर भाषा के समाचार पत्रों में विज्ञापन देने पर अलग अलग कितनी राशि व्यय की गई ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) :** (क) तथा (ख). विज्ञापनों पर २,९८,००० रुपये व्यय किये गये थे। चूंकि आयोग के विज्ञापन प्रादेशिक या वर्नाक्यूलर भाषा के समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं होते, इस लिए यह सारी राशि अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में विज्ञापन देने पर व्यय की गई थी ।

### पंजी प्रत्यावर्तन

५८७. { **श्री के० के० बसु :**
**श्री एन० बी० चौधरी :** }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९४५ से वर्षवार विदेशियों ने कुल कितनी राशि प्रत्यावर्तित की है या भेजी है ; और

(ख) इसमें कितना भाग पूंजी का प्रत्यावर्तित है ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : (क) तथा (ख) : आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

**विन्ध्य प्रदेश में तम्बाकू उगाने वालों पर कर**

५८८. **श्री रणदमन सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विन्ध्य प्रदेश में तम्बाकू उगाने वाला किसान औसतन कितना वार्षिक आयकर या उत्पादन शुल्क देता है ?

**वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा)** : सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है, किन्तु सामान्यतया विन्ध्य प्रदेश तथा अन्य स्थानों पर तम्बाकू उगाने वाले तम्बाकू के विक्रय से हुई आय पर आयकर नहीं देते, जब कि कार्यवाही केवल यह होती है कि तम्बाकू को मंडी में ले जाने के योग्य बनाया जाता है। ऐसी आय को कृषि आय समझा जाता है और यह आयकर से विमुक्त होती है।

१९५२-५३ में, विन्ध्य प्रदेश में ६६६५ में से ४३७४ तम्बाकू उगाने वालों के उत्पादन को उत्पादन शुल्क से पूर्ण रूप से विमुक्त कर दिया गया था, क्योंकि यह समझा गया था कि यह उगाने वालों के घरों में उपभोग करने के लिए उगाया और साफ किया गया है, शेष अतिरिक्त उत्पादन को थोक व्यापारियों के हाथ बेच दिया गया था, जिन्होंने या तो शुल्क स्वयं दिया था या शुल्क दिये *बिना* तम्बाकू को गोदामों में भेज दिया था।

**सोने का छिपा कर लाया जाना**

५८९. **श्री रघुरामय्या** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या



यह सत्य है कि गोआ से छिपा कर लाया गया १,१०,००० रुपये का सोना २७ अप्रैल, १९५४ को कैसलराक स्टेशन पर एक माल गाड़ी के इंजन में पाया गया था ?

**वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा)** : २७ अप्रैल १९५४ को कैसलराक पर एक माल गाड़ी के साथ लगे हुए इंजन से लगभग १३६,४०० रुपयों का सोना बरामद किया गया था।

**रक्षा संगठन का मुख्य टेक्नीकल कार्यालय**

५९१. **श्री जांगड़े** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रक्षा संगठन के मुख्य टेकनीकल कार्यालय (लेखा-परीक्षा विभाग) को भारत के नियन्त्रक-महा-लेखा परीक्षक के अधीन लाने का विचार है।

**रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** . इस नाम का कोई संगठन नहीं है।

यदि माननीय सदस्य का निर्देश मुख्य टेकनीकल परीक्षक के संगठन की ओर है, जो कि क्वार्टर-मास्टर जनरल के अधीन काम करता है, तो मैं यह बतलाना चाहूंगा कि इस संगठन को भारत के नियन्त्रक महा-लेखा-परीक्षक के अधीन लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**अणुवीक्षण यन्त्र**

५९२. **डा० रामा राव** : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२-५३ और १९५३-५४ में आर्डनेंस या अन्य रक्षा सम्बन्धी उद्योगों ने तेल में डुबे हुए लेन्स वाले अधिक शक्ति के कितने अणुवीक्षण यन्त्र बनाये;

(ख) इस अवधि में कितने यन्त्र बेचे गये।

(ग) इस अवधि में कितने यन्त्र राज्य सरकारों को नि:शुल्क या रियायती दर पर बेचे गये;

(घ) देश में वार्षिक उत्पादन कितना है और वार्षिक आयात कितना है:

(ङ) क्या इस में प्रयोग किया जाने वाला चश्मे का शीशा भारत में तैयार किया जाता है या आयात किया जाता है; और

(च) यदि आयात किया जाता है, तो किस देश से ?

**रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) १९५२-५३ और १९५३-५४ में रक्षा मंत्रालय के कारखानों में तेल में डूबे हुए लेन्स वाले अधिक शक्ति के कोई अणुवीक्षण यन्त्र नहीं बनाये गये थे तथापि १९५३-५४ में विद्यार्थियों के काम आने वाले ६ अणुवीक्षण यन्त्र, जिन के लेन्स तेल में भीगने वाले नहीं होते बनाये गये थे।

(ख) और (ग) उत्पन्न नहीं होते।

(घ) सरकार को देश के किसी ऐसे कारखाने का ज्ञान नहीं है जो तेल में डूबने वाले लेन्स के अणुवीक्षण यन्त्र तैयार करता हो। सीमा शुल्क प्राधिकारियों के जिन से आयात किये हुए माल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है रिकार्डों से अणुवीक्षण यन्त्रों की किस्मों का पता नहीं चलता इस लिए यह कहना संभव नहीं है कि तेल में भीगने वाले लेन्स के कितने अणुवीक्षण यन्त्र प्रतिवर्ष आयात किये जाते हैं।

(ङ) तथा (च) विद्यार्थियों के अणुवीक्षण यन्त्रों में प्रयोग किया जाने वाला चश्मे का शीशा ब्रिटेन से आयात किया जाता है।

Chamber Fumigated 18/x/73

शुक्रवार,
१४ मई, १९५४

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

# संसदीय वाद-विवाद

Preservation Unit
1-4-92
Fumigated
Parliament Library

## लोक-सभा

छठा सत्र

---

शासकीय वृत्तान्त

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

**अंक ५, १९५४**

(५ मई से २१ मई, १९५४)

षष्ठ सत्र

१९५४

## विषय-सूची

### (अंक ५--५ मई से २१ मई, १९५४)

**बुधवार, ५ मई, १९५४**

सदन पटल पर रखे गये पत्र-- **पृष्ट भाग**

चाय नियम, १९५४ ४६४९

विभिन्न आश्वासनों इत्यादि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को बताने वाला विवरण ४६४९--४६५२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

आठवें प्रतिवेदन का उपस्थापन ४६५२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना--चनपतिया तथा बेतिया के बीच रेल गाड़ी का पटरी से उतर जाना ४६५२--४६५५

सदस्य की दोष सिद्धि ४६५५--४६५६

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त ४६५६--४७१०

**बृहस्पतिवार, ६ मई, १९५४**

सदन पटल पर रखे गये पत्र--

वित्त विधेयक पर हुये विवाद के दौरान में सदस्यों द्वारा पूछे गये कई प्रश्नों के सम्बन्ध में टिप्पणियां ४७११--४७१६

तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ४७१६--४७१७

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाना--

कोलम्बो में हुए एशियाई प्रधान मंत्री सम्मेलन में मोराक्को, ट्यूनेशिया, फिलिस्तीन और इसराईल के सम्बन्ध में भारत के प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के विषय में समाचार पत्रों की रिपोर्ट ४७१७--४७१९

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--

संयुक्त समिति को सौंपने तथा जनमत के लिये परिचालित करने का प्रस्ताव तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता को संशोधित करने वाला श्री एस० वी० रामस्वामी द्वारा प्रस्तुत विधेयक प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त ४७१९--४७७६

**शुक्रवार, ७ मई, १९५४**

संसद सदस्य श्री बी० एल० तुडू का देहावसान

राज्य परिषद् से सन्देश ४७७७

बाल विधेयक—परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ४७७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करना—इस्पात के नये कारखाने की स्थापना का स्थान ४७७८—४७८०

**सदन** पटल पर रखे गये पत्र—

निष्क्रान्त सम्पत्ति के प्रश्न पर पाकिस्तान से हुई बातचीत के सम्बन्ध में विवरण ४७८०—४७८१

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने तथा परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त ४७८१—४८१०

**शनिवार, ८ मई, १९५४**

आश्वासन समिति—

प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन ४८११

हिमाचल प्रदेश तथा बिलासपुर (नया राज्य) विधेयक—याचनाओं का उपस्थापन ४८११—४८१२

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

चन्द्रनगर जांच आयोग की सिफारिशों के बारे में भारत सरकार के निर्णय ४८१२

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी विधेयक—पुरःस्थापित ४८१२—४८१३

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपा गया ४८१३—४८४४

हिमाचल प्रदेश तथा बिलासपुर (नया राज्य) विधेयक—संशोधित रूप में पारित ४८४४—४८७५

शिलांग (राइफल रेंज तथा उमलांग) छावनियां विधि आत्मसातकरण विधेयक—संशोधित रूप में पारित ४८७५—४८७७

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक—प्रवर समिति को सौंपने और परिचालित करने के प्रस्ताव—असमाप्त ४८७७—४९०६

**सोमवार, १० मई, १९५४**

लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना—सिंगरैनी कोयला खान, को थागुडियम, हैदराबाद में दुर्घटना ४९०७—४९१०

समितियों के लिये चुनाव—

प्राक्कलन समिति ४९१०

लोक लेखा समिति ४९१०—४९११

लोक लेखा समिति में राज्यपरिषद् के सदस्यों का रखा जाना ४९११—४९१२

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ४९१२

| | |
|---|---|
| रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक—प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—स्वीकृत | ४९१२—४९२५ |
| हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने, के विषय में राजयपरिषद् की सिफारिश से सहमति के लिये के प्रस्ताव—असमाप्त | ४९२५—४९४८ |
| शान्ति के कामों के लिये अणुशक्ति का प्रयोग | ४९४८—४९८२ |

**मंगलवार, ११ मई, १९५४**

| | |
|---|---|
| सदन पटल पर रखे गये पत्र— | |
| दिल्ली राज्य बिजली बोर्ड का १९५३-५४ का पुनरीक्षित प्राक्कलन और १९५४-५५ का आय व्ययक प्राक्कलन, और १९५४—५५ के आय व्ययक प्राक्कलनों के सम्बन्ध में व्याख्यात्मक टिप्पणी | ४९८३ |
| तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि | ४९८३—४९८४ |
| सदन का कार्य— | |
| भाषणों के लिये समय सीमा | ४९८४—४९८५ |
| हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक— | |
| संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राज्य परिषद की सिफारिश से सहमति के लिये प्रस्ताव—असमाप्त | ४९८५—५०४४ |

**बुधवार, १२ मई, १९५४**

| | |
|---|---|
| विशेषाधिकार प्रश्न | ५०४५—५०५० |
| सदन पटल पर रखे गये पत्र— | |
| प्रशिक्षण तथा नियोजन सेवा संगठन समिति की रिपोर्ट | ५०५० |
| राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणन जांच समिति की रिपोर्ट | ५०५० |
| अनुदान की मांगों (रेलवे) के सम्बन्ध में विवरण | ५०५०—५०५१ |
| प्राक्कलन समिति—सातवीं रिपोर्ट का प्रस्तुत करना | ५०५१ |
| गैर सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—नवीं रिपोर्ट का प्रस्तुत करना | ५०५१ |
| हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—याचिकायें प्राप्त | ५०५१—५०५२ |
| रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर पर पुनर्विलोकन करने के लिये संसदीय समिति की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत | ५०५२—५०५३ |
| हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राज्य परिषद् की सिफारिश से सहमति के लिये प्रस्ताव—असमाप्त | ५०५३—५१०८ |
| राज्य परिषद से सन्देश | ५१०८ |

विशेष विवाह विधेयक--परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५१०८

**बृहस्पतिवार, १३ मई, १९५४**

राज्य परिषद् से सन्देश ५१०९—५१११

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक--परिषद् द्वारा संशोधित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५१११

पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) विधेयक—परिषद् द्वारा संशोधित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५१११

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक—परिषद् द्वारा संशोधित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५१११

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

सुदूर पूर्व के अंतर्राष्ट्रीय सैनिक न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में भारत सरकार द्वारा अपने अधिकारों तथा न्याय क्षेत्र के बारे में प्रेस विज्ञप्ति ५१११—५११२

अचल सम्पति अधिग्रह तथा अर्जन अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत अधिसूचना ५११७

भाग 'ग' राज्यों की सरकारें (संशोधन) विधेयक--याचिकायें उपस्थापित ५११७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना--जापानी युद्ध अपराधियों के विषय में क्षमा-दान प्रबन्ध में पाकिस्तान का अविश्राम भारत के वैध उत्तराधिकारी के रूप में सम्मिलित किया जाना ५११२—५११७

विशेषाधिकार का प्रश्न ५११७—५१२३

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन—चर्चा असमाप्त ५१२३—५१७६

काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक--वापस लिया गया ५१७६—५१७७

काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ५१७७

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राज्य परिषद् की सिफारिश से सहमति के लिए प्रस्ताव—स्वीकृत ५१७७—५१९५

**शुक्रवार, १४ मई, १९५४**

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

१९५४-५५ के लिए अनुदानों की मांगों (रेलवे) के सम्बन्ध में सदस्यों से प्राप्त हुये कुछ ज्ञापनों के उत्तर देने वाले विवरण ५१९९

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५४—याचिका उपस्थापित ५१९९—५२००

४ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ५२००

हाउस आफ पीपुल और पार्लियामेंट सेक्रेटेरियट का हिन्दी और अंग्रेजी में नामकरण ५२०१

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक—पुरःस्थापित ५२०१—५२०२

संस. सदस्यों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी विधेयक—संशोधित रूप में पारित ५२०२—५२५३

निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में चर्चा ५२५३—५२६८

**शनिवार, १५ मई, १९५४**

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में संकल्प—चर्चा असमाप्त ५२६९—५३५४

**मंगलवार, १८ मई, १९५४**

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ५३५५

राज्य परिषद् से संदेश ५३५५—५३५७

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक—परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५३५७—५३५८

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त का वार्षिक प्रतिवेदन ५३५८

अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ५३५८—५३५९

तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ५३५९

सहायक प्रादेशिक सेना विधेयक—पुरःस्थापित ५३५९—५३६०

अन्तर्राष्ट्रीय-स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव
स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकृत ५३६०—५४०९

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक
राज्य परिषद् द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार किया गया ५४०९—५४१०

पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) विधेयक
राज्य परिषद् द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार किया गया ५४१०

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक—राज्य परिषद् द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार किया गया ५४११—५४१३

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकृत ५४१३—५४५१

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ५४५२—५४५४

**बुधवार, १९ मई, १९५४**

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) १९५२—भाग १ ५४५५

१९५१–५२ के भारतीय रेलवेज़ के विनियोग लेखे, भाग १—पुनर्विलोकन ५४५५

१९५१–५२ के भारतीय रेलवेज़ के विनियोग लेखे, भाग २—विस्तृत विनियोग लेखे ५४५५

१९५१–५२ के भारतीय रेलवेज़ के अवरुद्ध लेखे (जिसमें वे पूंजी-विवरण भी सम्मिलित है, जिनमें ऋण लेखे भी दिये हुये हैं), आयव्यय विवरण पत्र तथा हानि लाभ लेखे ५४५६

१९५१-५२ के रेलवे की कोयला खदानों के आयव्ययक विवरण पत्र तथा कोयले आदि की कुल लागत के विवरण ५४५६
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, रेलवेज़, १९५३ ५४५६
सामदायिक परियोजनाओं सम्बन्धी मूल्यांकन प्रतिवेदन ५४५७
चलचित्र जांच समिति की सिपारिशें ५४५७
अनुदानों की मांगों (रेलवे) सम्बन्धी ज्ञापनों के उत्तर ५४५७
विस्थापित व्यक्तियों की शिकायतों सम्बन्धी याचिकाएं ५४५७—५४५८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना—उड़ीसा में चावल का अतिरिक्त स्टाक ५४५८—५४६०
काफ़ी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—स्वीकृत ५४६०—५५०१
विशेष विवाह विधेयक—विचारार्थ
प्रस्ताव—असमाप्त ५५०१—५५४६

**बृहस्पतिवार, २० मई, १९५४**

सदन पटल पर रखे गये पत्र—
तारांकित प्रश्न संख्या ९३२ के एक अनुपूरक प्रश्न के दिये गये उत्तर को ठीक करने वाला वक्तव्य ५५४७—५५४८
सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—तृतीय प्रतिवेदन उपस्थापित ५५४८
विशेष विवाह विधेयक—विचारार्थ प्रस्ताव—परिषद् द्वारा पारित रूप में—असमाप्त ५५४८—५६१९
राज्य परिषद् से सन्देश ५६१९—५६२०

**शुक्रवार, २१ मई, १९५४**

सदन पटल पर रखे गये पत्र—
विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं तथा वचनों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण ५६२१—५६२२
खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९४८ की धारा १० के अन्तर्गत अधिसूचनायें ५६२३
दामोदर घाटी निगम के विषय में राव समिति का प्रतिवेदन ५७१३
राव समिति के प्रतिवेदन पर सरकार के विनिश्चय ५७१४
प्राक्कलन समिति के पंचम प्रतिवेदन की सिपारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण ५७१४
प्राक्कलन समिति—आठवें तथा नवें प्रतिवेदनों का उपस्थापन ५६२३
याचिका समिति—तीसरे प्रतिवेदन का उपस्थापन ५६२३
अनुपस्थिति की अनुमति ५६२४
केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन के लिये ट्रेक्टर खरीदने सम्बन्धी वक्तव्य ५६२४—५६३३
भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक सम्बन्धी वक्तव्य ५६३३—५६४५
निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ५६४५—५६४६
प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ५६४६
विशेष विवाह विधेयक—विचारार्थ—असमाप्त ५६४७—५७१२
राज्य परिषद् से सन्देश ५७१२

GIPD—HSD—918 LS—10-12-54—285

# लोक-सभा

शुक्रवार, १४ मई, १९५४

---

लोक सभा सवा आठ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

## प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

९.२४ म० पू०

## सदन पटल पर रखे गये पत्र

### सन् १९५४-५५ के लिये अनुदानों की मांगों (रेलवे) के सम्बन्ध में सदस्यों से प्राप्त हुए कुछ ज्ञापनों के उत्तर देने वाला विवरण

**रलव तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : मैं कुछ अग्रेतर विवरणों की जिनमें, १९५४-५५ के लिये अनुदानों की मांगों (रेलवे) के सम्बन्ध में सदस्यों से प्राप्त हुए कुछ ज्ञापनों के उत्तर दिये गये हैं एक एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एस० १६९/५४]**

### दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक १९५४ याचिकाओं का उपस्थापन

**श्री एम० एल० द्विवेदी** (ज़िला हमीरपुर) : क्रिमिनल प्रोसीज्योर कोड अमेंडमेंट बिल, १९५४, पर एक प्रार्थना पत्र में सदन के सन्मुख प्रस्तुत करता हूं।

### तारांकित प्रश्न संख्या ६०६ के संबंध में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि

**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : ४ दिसम्बर, १९५३ को सेठ गोविन्द दास के एक अनुपूरक प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया गया था :

> "अन्त में हमने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा से जिसका अनुभव बहुत विस्तृत है और जो वर्षों से हिन्दी के प्रचार के लिये योजना तैयार करता रहा है, पूछा था और तुरन्त अनुदान देना स्वीकार कर लिया था। सभा ने योजना प्रस्तुत की और यह स्वीकार कर ली गई।"

सही स्थिति यह है कि अखिल भारतीय हिन्दी परिषद को एक योजना तैयार करने को कहा गया था, और उक्त परिषद ने सरकार के पास एक योजना प्रस्तुत की थी। वह योजना स्वीकार की गई है और उसको क्रियान्वित के निमित्त एक अनुदान दिया गया है। यह भी बताया जा सकता है कि श्री एम० सत्यनारायण संसद सदस्य, इन दोनों संगठनों के सचिव हैं।

## हाउस आफ पीपुल और पार्लमेंट सेक्रेटेरियट का हिन्दी और अंग्रेज़ी में नामकरण

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यों को विदित है कि अंग्रेजी भाषा में "लोक सभा" को "हाउस आफ दी पीपुल" कहते हैं। और हिन्दी को राज्य भाषा के पद पर आसीन करने की दिशा में एक क़दम आगे बढ़ाने के विचार से, और सदन के नेता की सहमति से, मैं ने यह निश्चय किया है कि इस सदन को सरकारी तौर पर "लोक सभा" के नाम से पुकारा जाय, सदन के सारे काग़ज़ों पर यही शीर्षक दिया जाय ।

तदनुसार इस सदन के सचिवालय का नाम "लोक सभा सचिवालय" होगा, और अब से आगे नोटिस आदि इसी पते से भेजे जायें ।

संसद सदस्यों के नाम करण पर विचार किया जा रहा है और निर्णय सब को सूचित किया जायेगा ।

---

## विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर और पुनर्वास अनुदानों के भुगतान तथा उस से सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

> "विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर और पुनर्वास अनुदानों के भुगतान तथा उस से सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

**श्री ए० पी० जैन :** मैं विधेयक को प्रस्तुत करता हूं ।

---

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

## संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी विधेयक

**संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) :** मैं प्रस्ताव* करता हूं कि :

> "संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

मैं इस विधेयक के पीछे जो इतिहास है उस का वर्णन नहीं करना चाहता हूं क्योंकि कई बार मै ने सदन को बताया है कि किस प्रकार दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति बनाई गई थी, और उसने क्या सिफारिशें की थीं । सदन को यह भी ज्ञात है कि कई कारणों से, यद्यपि पहली रिपोर्ट जुलाई १९५२ में प्रस्तुत की गई थी, इस विषय में संसद ने कोई विशिष्ट विधि नहीं बनाई थी । पिछले वर्ष २७ मार्च को, सदन की अनुमति से, पुरानी संयुक्त समिति को पुनः चालू किया गया था और संसद सदस्यों के वेतनों और भत्तों के मामलों को पुनःनिर्देश किया गया, ताकि वह परिवर्तित परिस्थितियों को दृष्टि में रखकर और विशेषतया कुछ रेलवेज़ में प्रथम श्रेणी के उन्मूलन को ध्यान में रखकर समस्त प्रश्न पर विचार करे । समिति का प्रतिवेदन कुछ समय पहले सदन पटल पर रखा गया है और सदन को अब तक उस के

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश के साथ प्रस्तुत किया गया ।

सम्बन्ध में पूरी बात ज्ञात हो चुकी है। समिति की रिपोर्ट एकमत से लिखी गई थी उसमें केवल एक आंशिक विमति टिप्पणी थी। जब वह रिपोर्ट सरकार के सामने रखी गई, तो सरकार ने यह परिणाम निकाला कि मामला सीधे संसद् के सदस्यों से सम्बन्ध रखता है, और क्योंकि समिति की रिपोर्ट जो दोनों सदनों में सभी दलों का प्रतिनिधित्व करती थी, प्राय: एकमत से लिखी गई थी, तो इसमें कुछ परिवर्तन करना उस के लिये उचित या वांछनीय नहीं था। इसलिये, आप देखेंगे कि यह विधेयक उक्त समिति की सिपारिशों के आधार पर बनाया गया है, केवल थोड़ा परिवर्तन किया गया है और वह विकल्प अवधि के बारे में है। संक्षेप में, सरकार का इस विधेयक के बारे में यह दृष्टिकोण है। इसलिये सरकार केवल एक दो मौखिक प्रकार के संशोधनों को छोड़ कर, जिनकी मैं ने सूचना दी है, कोई संशोधन नहीं रखना चाहती है। बड़ी बातों के विषय में, यदि कोई संशोधन रखा जाता है या उसका विरोध किया जाता है, तो सरकार पूर्णतया निष्पक्ष रहेगी। मामला पूर्णतया सदन के बहुमत पर छोड़ दिया गया है। सदा यही किया जाता है, किन्तु विशेषतया इस मामले में अधिक निष्पक्षता से काम लिया गया है, क्योंकि इस का प्रभाव और संबंध सीधे सदस्यों पर पड़ेगा। इसलिये सरकार ने इस विधेयक को गैर सरकारी और गैर-दलीय मामला बनाया है।

इस दृष्टि से, मैं आशा करता हूं कि सदन अधिक समय नहीं लेगा और शीघ्र ही इस विधेयक को पारित कर देगा, ताकि मैं इसे दूसरे सदन के स्थगित होने से पहले, वहां विचारार्थ प्रस्तुत कर सकूं। हम उत्सुक हैं कि इस विधेयक के उपबन्धों को अगले महीने की पहली तिथि से लागू किया जाय। मैं प्रस्ताव करता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

> "संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मुझे १० संशोधनों की सूचना प्राप्त हुई है।

**श्री वेलायुधन** (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के प्रथम दिन तक लोक मत जानने के लिये इस विधेयक को परिचालित किया जाये।

**श्री नम्बियार** : (मयूरम) : जनमत तो यह है कि हमें कुछ भी न दिया जाये।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सदन मूल प्रस्ताव तथा संशोधन पर अग्रेतर विचार करेगा।

**श्री एस० एस० मोरे** : (शोलापुर) : अन्य संशोधनों के सम्बन्ध में स्थिति क्या है ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन तो खंडों के विषय में है। उन पर विचार प्रस्ताव समाप्त हो जाने पर विचार किया जायेगा।

**श्री सारंगधर दास** (ढेनकनाल—पश्चिम कटक) : उपाध्यक्ष महोदय.....

**उपाध्यक्ष महोदय** : नई भाषा में प्रारम्भ करने का अर्थ वेतन में कुछ अन्तर होना नहीं है।

**श्री सारंगधर दास** : आज सवेरे अध्यक्ष महोदय ने राष्ट्र भाषा में कार्यवाही शुरू की है, इसलिये मैं भी आज राष्ट्र भाषा में बोलना चाहता हूं। मैं इस बिल के ऊपर जो कुछ कहना चाहता हूं उस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। इसके प्रस्तावक महोदय ने कहा कि इसके पीछे जो इतिहास है उस में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन

[श्री सारंगधर दास]

समझता हूं कि हमें उस इतिहास के भीतर जाना चाहिये । आप की चेअरमैनशिप में जो पहली कमेटी बनी थी उस में कहा गया था : "सदस्यों के दैनिक भत्तों के वर्तमान दरों में कमी करने की आवश्यकता पर सामान्यतया सभी सहमत थे ।" यह भी हमारे ध्यान में है कि दो वर्ष पहले ४० रुपये रोज़ से कुछ कम करने के लिये कमेटी बनी थी । उस कमेटी में यह भी तय हुआ था आखीर में, और उस में बहुत बहस हुई थी और बहुत से अल्टर्नेटिव्ज दिये गये थे, कि : "समिति ने निर्णय किया कि दोनों सदनों के सदस्यों को ३५ रुपये के दर से दैनिक भत्ता दिया जाना चाहिये ।"

उपाध्यक्ष महोदय, कमेटी की रिपोर्ट आये हुए डेढ़ वर्ष हुए फिर भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । फिर जब दूसरे सेशन में मिनिस्टर महोदय इस प्रस्ताव को लाये कि दैनिक भत्ता ३५ रुपया कर दिया जाय तब जो हुकूमत चलाने वाली पार्टी है उस के एक ऊंचे दर्जे के मेम्बर एक ऐमेन्डमेन्ट लाये कि इस प्रस्ताव को फिर ज्वाइंट कमेटी में भेजा जाय । मैं ने तभी कहा था कि हम मेम्बरों के ऐलाउसेंज़ और सैलरीज़ के बारे में जो कार्यवाही करते हैं, उस से मुल्क के सामने हम इस संसद् को हस्यास्पद बनाते हैं । अब फिर जो सेकेन्ड कमेटी की रिपोर्ट आई है उस पर गौर होगा, ऐमेन्डमेन्ट्स आयेंगे । मगर मुझ को मालूम है कि हुकूमत चलाने वाली पार्टी ने यह तय कर लिया है कि ४०० रुपये मासिक वेतन और २१ रुपये दैनिक ऐलाउंस होगा । साथ ही ट्रैवेलिंग के लिए पास वगैरह मिलेंगे । मैं हिसाब कर के देख रहा हूं कि पहली कमेटी में जो तय हुआ था कि वर्ष में ८४०० रुपया मिलेगा वह अब ४०० रुपये मासिक और २१ रुपये दैनिक के हिसाब से ९००० रुपये के ऊपर आता है । पहले २१० दिन का हिसाब लगाया गया था ।

**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला-भटिंडा) : वह २४० दिन के लिये था ।

**श्री सारंगधर दास** : नहीं । अब जो रखा गया है वह, जो पहली कमेटी ने तय किया था कि हमें वर्ष के लिये इतना मिलना चाहिये, उस से ज्यादा है ।

मैं आप से कहना चाहता हूं कि जिन महात्मा गांधी के लिये हम कहते हैं कि हम उनकी सन्तान हैं ......

**डा० एन० बी० खरे** (ग्वालियर) : हम नहीं हैं ।

**श्री सारंगधर दास** : कुल हिन्दुस्तानी हैं । अगर आप नहीं हैं तो आप चले जाइये ।

**डा० एन० बी० खरे** : नहीं जायेंगे : हमारा भी हक़ है यहां बैठने का ।

**श्री सारंगधर दास** : तो जो हुकूमत चलाने वाली पार्टी है उस के सब लोग महात्मा गांधी की बात करते हैं । महात्मा जी ने जो सादगी का उपदेश हमें दिया था क्या वह इस बिल में आता है कि आप ८००० रुपये का ८५०० रुपये बनाते हैं या ९००० रुपये बनाते हैं ? मुझे बहुत दुःख होता है कि जो पहले ३५ रुपये होने को थे उस को आप स्वीकार नहीं करते । आज हम एक किस्म की तब्दीली करते हैं, कल दूसरे किस्म की तब्दीली करते हैं । यह सब जो कुछ चल रहा है उससे आप को यकीन के साथ कहना चाहता हूं, सचमुच हाउस के मेम्बरान मुल्क के सामने, एलेक्टोरेट के सामने आज हास्यास्पद बन गये हैं ।

एक बात यह भी मुझे ताज्जुब की मालूम होती है । एक प्रस्ताव ऐसा था कि ४०० रुपये मासिक और २० रुपये दैनिक भत्ता होना चाहिये । मुझे नहीं मालूम कि

४२० में क्या है। मेरे वकील दोस्त जवाब दे सकते हैं। मैं तो वकील हूं नहीं, मैं सीधा साधा इन्डस्ट्रियल आदमी हूं। पता नहीं इस ४२० में क्या है कि कुछ दूसरे मेम्बरान उस को कहते हैं कि २० की जगह २१ रुपये होना चाहिये। कितने कहते हैं कि हमारे मुल्क के लोग अनपढ़ हैं। मगर मेरी राय में वे ज्ञानी लोग हैं। वे कहने लगे हैं कि यह जो संसद के सदस्य हैं, विशेषकर जो अपने को बापू जी की सन्तान कहते हैं। वे हैं ४२०+१। इसलिये मैं हाउस के सामने सब मेम्बरों से प्रार्थना करता हूं कि इतनी लालच न रखिये। आप ४०० रुपये और १९ रुपये कर दीजिये। अगर २० नहीं होगा तो कोई २०+१ नहीं कह सकेगा। मगर हमारा लालच तो इतना ज्यादा है कि अगर १ रुपया भी हम को ज्यादा मिल सकता है तो उस को हम लेना चाहते हैं। और चूंकि ४२० में हमारा अपमान होता है, इसलिये ४२०+१ कर दिया है।

**श्री आर० के० चौधरी** (गौहाटी): आप कितने रुपये मांगते हैं?

**श्री सारंगधर दास**: मैं जो कुछ मांगता हूं वह जो मेरा एक ऐमेन्डमेन्ट है उस में दिया हुआ है। पहली रिपोर्ट में जो ३५ रुपये था मैं उस की ताईद करता हूं। मैं इस बात के लिए सीरियस हूं कि पहली जो कमेटी बनी थी और उस ने जो कुछ तय किया था उस को मान लेना चाहिये।

मिनिस्टर साहब ने अभी बतलाया कि तब से डेढ़ दो वर्ष में कुछ तब्दीली हो गई है। फ़र्स्ट क्लास का जो फ़ेयर मिलता था वह अब सेकेन्ड क्लास का हो गया है। फ़र्स्ट क्लास में ट्रेवल करने से फ़र्स्ट क्लास फ़ेअर मिलता है और फ़र्स्ट क्लास नहीं है तो सेकेन्ड क्लास मिलता है।

उसके साथ सेलेरी और एलाउसेंज़ का क्या सम्बन्ध है, यह मैं नहीं जानता। मैं इसको महसूस नहीं कर सकता हूं। इसलिये जो पहले ३५ रुपया था उस की ताईद करता हूं। मैं इस बात को सीरियसली कहता हूं कि हम पार्लियामेंट के मेम्बर बराबर यह चाहते हैं कि सरकारी अफसरों की सेलेरी कम की जाय, या यह खर्चा कम किया जाय लेकिन जब हमारे एलाउंस को कम करने का समय आता है तो हम इधर उधर करना चाहते हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय**: माननीय सदस्य ऐसे संशोधन पर बोल रहे हैं, जो सदन के सन्मुख अब नहीं है।

**श्री सारंगधर दास**: मैं ने संशोधन पर नहीं कहा है।

**उपाध्यक्ष महोदय**: विधेयक में क्या खराबी है?

**श्री सारंगधर दास**: बिल के बारे में यह बात है कि यह बिल जब पहले लाया गया था तो इस पर दो बरस तक बहस हो चुकी थी। तब फिर इसको ज्वाइंट कमेटी में ले जाया गया। यह सब करने से हम हास्यास्पद बन गये हैं। मुझे इस बिल के बारे में यही कहना है और मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

**श्री वेलायुधन**: जब मैं इस संशोधन की सूचना देने को था, तब मेरा यह मत था कि यह विषय जनता को पूरी तरह ज्ञात होना चाहिये, बल्कि निर्वाचन क्षेत्रों को भी इसका ज्ञान होना चाहिये। किन्तु समिति की दूसरी रिपोर्ट को पढ़ कर मुझे बड़ा असंतोष हुआ, कि इस प्रकार की अनुत्तरदायी रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत की गई है। यह मामला भारत की समस्त जनता से सम्बन्ध रखता है! मैं मंत्रियों को वेतन के सम्बन्ध में, उनके उत्तरदायित्व के अनुसार, सहमत था। मैं हैरान था कि संसद सदस्यों का वेतन क्यों निश्चित नहीं किया गया था

[श्री वेलायुधन]

और संसद् कार्य मंत्री इस सम्बन्ध में क्यों उपेक्षता का भाव रखते हैं। हमें इस मामले में साहसपूर्वक पग उठाना चाहिये, क्योंकि इस का मतदाताओं से सम्बन्ध है। मैं समिति के ३०० रुपये वाले या वैकल्पिक प्रबन्ध वाले सुझाव से सहमत नहीं हूं। जनता के प्रतिनिधि और संसद सदस्यों के नाते हमारे उपर आने वाले उत्तरदायित्व के अनुसार हमरा वेतन निश्चत होना चाहिये। अब हमें जो वेतन आदि मिलता है, उसके विषय में लोगों को भ्रम है। लोग समझते हैं कि हमें वर्षभर न केवल दैनिक ४० रुपये ही मिलते हैं, बल्कि हमें मुफ्त मकान, मुफ्त यात्रा आदि की अनेक सुविधायें भी मिलती हैं। समूची जनता में इस प्रकार की धारणा है। हमें संसद सदस्यों का एक नियत वेतन निर्धारित करना चाहिये, क्योंकि यह सिद्धान्त संसार के लगभग सभी देशों में माना जाता है। विदेशों में संसद् सदस्यों को मिलने वाली सुविधाओं से मुझे स्पर्धा होती है। उनको हमारी अपेक्षा अधिक सम्मान प्राप्त है। मैं समझता हूं कि सारी हमारी श्रेणी निम्न होने के लिये कार्यपालिका उत्तरदायी है। यहां तक कि अपर सचिवों की स्थिति भी हम से अच्छी रखी गई है। किसी देश में भी संसद् सदस्यों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाता है।

मैं केवल इस बात का एक उदाहरण दे रहा था कि संसद् सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : पन्द्रह मिनट के बाद भी सदन की यह समझ में नहीं आ सका है कि आखिर वह चाहते क्या हैं। माननीय सदस्य को अब अपना भाषण समाप्त करना चाहिये।

**श्री वेलायुधन** : मैं केवल यह कह रहा था कि संसद् सदस्यों को उनकी प्रतिष्ठा और वेतन के अनुकूल कर्तव्यों का पालन करने के लिये उपयुक्त सुविधायें दी जानी चाहिये। मैं ऊंचे वेतन के पक्ष में नहीं हूं। मैं समझता हूं कि हमें ४०० रुपये के लगभग वेतन लेना चाहिये। मैं इस बात पर बहुत ज़ोर देता हूं कि जब हम संसद् के सत्र में भाग लेते हैं, तब हमें अधिक सुविधायें मिलनी चाहियें। मकान के अतिरिक्त हम लोगों को एक मुफ्त टेलीफ़ोन भी दिया जाना चाहिये।

मैं यह नहीं कहता कि ट्रंक काल के पैसे भी दिये जायें। कुछ माननीय सदस्य रेफ़्रीजरेटर और कूलर (कमरा ठंडा करने की मशीन) भी चाहते हैं। परन्तु मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। दूसरी बात यह है कि पता नहीं क्यों माननीय सदस्य इस बात पर बहुत ज़ोर देते हैं कि दैनिक भत्ता २१ रुपये हों। वह २० रुपये क्यों न हों?

मैं यह भी चाहता हूं कि हमें सारे भारत में इधर से उधर जाने के लिये दूसरे दर्जे का किराया मिलना चाहिये और जब हम यहां संसद के सत्र में भाग लेने आते हैं, तो हमें एक दूसरे दर्जे का और एक तीसरे दर्जे का किराया मिलना चाहिये। मैं दूसरे दर्जे के दुगने किराये के पक्ष में नहीं हूं।

मेरे यही सुझाव हैं, और मैं समझता हूं कि सदन उन्हें स्वीकार करेगा।

**आचार्य कृपालानी** (भागलपुर व पूर्निया): मेरे विचार से हमें इस विषय पर गंभीरतापूर्वक सोच विचार करना चाहिये। यह हमारी अपनी ही उपलब्धियों का एक प्रश्न है, और हमें ही उसका निर्णय करना है। हम इस विषय में जो निर्णय करेंगे, देश उसी के आधार पर हमारे संबंध में अपनी धारणा बनायेगा।

पहले हम लोग ४५ रुपये दैनिक भत्ता लेते थे । बाद में हमने स्वेच्छापूर्वक उस में ५ रुपये की कमी कर दी थी, और अब हम ४० रुपये दैनिक भत्ते के रूप में लेते हैं । मुझे याद है कि जब यह प्रश्न फिर से सदन के सामने रखा गया था और एक समिति नियुक्त की गई थी, तो यह तय हुआ था कि इस बार फिर हम लोग स्वेच्छा से ५ रुपये की कटौती इस भत्ते में कर दें । परन्तु अब हमारे सामने बहुत से सुझाव हैं और समिति ने भी कुछ सुझाव दिये हैं ।

स्वायत्त शासन के प्रारंभिक काल से ही संसद्, विधान सभा या किसी स्थानीय निकाय की सदस्यता को एक स्वेच्छा से किये जाने वाला देशभक्ति पूर्ण कर्त्तव्य माना गया है । सिद्धान्त यह है कि यह कर्त्तव्य एक नागरिक के कर्त्तव्य के रूप में किया जाना चाहिये और उसके लिये कोई पारिश्रमिक नहीं लिया जाना चाहिये । परन्तु बाद में जब विधान सभाओं और संसद् का काम बढ़ गया और अपने कर्त्तव्यों के पालन में सदस्यों को कुछ धन व्यय करना पड़ा, तो उनको कुछ पारिश्रमिक देना उचित और ठीक समझा गया । जहां तक स्थानीय स्वायत्त शासन का संबंध है, आजकल भी वह सिद्धान्त एवं व्यवहारिक दोनों ही रूप, में स्थानीय मामलों के सम्बन्ध में सहयोग देने का एक नागरिक का कर्त्तव्य मात्र है, जिसके लिये कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है । ऐसी दशा में, मैं समझता हूं कि यह कहना बेकार होगा कि हमारा संसदीय कार्य पूरे समय का काम है, और यह कि हमें ऐसे भत्ते मिलने चाहियें जिन से हम स्वयं और अपने परिवारों को आराम से रख सकें । मैं तो सदन से यही अनुरोध करूंगा कि वह इस पुराने सिद्धान्त को स्वीकार करे कि यह एक पूरे समय का काम नहीं है और यह कि इसके लिये हमें अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले भत्ते या पारिश्रमिक की आशा नहीं करनी चाहिये ।

एक बात यह भी है कि हमें दूसरों के सामने उदाहरण उपस्थित करने चाहियें । अधिक सुविधाओं और अधिक भत्तों की प्राप्ति ही में हमारी प्रतिष्ठा निहित नहीं है । प्रतिष्ठा के संबंध में हमें ऐसे विचारों को छोड़ देना चाहिये । हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमें एक कठिन जीवन व्यतीत करना है, चाहे उन अधिकारियों को, जिन्हें हम नियुक्त करते हैं ऊंची तनख्वाहें मिलती हों और वे अधिक आराम से रहते हों । हमें उनके सामने एक उदाहरण या आदर्श रखना है । अतः मैं यह अनुरोध करूंगा कि अभी हमें जितना भत्ता मिल रहा है, उससे थोड़ा कम रखा जाय । मैं यह जानता हूं कि इससे हमें काफी असुविधा होगी, परन्तु इस असुविधा को हमें हंसी खुशी बर्दाश्त कर लेना चाहिये और यह दिखा देना चाहिये कि हम सच्चे देश भक्त हैं और हमारा सबसे पहला उद्देश्य अपने देश की आर्थिक दशा को सुदृढ़ बनाना है । यह याद रखिये कि यदि हम अपनी उपलब्धियों में बराबर वृद्धि करते चले गये तो एक दिन ऐसा आ जायेगा जब यह देश यह अनुभव करने लगेगा कि आर्थिक दृष्टि से लोकतंत्र एक भार है । पहले एक राज्यपाल और उसके चार या पांच सलाहकार सारे शासन का प्रबन्ध करते थे । अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उस के स्थान एक राज्यपाल और तीस या चालीस मंत्रिगण हो गये हैं । इसके साथ ही यदि हमारा अपना व्यय भी बढ़ता गया तो यह देश लोकतंत्र को छोड़ कर एकतंत्र की ओर झुक जायेगा । अतः लोकतंत्र के आर्थिक पहलू का ध्यान रखना हमारे लिये बहुत आवश्यक है ।

आशा है सदन मेरे इन विचारों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगा । यदि हमारा

[आचार्य कृपालानी]

आचरण ठीक रहा, तो हम देखेंगे कि सरकारी कर्मचारी और मंत्रीगण भी, अपने वेतनों में कमी करने को तैयार हो जायेंगे ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : चूंकि हमारे पास इस विधेयक के लिये समय कम है, अतः मैं समझता हूं कि अच्छा यह होगा कि अब मैं विचार प्रस्ताव को प्रस्तुत कर दूं और खण्डवार चर्चा के समय माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दूं ।

**श्री एच० एन० मुकर्जी** (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : हमारे दल का दृष्टिकोण अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है । खण्डवार चर्चा के समय ऐसा नहीं हो सकेगा । अतः हमें इसके लिये अवसर मिलना चाहिये ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं खण्डवार चर्चा के समय साम्यवादी दल के माननीय सदस्य को इसके लिये भी अवसर दे दूंगा । क्या अब श्री वेलायुधन के परिचालन सम्बन्धी प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है ?

**श्री वेलायुधन** : मैं उसके लिये आग्रह नहीं करता हूं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

**डा० लंका सुन्दरम्** (विशाखापटनम): खण्डवार चर्चा आरंभ करने से पूर्व मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मुझे पता चला है कि इस विधेयक के संबंध में सरकार कुछ नये संशोधन प्रस्तुत करने जा रही है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : वे औपचारिक हैं !

**डा० लंका सुन्दरम्** : जी नहीं, श्रीमान् । मेरा निवेदन है कि उनसे प्रक्रिया और इस सदन एवं दूसरे सदन के बीच के संबंध का प्रश्न पैदा हो जाता है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : वे खण्ड ६ और ७ से संबंधित हैं । जब हम उन खण्डों पर आयेंगे तब हम उन पर विचार कर सकते हैं । अब हम खण्ड २ को लेंगे ।

**खंड २—परिभाषाएं**

**श्री एस० वी० रामस्वामी** (सलेम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १ में पंक्ति ८ के बाद यह जोड़ा जाये :

> "(aa) 'day' means a calendar day beginning and ending at midnight;"
>
> ["(कक) 'दिन' का अर्थ है एक पत्री दिन जो मध्यरात्रि को आरंभ और समाप्त होता है ;"]

**श्री एस० एस० मोरे** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ १ में,—

(१) पंक्ति १२ में से शब्द "and" ("तथा") निकाल दिया जाय ;

(२) पंक्ति १४ में अन्त में शब्द "and" ("तथा") जोड़ दिया जाय ; तथा

(३) पंक्ति १४ के बाद यह जोड़ दिया जाये

> "(iii) any other member whose private income exclusive of all taxes, is more than rupees three

hundred per head of the members of his family;"

["(३) अन्य कोई ऐसा सदस्य जिसकी सब करों को मुक्त, निजी आय, उसके परिवार के प्रति सदस्य के हिसाब से, तीन सौ रुपये से अधिक है; "]

**श्री एन० एस० जैन** (ज़िला बिजनौर–दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २ में, पंक्ति ८ के बाद यह जोड़ा जाय

"Provided that when a session of a House of Parliament or a sitting of a committee is adjourned for a period of not more than two days, such period of adjournment shall be deemed to be the period of residence on duty if the member was present at the place of the session of the House or of the sitting of the Committee on the day of such adjournment."

[" परन्तु जब संसद के किसी सदन का सत्र या किसी समिति की बैठक इतने काल के लिये, जो दो दिन से अधिक न हो, स्थगित हो जाये, तो स्थगन का वह काल कार्यरत निवास का काल माना जायेगा यदि सदस्य ऐसे स्थगन के दिन सदन के सत्र अथवा समिति की बैठक के स्थान पर उपस्थित रहा हो ।]"

**ठाकुर युगल किशोर सिंह** (मुजफ्फरपुर उत्तर–पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

पृष्ठ २, पंक्ति १७ में, "business" (" व्यापार " ) के बाद यह शब्द "and the period of such residence will include the day of arrival and departure of the member" जोड़ दिये जायें —

["और ऐसे निवास काल में सदस्य के पहुंचने और लौटने का दिन भी सम्मिलित होगा"]

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त संशोधन प्रस्तुत किये गये ।

**श्री एस० वी० रामस्वामी** : मैं अपने संशोधन के द्वारा शब्द दिन की परिभाषा के लिये एक नया खण्ड जोड़ना चाहता हूं । यह शब्द इस विधेयक में लगभग दस स्थानों पर आता है , परन्तु उसकी परिभाषा नहीं दी गई है । विद्यमान नियमों के नियम २ में इसकी परिभाषा दी गई है । वही मैं यहां पर रखना चाहता हूं । उसके अनुसार 'दिन' शब्द का अर्थ है एक पत्री दिन जो मध्यरात्रि को आरंभ और समाप्त होता है । इसकी आवश्यकता इसलिये है क्योंकि लेखापरीक्षा विभाग के अनुसार शब्द 'दिन' की परिभाषा सर्वथा भिन्न है । इसकी परिभाषा सामान्य खंड अधिनियम में भी नहीं दी गई है । अभी तक इसकी ऐसी परिभाषा न होने के कारण भूतकाल में हम लोगों के भत्तों संबंधी कई मामलों में काफी उलझनें पैदा हो चुकी हैं । अतः यह परिभाषा स्वीकार कर ली जानी चाहिये ताकि भविष्य में ऐसी कोई उलझन पैदा न हों । दिन को मध्याह्न पूर्व और मध्याह्न पश्चात् में बांटने के कारण बहुत कठिनाई पैदा हो गई है । वह इससे दूर हो जायेगी ।

**श्री सी० आर० नरसिंहन्** (कृष्णगिरि): मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । विधेयक के खण्ड ७ में दिन और दिन के भाग के विषय

[श्री सी० आर० नरसिंहन्]

में नियमों के बनाने की शक्तियां दी गई हैं ।

**श्री एस० वी० रामस्वामी** : मैं उस खण्ड को निकाल देने के लिये एक अन्य संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं ।

**श्री एस० एस० मोरे** : मेरा निवेदन यह है कि हमें सदस्यों की आर्थिक अवस्थाओं पर विचार करना चाहिये । संविधान के अनुसार हमें लोगों की धन आदि संबंधी असमानताओं को दूर करना है । अत: मेरा कथन यह है कि जिन लोगों की, परिवार के प्रति सदस्य के हिसाब से, तीन सौ रुपये प्रतिमास से अधिक की आय है, उन्हें कोई भत्ता नहीं दिया जाये । संक्षेप में यही मेरे संशोधन का सार है ।

इस संबंध में हाउस आफ़ कामन्स की प्रथा के इतिहास पर थोड़ा सा प्रकाश डालना अनावश्यक न होगा । सन् १९०६ से पहले हाउस ऑफ़ कामन्स के लिये चुने जाने वाली सभी सदस्य धनवान, पूंजीपति या बड़े ज़मींदार होते थे । १९०६ में लेबर पार्टी के सदस्य वहां की संसद में आये । वे पूर्ण रूपेण मज़दूरों के हित के लिये काम करते थे और उनकी अपनी कोई निजी आय नहीं थी । अत: उन्हें संसद् में अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन में बहुत कठिनाई होने लगी । ऐसी परिस्थिति में सन् १९११ में सदन के प्रत्येकसदस्य के लिये ४०० पौंड वेतन और वार्षिक भत्ते की मंजूरी दी गई थी ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या वहां पर अमीर और गरीब सदस्यों के बीच कोई भेदभाव किया गया है ?

**श्री एस० एस० मोरे** : मैं इसपर आऊंगा तथा आपके सभी प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दूंगा ।

श्री लॉयड जार्ज ने, जो उस समय कोषाध्यक्ष थे, इस विधान को पुरःस्थापित करते समय कहा था कि भावनाओं को विचाराधीन रखना महत्वपूर्ण बात थी । उन्होंने ४०० पौण्ड को केवल एक भत्ता समझा था जिस से लोग वहां आकर राज्य के प्रति असीम सेवा कर सकें तथा अपने देश को महान, सुदृढ़ तथा समृद्ध बना सकें तथा अपने परामर्श और वीरता से उसे विपत्तियों में से निकाल सकें ।

श्रीमान्, हाउस आफ़ कामन्स में ऐसे भी बहुत से सदस्य थे जो प्रत्येक मास वेतन लेने को तैयार नहीं थे । श्री बाल्डिवन का एक ऐसा उदाहरण था ।

कहा गया है कि हमें देशभक्ति से प्रेरित होकर कुछ सेवा करनी चाहिये । परन्तु ऐसी सेवा का अर्थ क्या है ? अब यदि युद्ध काल में कोई व्यक्ति गड्ढे में रहा हो तो उसका अर्थ यह नहीं लिया जा सकता है कि उसका मकान भी उतना ही लम्बा चौड़ा होना चाहिये जितना कि वह गड्ढा था। इसी प्रकार से स्वतंत्रता युद्ध में बलिदान तथा त्याग करने वालों की आवश्यकता बहुत बढ़ चुकी है । उनके परिवार बहुत बड़े हैं-- यह कह देना आसान है कि हमें इस कर्त्तव्य को सारे समय का काम नहीं समझ लेना चाहिये । हम वकीलों को ही लीजिये । हमारे पास अब कोई मुकदमे नहीं आते हैं । दूसरे वकील बाहर से ही उन्हें सम्हाल लेते हैं ।

मेरा निवेदन यह है कि हमें इस मामले पर विचार करते समय पक्षपात से काम नहीं लेना चाहिये । हमें सोचना यह है कि एक संसद्-सदस्य का कम से कम निर्वाह-स्तर क्या होना चाहिये ? संसद्-सदस्यों को उदर-पोषण के अतिरिक्त पुस्तकों आदि के

खरीदने जैसी और भी आवश्यकतायें होती हैं। यह बात अलग है कि आप संविधान में सभी के लिए सामाजिक तथा आर्थिक समता चाहते हैं। यदि ऐसा है तो आप मंत्रियों, बड़े बड़े व्यापारियों तथा सभी दूसरे बड़े लोगों से एकसा व्यवहार करें केवल हम जैसा निर्धनों से ही देशभक्ति की आशा क्यों की जाये। हमें रोगी होने पर औषधियों तथा चिकित्सा सुविधाओं को खरीदने के लिए धन की आवश्यकता है।

मैं जानता हूं कि उच्च मध्यम-श्रेणी के कुछ लोग समाजवादी तथा साम्यवादी बने बैठे हैं। मुझे उनकी शुद्ध भावनाओं पर कोई सन्देह नहीं है। परन्तु मेरा कहना है कि ऐसे व्यक्तियों को, जो अपनी निजी सम्पत्ति से अच्छी तरह निर्वाह कर सकते हैं, यह भत्ता नहीं लेना चाहिये। धन की चिन्ता पुरुष को घुन की तरह अन्दर ही अन्दर खा जाती है। इस कारण जिन लोगों के बड़े परिवार हैं, उनका ध्यान अवश्य ही रखा जाना चाहिये। भत्ते के देने में सदस्य विशेष की आवश्यकतायें आधार समझी जायं। मेरा सुझाव है कि जिन सदस्यों की आय ३०० रुपये प्रति परिवार–सदस्य है, उन्हें कोई भत्ता नहीं मिलना चाहिये। इस अभिप्राय से हमें सब सदस्यों से निजी आय सम्बन्धी व्यौरा मांगना चाहिये।

यह प्रश्न कांग्रेस अथवा साम्यवादियों या निर्धनों व धनिकों के समर्थकों का नहीं है; प्रश्न धनी सदस्यों तथा गरीब सदस्यों का है। हम में ऐसे भी सदस्य हैं जो साउथ एवेन्यू से संसद् भवन में आने के लिए भी चार आने के पैसे भी बचाना चाहते हैं। गरीब व्यक्ति का मनोविज्ञान ऐसा ही होता है। उसे यह कहने से कोई लाभ नहीं है कि "आपने देश के लिए त्याग किया है। आप पूर्ववत त्याग करते जाइये।" एकमात्र वस्तु जिसका अब वह त्याग कर सकता है, वह है उसका अपना, अपनी स्त्री तथा बच्चों का जीवन।

**श्री एन० एस० जैन :** मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

संशोधन सदन की अनुमति से वापस लिया गया।

**ठाकुर युगल किशोर सिंह :** इस विषय में मेरा संशोधन यह है।

पृष्ठ २ पंक्ति १७ में "business" ["व्यापार"] के बाद यह शब्द "और ऐसे निवास काल में सदस्य के पहुंचने और लौटने का दिन भी सम्मिलित होगा" जोड़ दिया जाये।

अभी श्री रामास्वामी ने जो संशोधन उपस्थित किया है उसमें यह शब्द जोड़ने के बाद ही वह कम्पलीट होता है क्योंकि उन्होंने "डे" की डेफिनिशन तो दी है, लेकिन अगर कोई मेम्बर चला जाय तो शायद उस की गिनती ऐलाउन्स के लिये नहीं होगी। आप ने देखा होगा कि कोई मेम्बर अगर ट्रेन से ११ बजे पहुंचने वाला है और वह साढ़े बारह बजे पहुंचता है तो उसे उस दिन का ऐलाउन्स नहीं मिलता है। हवाई जहाज़ से भी ऐसा होता है कि साढ़े बारह बजे के बाद पहुंचने से ऐलाउंस नहीं मिलता है। इसलिये जैसा कि मैं ने कहा है, मेरा ऐमेन्डमेन्ट श्री रामस्वामी के ऐमेन्डमेन्ट को पूरा करता है। मैं ने यह रखा है कि जिस दिन मेम्बर आ जाय और जिस दिन वह जाय, इन दोनों दिनों की गिनती होनी चाहिये।

**उपाध्यक्ष महोदय :** संशोधन संख्या ६१।

**श्री एस० वी० रामस्वामी :** मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

[श्री एस० वी० रामस्वामी]

संशोधन सदन की अनुमति से वापस लिया गया ।

इसके बाद संशोधन संख्या ५ और ८ सदन के समक्ष मतदान के लिए प्रस्तुत किये गये और अस्वीकृत हुए ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड २ विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

**खंड ३ (वेतन तथा भत्ते)**

श्री पुन्नूस, श्री के० के० बसु, श्री राघवाचारी, श्री भागवत झा आज़ाद, श्री एम० आर० एम० स्वामी तथा डा० रामा राव ने अपने अपने संशोधन प्रस्तुत किये ।

**श्री पुन्नूस** : दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिश से मितव्ययता तो नहीं हुई है बल्कि संसद् सदस्यों की उपलब्धियों को बढ़ा दिया गया है ।

माननीय मंत्री इस मामले में तटस्थ होने का दम भरते हैं, परन्तु कांग्रेस दल के निर्णय से कोई व्यक्ति धोके में नहीं रह सकता है । वह जानते हैं कि उनके दल ने क्या निर्णय किया है । समाचारपत्रों में इस अभिप्राय की प्रकाशित रिपोर्टों का अभी तक खंडन नहीं किया गया है । मैं नहीं जानता कि क्या कांग्रेस दल के अनुसार यह राजनैतिक मामला है या नहीं । परन्तु हमारे निकट इस मामले का नैतिक पहलू अवश्य है ।

श्री मोरे ने त्याग के दिनों का वर्णन किया है, परन्तु संग्राम तो अभी चालू है । अभी हमें दरिद्रता, सामाजिक असमता तथा कई ऐसी ही बुराइयों के विरुद्ध युद्ध करना है । मैं कांग्रेस दल के नेता को आश्वासन देना चाहता हूं कि वह हमारे भत्तों में जितनी कमी चाहें, कर सकते हैं । यह प्रश्न संसद् सदस्यों का नहीं है, बल्कि सदस्यों तथा जनता का है । सदस्यों पर पहले ही बहुत अधिक व्यय हो रहा है । प्रत्येक वर्ष संसद् एक करोड़ रुपये का व्यय करता है जिसमें से ५० प्रतिशत सदस्यों की जेबों में जाता है । देश को ऐसी ही कई विधान सभाओं का व्यय भी उठाना पड़ता है ।

**श्री आर० के० चौधरी** : माननीय सदस्य का क्या सुझाव है ? ३५) रुपया ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि इस सदन में तै होने वाला वेतन अथवा भत्ता उस राशि से अधिक हो कि जिस की वे मांग कर रहे हैं । तो क्या उन का दल शेष राशि छोड़ देने के लिये तय्यार है ?

**श्री पुन्नूस** : हमें देखना यह है कि कुल खर्चा जो कि भारत की जनता को अपने राज्य के विधान मण्डलों, अपनी संसद् तथा अपने महान मंत्रियों, उपमंत्रियों के लिये करना पड़ता है वह सब मिलाकर कितना होता है । जब हमने यहां कार्य करना आरंभ किया था तभी हमने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि, हमारे लिये बहुत थोड़ी सी राशि पर्याप्त होगी । जब पहली समिति बैठाई गई थी तो हम ने कहा था कि ३०० रुपये का वेतन हो तथा १० रुपये का दैनिक भत्ता हो । हमने कहा था कि हमें चाहिये कि हम देश के सामने ऐसा उदाहरण रखें जिस में राष्ट्र के लिये त्याग हो । परन्तु यह सुझाव किसी को स्वीकार न हुआ । इस लिये हम इस संबंध में समझौते करने पर तय्यार हुए तथा अन्त में हमने स्वीकार किया कि ३०० रुपया वेतन हो तथा २० रुपया दैनिक भत्ता हो । आचार्य कृपालानी

तथा श्री सारंगधर दास का कहना था कि ३५ रुपये दैनिक भत्ता दिया जा सकता है निस्सन्देह हमने भी कहा था कि ३५ रुपया होना चाहिये, फिर भी हम चाहते यही थे कि ३०० रुपये का वेतन तथा २० रुपये का दैनिक भत्ता रखा जाये । हम चाहते थे कि कोई विकल्प न रखा जाये । दूसरी बात हम यह चाहते थे कि और हमारा अब भी विश्वास है कि एक पाई जो हम को मिलती है उस पर आयकर लिया जाये । जब हम ही आयकर विधान के किसी उपबंध का बहाना लेकर चाहेंगे कि हमको जो भत्ता या वेतन मिलता है उस पर आय कर न लिया जाये तो हम उन पर कैसे दोष लगा सकते हैं जो आयकर से बचने के लिये अनेकानेक उपाय करते रहते हैं ।

यात्रा की सुविधाओं के लिये विधेयक में सुझाव है कि सेकेण्ड क्लास का दुहरा तथा थर्ड क्लास का एकहरा किराया दिया जाये । इसी के संबंध में कांग्रेस दल का प्रस्ताव है कि संसद सदस्यों को एक सेकेन्ड क्लास का सिंगिल पास दे दिया जाये । हमें कांग्रेस के प्रस्ताव में कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु जब संसद् सदस्यों को प्रवर समितियों की बैठक में अथवा संसद् सत्र के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य से यात्रा करनी पड़े तो उन्हें केवल पासों पर ही संतोष करना चाहिये । रास्ते के खर्च के लिये हमें वेतन मिलता ही है । मैं चाहता हूं कि उस पक्ष का प्रत्येक सदस्य इस ४०० रुपये के वेतन के मामले पर भली भांति विचार कर ले यदि यह प्रस्ताव पास कर दिया गया तो जनता हमारे ऊपर हंसेगी । इसलिये एक ओर १०० रुपये हैं तथा दूसरी ओर जनता द्वारा किया जाने वाला तिरस्कार हमें इन दोनों की तुलना करनी है । ४२० का खराब अर्थ न लगाया जासके इसके लिये ४२१ रुपया कर दिया गया है । इस को ४२० रुपये के स्थान पर ३२० रुपये कर देने चाहिये हम चाहते हैं कि ३०० रुपये वेतन हो तथा २० रुपये का दैनिक भत्ता हो तथा दोनों पर आयकर वसूल किया जाये । हम एक "पास" के दिये जाने का समर्थन करते हैं यदि समितियों की बैठकों के लिये आने पर यात्रा का भत्ता कोई और लेने का अधिकार न रखा जाय । एक और बात जिस का हम विरोध करते हैं वह यह है कि ऐसा कोई विकल्प न दिया जाये जैसे दैनिक भत्ता स्वीकार करें अथवा वेतन—क्योंकि इस प्रकार जो अधिक सौभाग्यशाली हैं वे आयकर से बच जायेंगे । एक प्रश्न किया गया था कि हम क्या ५ रुपये या ऐसी ही कोई धन राशि स्वीकार करने को तैयार हैं । माननीय सदस्य को ध्यान रखना चाहिये कि हम किसी धर्मार्थ विधेयक पर विचार नहीं कर रहे हैं ।

**श्री भागवत झा आजाद** : मेरा विचार है कि मेरे माननीय मित्र कृपालानी जी ने कहा है कि हमारा कार्य सारे समय चलने वाला कार्य नहीं है । हो सकता है श्री कृपालानी के लिये ऐसा न हो क्योंकि उन को और भी बहुत से कार्यों में व्यस्त रहना पड़ता है परन्तु हमारे लिये जिनको संसद् के भीतर संसद् कार्य में तथा बाहर अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में कार्य करना पड़ता है ऐसा ही है ।

११ म० पू०

गतवर्ष हमको साढ़े छै मास सत्र का कार्य करना पड़ा । देश के पूर्वी कोने से हमको आना जाना पड़ता था । जिसमें लगभग एक सप्ताह लगता है । इसलिये साल में हमारे सात महीने सत्र के कार्य में निकल गये । अब यदि आप वास्तव में जनता का कार्य करना चाहते हैं तो आप के लिये यह भी आवश्यक है कि आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में जायें तथा लोगों को बतायें कि आप ने क्या किया और क्या नहीं किया । इस कार्य में तीन महीने लग जाते हैं । इस

[श्री भागवत झा आज़ाद]

प्रकार सारा वर्ष समाप्त हो जाता है । ४०० पये तथा २१ रुपये कोई इसका पारिश्रमिक नहीं है । हम जो कार्य करते हैं उसके लिये तो कुछ मांग ही नहीं रहे हैं । देशभक्ति तथा देश सेवा के नाम पर हम से अनुरोध किया गया है कि हम इतनी राशि की मांग न करें । परन्तु ीन वर्ष से संसद् का कार्य हो रहा है और न हमारे विद्वान मित्र ने, न उनके दल ने न किसी अन्य सदस्य ने अपनी भत्ते की एक पाई भी अस्वीकार की है । अपने भत्ते में ऐच्छिक कटौती तो कोई भी कर सकता था ।

४०० पये का वेतन तथा २१ पये का दैनिक भत्ता सब मिलाकर लगभग ५२० रुपये प्रति मास पड़ेगा । मेरे संशोधन का विरोध वही कर रहे है जिसके या तो बच्चे नहीं हैं या उनके पास और भी दूसरे साधन हैं । वास्तव में यह सब दलगत प्रचार हैं ।

सदन के लगभग एक तिहाई सदस्य आयकर देते है और मेरा अनुमान है कि इस संशोधन के कारण उनको और भी आयकर देना पड़ेगा । संसद् के एक तिहाई सदस्यों से, राजकोष को, आयकर के रूप में जो धन प्राप्त होगा वह हमारे वेतनों तथा भत्तों के रूप में खर्च होने वाली राशि से अधिक होगा हमारे साम्यवादी मित्र ३०० रुपये मासिक वेतन तथा २० पये दैनिक भत्ते के पक्ष में हैं इस को यदि दूसरे तरह से हिसाब लगाकर देखा जाय तो यही ४०० रुपये महीने तथा १५ रुपये प्रति दिवस हो जायेगा । मैं केवल ६ पये अधिक मांग रहा हूं ।

इस संशोधन को मैं इस लिये रख रहा हूं कि एक तो संसद् सदस्यों को संसद् का कार्य करने के लिये तथा अपने निर्वाचन क्षेत्रों के कर्त्तव्य पूरे करने के लिये पर्याप्त राशि मिल जाये तथा राजकोष पर अतिरिक्त राशियों का भार न पड़ने पावे ।

मेरे माननीय मित्र श्री पुन्नूस ने कहा है, "मैं आचार्य कृपालानी का पूरा पूरा समर्थन करता हूं" । मैं उन को सलाह ूंगा कि वह तिरुवांकुर-कोचीन के सबक़ को इतनी जल्दी न भूलें । आचार्य जी बहुत दिनों तक हमारे नेता, मित्र, दार्शनिक तथा पथ प्रदर्शक रहे हैं । आज कोई ऐसा विशेष दुर्भाग्य ही है कि वह हमसे कुछ दूर हो गये हैं । परन्तु हम अपने दादा को साम्यवादियों से अधिक जानते हैं । इसी लिये हमारी सलाह है कि उन का साथ करने पर हमारे मित्र को फिर धोखा ही खाना पड़ेगा ।

मैं जानता हूं हमारे देश की आर्थिक स्थिति में तथा सोवियट यूनियन, अमरीका तथा यहां तक की इंगलैण्ड की आर्थिक स्थिति में बड़ा भारी अंतर है । इस लिये हम अन्य देशों को संसद् सदस्यों के वेतनों अथवा भत्तों से अपने वेतनों तथा भत्तों की कोई तुलना नहीं कर सकते हैं ।

कंज़रवेटिव दल के अधिकांश सदस्य लखपति तथा बड़े बड़े सामान्त थे । इसी लिये जब मज़दूर दल ने सरकार बनाई तो उन्होंने भत्ते तथा वेतन बढ़ाने का प्रयत्न किया और कंज़रवेटिव दल ने उनका विरोध किया । परन्तु अब ऐसा जान पड़ता है कि सभी की इच्छा है कि भत्तों की राशि १००० पौंड से बढ़ाकर १५०० पौंड कर दी जा/ ।

साम्यवादी दल के सदस्य इतनी बढ़ बढ़ कर बातें करते हैं । क्या वे भारत की जनता के लिये अपनी आय दान करने को तय्यार हैं ? वे हमें जनतंत्र, देश भक्ति तथा देश सेवा का पाठ पढ़ाते हैं । इस पक्ष

के सदस्यों ने उस पक्ष के सदस्यों से कहीं अधिक देश सेवा की है। माननीय सदस्य ने विरोध तो इतना किया है परन्तु उन के मानस में जो बातें हैं वे उसके सर्वथा विपरीत हैं। जो कुछ भी सरकार कहती है उसका विरोध करना ही यह अपना कर्त्तव्य समझते हैं। न तो इन की देश की परिस्थिति का ध्यान रहता है और न इन का पथ प्रदर्शन वे शक्तियां करती हैं जो हमारा पथ प्रदर्शक करती रहती हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन का समर्थन करता हूं।

**श्री के० के० देसाई** (हालर) : विधेयक के खण्ड ३ के अनुसार प्रत्येक सदस्य को अधिकार दिया गया है या तो वह ३०० रुपये का मासिक वेतन तथा २० रुपये प्रति दिन के हिसाब से भत्ता या ४० रुपये प्रति दिन स्वीकार करे जैसा कि अभी तक होता था। ४० रुपये दैनिक पर कोई आयकर नहीं है। करारोपण का तरीक़ा यह है कि २५,००० रुपये से अधिक पर लगभग सात आने के हिसाब से कर लिया जाता है। विधेयक का खण्ड ३ धनी व्यक्तियों को अधिक लाभ पहुंचाने वाला है क्योंकि अधिकांश सदस्य दैनिक भत्ता लेना पसंद करेंगे क्योंकि ४० रुपये दैनिक पर कोई आयकर नहीं है तथा राजकोष से कितना ही ऐसा धन निकल जायेगा जिस पर कोई आयकर नहीं प्राप्त होगा।

श्री आज़ाद के संशोधन के अनुसार ४०० रुपये मासिक तथा २१ रुपये दैनिक भत्ता होगा। इस प्रकार मासिक वेतन साल भर में ४,८०० रुपये हो जायेगा। इस प्रकार १५०० से लेकर ४८०० रुपये तक रुपये में तीन पाई के हिसाब से आयकर लिया जायगा। कुछ सदस्यों को अन्य तरीक़ों से अतिरिक्त आय भी होगी। ऐसी दशा में यदि उनकी वार्षिक आय २५,००० रुपये से ऊपर होगी तो उनको सात आने के हिसाब से आयकर देना होगा। इसी प्रकार अधिक आय होने पर आयकर की दर बढ़ती जायेगी।

इस प्रकार जहां तक राजकोष का सम्बंध है उसके लिये यह संशोधन अधिक लाभदायक है और खण्ड ३ इतना लाभदायक नहीं है।

यदि मेरा हिसाब ठीक नहीं है, क्योंकि ७५० सदस्यों के सम्बन्ध में यह जानना कठिन है कि उनकी आय कितनी है, तो सब बातों को सोच समझकर आप फिर संशोधन कर सकते हैं। परन्तु सब बातों पर विचार करने से जान पड़ता है कि श्री आज़ाद का संशोधन राजकोष के वर्तमान भार को कम करेगा। अतः मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि वह श्री आज़ाद के संशोधन को स्वीकार कर ले।

**उपाध्यक्ष महोदय :** डा० लंका सुन्दरम्।

**डा० लंका सुन्दरम्** : श्री भागवत झा आज़ाद द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या ९५ का मैं समर्थन करता हूं। वह भी इसलिये कि इन परिस्थितियों में यही सर्व श्रेष्ठ है।

आचार्य कृपालानी ने कहा था कि विधान सभाइयों के लिए यह तो देशभक्ति पूर्ण सेवा है। खेद है कि उनके कथन से मैं सहमत नहीं हूं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या यह कार्य सारे समय का है अथवा नहीं? सदन के माननीय सदस्यों को अन्य प्रकार की चिंताएं नहीं होनी चाहिए, ताकि वे जनता की आवश्यकताओं की देखभाल करने में अधिक से अधिक समय लगायें। यदि यह सिद्धान्त एक बार स्वीकार कर लिया गया तो फिर इसके सम्बन्ध में भविष्य में कोई वाद विवाद नहीं होगा।

[डा० लंका सुन्दरम्]

जनता और मतदाताओं को यह बताने में कोई भी हानि नहीं है कि जीवन निर्वाह व्यय बढ़ गया है, खर्चों को आखिर पूरा करना है; अतः हमारा कार्य अच्छी तरह चले इसके लिए यह आवश्यक है कि हमें उचित वेतन अथवा भत्ता, अथवा वेतन और भत्ता दोनों ही मिलें ।

मैं यह अनुभव करता हूं कि इस सदन में हमें जो वेतन या उपलब्धियां मिलती हैं वें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के मध्य स्तरीय पदाधिकारी के वेतन के बराबर भी नहीं है । हमें एक स्तर भी तो रखना पड़ता है ।

मैं यह नहीं चाहता कि इस सदन में कार्य करने के लिये हमारा स्तर घटाकर एक भिखारी जैसा कर दिया जाय । मैं नहीं चाहता कि हमें ऐसी दूषित मनोवृत्तियां जैसे परमिट प्राप्त करना या सिफारिश करना—अपनानी पड़ें । मैं तो एक उस सम्मानित नागरिक के रूप में रहना चाहता हूं जिसे उपयुक्त उपलब्धियां मिलती हों ताकि जनता के सम्मुख कहूं कि दो स्थानों पर घर बसाने में हमारी अमुक कठिनाइयां हैं और हमारा यह न्यूनतम वेतन है । इंगलैण्ड में संसद् सदस्यों को १००० पाउंड वेतन मिलता है ।

वृद्धि-प्रस्ताव अभी तक विचाराधीन है उसके बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है । यहां पर हम काफ़ी दूर से आते हैं । हमारा परिवार भी हमारे साथ होता है अपने परिवार को वापिस ले जाने में तो नये प्रस्ताव के अनुसार हमारा दिवाला ही निकल जायगा । हमें दो द्वितीय श्रेणी एंव एक तृतीय श्रेणी का किराया मिलने वाला है । किन्तु यदि संशोधन संख्या ९५ कुछ और उदार होता तो मैं उसे अधिक पसंद करता ।

**श्री गाडगील** : मेरा विचार है कि इस प्रश्न पर किसी दलीय भावना के आधार पर नहीं विचार करना चाहिए । मैं यह चाहता हूं कि पद के उत्तरदायित्व तथा देश के सामान्य स्तर में कोई सम्बन्ध होना चाहिए और सदन उस पर विचार करे । संसद् सदस्य को इतना मिलना चाहिए ताकि अपने कर्त्तव्यों को उचित रूप से पालन कर सके और संसद् सदस्य सरीखा स्तर एवं प्रतिष्ठा बनाये रख सके । हमें कुछ स्तर बनाना होगा । अब प्रश्न यह है कि ३००) हो या ३५०) अथवा ४००) हों ।

जहां तक दो में से एक चुनने का सम्बन्ध है, यह प्रश्न मेरे लिए बहुत ही महत्व का है । यदि केवल भत्ते के चुनाव की ही स्वेच्छा दी जाती तो किसी भी स्थिति में मैं इससे सहमत नहीं होता ।

अब प्रश्न यह है कि वेतन कितना हो ३००), ३५०) या ४००) प्रति मास । इसके बारे में हमें संकुचित दृष्टिकोण नहीं अपनाना । यदि कोई यह कहता है कि ३००) काफ़ी है तो दूसरों को यह नहीं समझना चाहिये कि वह अधिक देशभक्त हैं और यदि दूसरी ओर कोई ४००) की बात कहते हैं तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह स्वार्थी हैं । हमारे कार्य एवं उस कार्य की उत्तरदायित्वपूर्ण प्रवृत्ति के बारे में हमें विचार करना है । हम एक प्रकार से देश के भाग्य विधाता, तथा नीति निर्धारक हैं; हमारा उत्तर-दायित्व इतने महत्व का है कि हममें से कुछ यह कहने लगेंगे कि ४००) भी काफ़ी नहीं है । किन्तु हमें कुछ स्तर तो बनाना ही है ।

वास्तव में हमारा कार्य पूरे समय का है । वर्ष में सात महीने लगातार नहीं—सदन की बैठक होती है । सत्रों के बीच में

प्रवर समिति एवं संसद के अन्य सम्बन्धित मामलों की चर्चा भी करनी पड़ती है।

डाक्टरों और विधिजीवियों का व्यवसाय तो एक प्रकार से ठप्प हो गया है। वे अपने आसामियों से अलग हो गये हैं। जिनकी जीविका के साधन स्वतन्त्र हैं उनके लिए तो ठीक है। अत: सदन को इन छोटी छोटी बातों पर, कि ३००), ३५०) या ४००) अथवा २०) अथवा २१) हो, अधिक जोर नहीं देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि २०) रुपये भत्ता हो।

दोनों सदनों के कोई भी सदस्य भविष्य में आयकर से मुक्त नहीं रहेंगे। उन्हें बताना होगा कि अन्य साधनों से उन्हें इतनी इतनी अतिरिक्त आय होती है। चाहे उसकी आय एक रुपया हो अथवा एक लाख, किन्तु उसे उस ४,८०० रुपये में जोड़ा जायगा और आयकर नियमों के अनुसार उसकी सम्पूर्ण आय पर आयकर की दर निश्चित की जायगी। उसे उस समय ज्ञात होगा कि किस धन राशि पर कर लगना है। अब जब हमारे अपने वेतन पर कर लगने जा रहा है तो अतिरिक्त आयकर लगने के प्रश्न के समय सदस्य अधिक सावधानी से काम लेंगे। सदस्य की व्यक्तिगत आय, स्वतन्त्र आय अधिक होगी और राज्य कोष को भी अधिक धन मिलेगा। जहां तक राज कोष की कुल स्थिति का सम्बन्ध है मैं इस बात से सहमत हूं कि उसका खर्च कम होगा। यदि वह स्वीकार हो गया कि कुछ वेतन तथा कुछ भत्ता दोनों ही मिलेगा तो बैठकों में भाग लेने वाले की संख्या अपेक्षाकृत कम हो जायगी। और इसका परिणाम यह होगा कि वाद विवाद अच्छे ढंग का होने लगेगा चूंकि जब सदन में कम सदस्य आयेंगे तो यह स्वाभाविक है कि यहां जो कुछ भी कहेंगे उसके लिए अच्छी तरह तैयार होकर आयेंगे।

186 LSD

**श्री गिडवानी** (थाना) : इसका तात्पर्य तो यह है कि खाली घर बैठने के लिए ही आप उन्हें वेतन देते हैं।

**श्री गाडगील** : श्री गिडवानी मेरी बात नहीं समझ पाये। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब वे यहां नहीं आयेंगे तो इससे यह स्पष्ट है कि अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में वे लोग कार्य कर रहे हैं। उस समय वे न केवल यही बात करेंगे कि निर्वाचन क्षेत्रों में क्या क्या कठिनाइयां है अपितु संसद के द्वारा किये गये कार्य से भी जनता को अवगत करायेंगे। ३००) को बढ़ाकर ४००) कर दिया गया है इसमें से कम से कम १५०) तो राज्य को चला जायगा। मैं अंत में यही कहूंगा कि ४००) वेतन तथा २०) भत्ता होना चाहिये।

श्री **एच० एन० मुकर्जी** : श्री भागवत झा आज़ाद के संशोधन का मैं विरोध करता हूं कि क्योंकि इस स्थिति में भला किस प्रकार हम अपना वेतन बढ़ा सकते हैं। श्री गाडगील ने अपने भाषण में यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वेतन तथा भत्ते में से किसी एक को चुनने के प्रस्ताव को सदन के बहुत से सदस्य बिल्कुल भी नहीं चाहते।

श्री कनुभाई देसाई ने कहा है कि वेतन निश्चित कर देने से राजकोष को लाभ होगा। मान लीजिए कि वर्ष में २०० बैठक होती हैं तो ४०) भत्ता प्रतिदिन के हिसाब से ८०००) प्रतिवर्ष का औसत आता है जब कि ४००) वेतन से एक वर्ष का ४८००) और २१) भत्ते के हिसाब से ४२००) रु० और दोनों को मिलाकर यह ९०००) हो जाता है इस प्रकार १०००) की वृद्धि होती है।

मैं समझता हूं कि ४८००) पर १०००) तो आयकर नहीं लगेगा। अतः यह स्पष्ट

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

है कि संसद रखने के कारण देश को प्रति सदस्य १,०००) और अधिक देना होगा।

डा० लंका सुन्दरम ने कहा है कि हमें अच्छी तरह से रहना है, एक मध्य वर्ग के परिवार की भांति अपना स्तर बनाना है। हमें यह देखना है कि मध्यवर्ग परिवार के व्यक्ति की औसतन आय क्या है? यदि इस भावना से हम सोचते हैं तब तो ठीक है, किन्तु फिर दिल्ली में रहकर सभी विलास एवं आराम के साधनों की इच्छा क्यों की जाती है? मैं मानता हूं कि दिल्ली में रहना बड़ी कठिनाइयों से भरा है। किन्तु यह मैं कभी भी नहीं सोच सकता और न अपने देश से यह कामना ही कर सकता हूं कि चूंकि मुझे नई दिल्ली में अच्छी तरह रहना है अतः १,०००) दिया जाय। राजनैतिक कार्यों, सामाजिक कार्यों के लिए सरकारी धन नहीं व्यय किया जाना चाहिए। राजनैतिक कार्यों के लिए उसका व्यय तो सम्बन्धित राजनैतिक दलों को करना चाहिए। गैर दलीय विधेयक पर विचार करते समय दयालुता या सद्भावना से तो कभी कभी काम लेना चाहिए।

मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि संसद सदस्य के नाते अधिक से अधिक धन राजकोष से लेने की आशा हम क्यों करते हैं? आचार्य कृपालानी ने अपने भाषण में उन दिनों का उल्लेख किया है जब कि सेवा ही देशभक्ति का चिह्न थी। यदि ऐसा ही है तो फिर अब तक जो मिलता रहा है उससे अधिक हम क्यों मांगते हैं?

इंगलैण्ड में संसद सदस्यों को दिये जाने वाले वेतन का उल्लेख किया गया है। इंगलैण्ड में संसद सदस्यों की जो सेवाएं उपलब्ध हैं उनके लिए उन्हें आपकी अपेक्षा कम ही मिल रहा है। इंगलैण्ड में जीवन निर्वाह व्यय काफ़ी अधिक है। ब्रिटेन के हाउस-आफ़-कामन्स के प्रत्येक सदस्य का अपने निर्वाचन क्षेत्र से किये जाने वाले पत्र व्यवहार का व्यय हमारी संसद के प्रत्येक सदस्य के व्यय से कहीं अधिक है। ब्रिटेन का प्रत्येक सदस्य हमारे यहां के प्रत्येक सदस्य से अच्छा पत्र व्यवहार करने वाला है। मैं जानता हूं कि हमारे यहां संसद सदस्यों को जो पत्र उनके निर्वाचन क्षेत्र की ओर से लिखे जाते हैं उनका उत्तर तक नहीं दिया जाता और एक दिन आता है जब कि उन्हें रद्दी में बेच दिया जाता है।

कुछ सदस्य यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें और अधिक सुविधायें दी जानी चाहिये। वे यह भी कहते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के सदस्य को प्रति वर्ष १,००० पौंड मिल रहे हैं। आज उनके यहां की स्थिति हमारे यहां के उपेक्षा काफ़ी कठिन है। उनमें से कुछ ने इसमें वृद्धि करने की मांग की थी परन्तु उसे नामंजूर कर दिया गया था, भारत से कहीं अधिक धनी देश होते हुए भी वहां इस मांग को मंजूर नहीं किया गया है। शायद संसद् कार्य मंत्री श्री भागवत झा आज़ाद के संशोधन को मानने जा रहे हैं और शायद उन्होंने इसके लिये असरकारी रूप से आदेश भी जारी किये हैं।

**श्री सत्य नारायण सिन्हा** : आपके लिये यह कहना उचित नहीं, यह बिल्कुल ग़लत है।

**श्री एच० एन० मुकर्जी** : यदि हमारा उद्देश्य यही है कि हम वही काम करें जिसकी जनता हम से आशा रखती है, तो फिर हमें इस विधेयक के उपबन्धों में परिवर्तन नहीं करना चाहिये।

श्री वेंकटारमन (तंजोर) द्वारा समापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

सभापन प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

**श्री सत्यनारायण सिन्हा** : मुझे इस विषय में कुछ अधिक नहीं कहना है, परन्तु कुछ सदस्यों ने अनुचित रूप से यह आरोप लगाया कि सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया है और वह इस संबंध में निष्पक्षता से काम नहीं ले रही। किसी दूसरे की सद्भावना पर सन्देह करना सरल है। सरकारी सदस्यों की निष्पक्षता का प्रमाण देने के उद्देश्य से हमने यह निश्चय किया है कि यदि विधेयक के किसी संशोधन पर मतदान होगा तो सरकारी सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। हमारी निष्पक्षता का इससे बड़ा प्रमाण मैं नहीं दे सकता।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि श्री आज़ाद का संशोधन स्वीकृत हो जाता है तो श्री पुन्नूस का दूसरा संशोधन तथा उसके साथ अतिरिक्त खंडों पर मतदान लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। परन्तु यदि श्री आज़ाद का संशोधन अस्वीकृत हो जायेगा तो दूसरे संशोधन पर मतदान लेना आवश्यक होगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री भागवत झा आज़ाद का संशोधन संख्या ९५ मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया।

सदन में मत-विभाजन हुआ; प्रस्ताव के पक्ष में २०८ मत थे और विपक्ष में ४२।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : चूंकि श्री आज़ाद का संशोधन स्वीकृत हो गया है, इसलिये बाकी के संशोधनों को नहीं लिया जायेगा। अब मैं इस खंड को सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं :

प्रश्न है :

**"कि खंड ३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

**खंड ४**—(यात्रा भत्ते)

**खंड ५**—(अंतःसत्र यात्राओं के लिये यात्रा अथवा दैनिक भत्ते)

**खंड ५क**—(रेलवे द्वारा निःशुल्क आवागमन)

**श्री भागवत झा आज़ाद** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ ३ पर पंक्ति १९ में—

"two second class fares" [दूसरे दर्जे के दो किराये] के स्थान पर "one second class fare" [पहले दर्जे का एक किराया] रखा जाये;

(२) पृष्ठ ४ पर पंक्ति ७ व ८ में—

"two second class fares" [दूसरे दर्जे के दो किराये] के स्थान पर "one second class fare" [पहले दर्जे का एक किराया] रखा जाये;

(३) पृष्ठ ४ पर पंक्ति १९ के बाद निम्नलिखित रखा जाये—

"5A-*Free transit by Railway*—Every member shall be provided with one free non-transferable second class pass which shall entitle him to travel by any Railway in India at any time but nothing contained in this section shall affect the payment of any travelling allowance payable to a member under any other provision of this Act."

[उपाध्यक्ष महोदय]

["५क—प्रत्येक सदस्य को दूसरे दर्जे का एक अहस्तान्तरणीय फ्री पास दिया जायेगा जिससे उसको भारत की किसी रेलवे द्वारा किसी समय भी यात्रा करने का हक होगा, परन्तु इस धारा में दी गई किसी बात का इस अधिनियम के अन्य किसी उपबन्ध के अन्तर्गत किसी सदस्य को दिये जाने वाले किसी यात्रा भत्ते के भुगतान करने पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ]"

**श्री एस० सी० देब** (कछार-लुशाई पहाड़ियां) ने अपना संशोधन प्रस्तुत किया।

**श्री भागवत झा आज़ाद** : मैं समझता हूं कि मेरे संशोधन पर सारे सदस्य एकमत हैं। मेरे संशोधन संख्या ११७ का तात्पर्य यह है कि संसद् के प्रत्येक सदस्य को एक फ़्री रेलवे पास मिल जाये ताकि उसे जहां कहीं जाना हो, जा सके। मेरे अन्य दो संशोधन छोटे छोटे से हैं जिनमें मैंने "दूसरे दर्जे के दो किरायों" की जगह "दूसरे दर्जे का एक किराया" रखने का प्रस्ताव किया है। मैं आशा करता हूं कि सदन एकमत से इन्हें मंजूर करेगा।

**श्री एस० सी० देब** : मैं अपने संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि आसाम, मनीपुर व त्रिपुरा के सदस्यों को प्रत्येक यात्रा का हवाई जहाज़ का ड्योढ़ा किराया मिलना चाहिये। इन सदस्यों को कलकत्ते से अपने स्थानों तक हवाई जहाज़ द्वारा यात्रा करनी होती है। कलकत्ते में उन्हें एक दिन ठहरना पड़ता है। फिर सामान आदि का किराया लगता है जिसके लिये वर्तमान विधेयक में व्यवस्था नहीं की गई है। अतः मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य मेरे संशोधन का समर्थन करेंगे।

**श्री पुन्नूस** : मैं यह चाहता हूं कि जब सदस्य प्रवर समिति या संसद् से संबंधित किसी कार्य से आयें तो उन्हें केवल दूसरे दर्जे का पास मिलना चाहिये और उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन आदि देने की आवश्यकता नहीं। आखिर ४०० रुपया प्रति मास उन्हें मिलेगा ही। इसलिये सत्रों के बीच में जब वे प्रवर समिति आदि के लिये आयें तो अच्छा यही होगा कि वे अपने साथ अपने परिवार को न लायें। और अगर लायें तो फिर इन ४०० रुपयों में से ही उनका किराया दें।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री भागवत झा आज़ाद का संशोधन संख्या ११५ मतदानों के लिये प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री एस० सी० देब का संशोधन संख्या ९० मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न है :

"कि खंड ४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ४, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री भागवत झा आज़ाद का संशोधन संख्या ११६ मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न है :

"कि खंड ५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ५, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री भागवत झा आजाद का संशोधन संख्या ११७ मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ ।

नया खंड ५क विधेयक में जोड़ दिया गया ।

**खंड ६**--(अल्प अन्तरावधियों आदि में दिये जाने वाले भत्ते)

**श्री सत्य नारायण सिन्हा** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ ४ पर २७ से ३० तक की पंक्तियों में--

"rates specified in clause (a) or clause (b) of sub-section (1) of section 3 according to the option exercised or deemed to have been exercised by him under that section." ["धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (क) अथवा खंड (ख) में इस धारा के अन्तर्गत प्रयोग किये गये अथवा प्रयोग किये गये समझे गये विकल्प के अनुसार उल्लिखित दरें"] के स्थान पर " rate specified in section 3." [धारा ३ में उल्लिखित दर] रखा जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न है :

"कि खंड ६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

**नया खंड ६क** (सुविधायें)

**श्री एस० एस० मोरे** : मैं अपना संशोधन संख्या ५० प्रस्तुत करता हूं । अपने संशोधन द्वारा मैं यह चाहता हूं कि संसद् के सदस्यों को निम्नलिखित सुविधायें दी जायें :--

(क) दिल्ली में निःशुल्क तथा सुसज्जित निवास स्थान ;

(ख) निःशुल्क टेलीफ़ोन;

(ग) संसद-सदस्य होने की हैसियत से सार्वजनिक उत्तरदायित्वों से संबंधित पत्र-व्यवहार पर डाक-व्यय का न लिया जाना;

(घ) सदस्यों तथा उनके परिवार के लोगों को निःशुल्क डाक्टरी सहायता ;

(ङ) सारे देश में रेलवे यात्रा कर सकने के लिये दूसरे दर्जे का फ्री पास तथा एक निजी सहायक के लिये मध्यम दर्जे का पास ; तथा

(च) ऐसे सदस्यों के लिये, जिनके पास आय का कोई दूसरा साधन न हो, या अपर्याप्त साधन हो, अन्य प्रकार से आर्थिक सहायता देना ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है कि चूंकि इस संशोधन से कुछ खर्च बढ़ जायेगा, इसलिये बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दे सकता ।

**श्री कृष्णचन्द्र** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ४ पर पंक्ति ३४ के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाये--

"6 A. Amenities—A Member shall be entitled to such medical, housing, telephone and postal facilities as may be prescribed by rules under section 7"

["६क--सुविधायें--सदस्य को चिकित्सा, गृह-व्यवस्था, टेलीफोन तथा डाक संबंधी ऐसी सब सुविधायें प्राप्त करने का हक होगा जो धारा ७ के अन्तर्गत नियमों द्वारा निर्धारित की जायें ।"]

[श्री कृष्ण चन्द्र]

हमें ये सब सुविधायें उपलब्ध हैं परन्तु मैं केवल यह चाहता हूं कि नियमों द्वारा कुछ अधिकार दे दिये जायें ताकि ये सुविधायें कानून से नियमित हो सकें ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री की इस सम्बन्ध में क्या राय है ?

**श्री सत्य नारायण सिन्हा** : यदि सारा मामला नियम समिति तथा दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को सौंप दिया जाये तो वह इस पर विचार कर के अपना फैसला दे देगी ।

**उपाध्यक्ष महोदय**: मैं इसे सदन के फैसले पर ही छोड़ता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ ।

नया खंड एक विधेयक में जोड़ दिया गया ।

**खंड ७**-- (नियम बनाने का अधिकार)

**श्री सत्य नारायण सिन्हा** : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ ४, पंक्ति ३५ से ४० में---

"7. *Power to make rules:*-- For the purpose of making rules under this section, there shall be constituted a Joint Committee of both Houses of Parliament consisting of five members from the Council of States nominated by the Chairman and ten members from the House of the People nominated by the Speaker."

"७. नियम बनाने के अधिकार : इस धारा के अधीन नियम बनाने के प्रयोजन हेतु संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति बनाई जायेगी जिस में सभापति द्वारा राज्य परिषद में से नामनिर्दिष्ट ५ सदस्य और अध्यक्ष द्वारा लोक सभा में से नाम निर्दिष्ट १० सदस्य होंगे ।" निविष्ट किया जाये ।

मेरा संशोधन प्रारूप का है । इस धारा के अधीन नियम बनाने के प्रयोजन हेतु संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति बनाई जायेगी जिस में सभापति द्वारा राज्य परिषद में से नाम निर्दिष्ट ५ सदस्य और अध्यक्ष द्वारा लोक सभा से नामनिर्दिष्ट १० सदस्य होंगे । संविधान में हमें ऐसे विषय के सम्बन्ध में परामर्ष का प्रयोग नहीं मिलता जिस पर अध्यक्ष और सभापति ने पारस्परिक समझौता किया हो, और यह शब्द राष्ट्रपति के सम्बन्ध में प्रयोग किया गया है कि वे अध्यक्ष अथवा सभापति से परामर्श करेंगे ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : वे संशोधन १२० को भी प्रस्तुत करें ।

**श्री सत्य नारायण सिन्हा** : मैं प्रस्ताव करता हूं : पृष्ठ ५, पंक्ति १२ और १३ में, "by the speaker of the House of the People after consultation with the Chairman of the Council of States" (राज्य परिषद के सभापति के साथ परामर्श के पश्चात लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा) के स्थान पर "by the Chairman of the Council of States and the Speaker of the House of the People" [राज्य परिषद के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा] रखा जाये ।"

**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुए । क्या और संशोधन हैं ?

**श्री कृष्ण चन्द्र** : मेरा संशोधन संख्या ११४ है । मैं प्रस्ताव करता हूं ।

पृष्ठ ५ में पंक्ति १० के पश्चात "(१) medical, housing, telephone and postal facilities mentioned in section 6 A"

["(छ) चिकित्सा गृह-व्यवस्था, टेलीफोन तथा डाक की सुविधायें जो धारा ६-क में उल्लिखित हैं"] निविष्ट किया जाये ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

**सरदार ए० एस० सहगल** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ४ में पंक्तियों ४४ और ४५ का लोप किया जाये ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

**श्री बर्मन** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ४, पंक्ति ४४ में "shortest possible" [यथासंभव छोटे से छोटा] का लोप किया जाये ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

**डा० लंका सुन्दरम** : मैं इस ढंग का सर्वथा विरोध करता हूं जिस ढंग से मंत्री ने ये संशोधन प्रस्तुत किये । संशोधन संख्या ११९ तथा १२० में सभा में प्रक्रिया के नियमों को नष्ट करने का छलपूर्ण प्रयास किया गया है । सभा के प्रक्रिया के नियमों के अधीन संयुक्त समिति को अध्यक्ष के नियंत्रण अधीन कार्य करना होता है । मुझे विश्वास है कि प्रत्येक सदस्य इस बात से सहमत होगा कि यदि विधेयक इस सभा में पुरःस्थापित किया जाये तो उस विधेयक के अधीन नियुक्त की गई समिति को अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन कार्य करना चाहिये ।

**अध्यक्ष महोदय**: उस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा ?

**श्री सत्य नारायण सिन्हा**: संयुक्त समिति स्वयं अपना अध्यक्ष चुनेगी ।

**डा० लंका सुन्दरम**: मैं पहले तो माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वे इन संशोधनों को वापस ले लें नहीं तो प्रत्येक माननीय सदस्य से मेरी यह प्रार्थना है कि वे इन्हें अस्वीकृत कर दें ।

**श्री एस० एस० मोरे** : संशोधन के अनुसार राज्य परिषद के सभापति तथा लोक सभा के अध्यक्ष दोनों को नियमों का अनुमोदन तथा पुष्टीकरण करना पड़ेगा । मूल उपबन्ध के अनुसार अध्यक्ष ने केवल सभापति का परामर्श लेना था । परन्तु संशोधन के अनुसार जो स्थिति है उस में यदि सभापति और अध्यक्ष के मत नियम के सम्बन्ध में भिन्न हों, तो ऐसे गतिरोध में किस का मत मान्य होगा ? माननीय मंत्री बतायें कि इस गतिरोध को कैसे सुलझाया जा सकता है ?

दूसरी बात यह है कि संविधान के अनुच्छेद ११८ के अनुसार संयुक्त समिति में अध्यक्ष को ही अध्यक्षता करनी चाहिये । यदि संयुक्त समिति में अध्यक्ष और सभापति दोनों अध्यक्षता के लिये अपने अपने अधिकार की मांग करें तब क्या होगा ? इसी विवाद को रोकने के लिये संविधान में उपबन्ध कर दिया गया था । इसलिये मेरा यह निवेदन है कि ये संशोधन संविधान की भावना के अनुकूल नहीं हैं ।

**श्री सत्य नारायण सिन्हा** : प्राथमिकता के प्रश्न के सम्बन्ध में जहां तक मुझे जानकारी है प्राथमिकता अधिपत्र के अधीन सभापति को अध्यक्ष की अपेक्षा प्राथमिकता दी गई है क्योंकि वह उप-राष्ट्रपति है । (कुछ माननीय सदस्य : नहीं नहीं) प्राथमिकता अधिपत्र का प्रयोग सभा से बाहर होता है

संविधान में जहां कहीं भी एक स्थान पर दोनों नाम आये हैं वहां सभापति को पहले रखा गया है और अध्यक्ष को बाद में । इस लिये इस में सम्मान का प्रश्न उत्पन्न नहीं

[श्री सत्यनारायण सिन्हा]

होता। हम ने संविधान की भावना का ही पालन किया है।

**श्री सी० सी० बिस्वास** : माननीय सदस्यों से मेरी यह प्रार्थना है कि वे अनुच्छेद ९७, अनुच्छेद ११८ के उपखण्ड (२) तथा (३) और अनुच्छेद १२० तथा १२१ के परन्तुक की ओर निर्देश करें, जहां कहीं भी इन दो पदाधिकारियों का उल्लेख हुआ है राज्य परिषद के सभापति का नाम पहले आया है और अध्यक्ष का बाद में। खींचातानी अथवा गतिरोध की काल्पनिक संभावना के सम्बन्ध में हम ने नहीं सोचा था, परन्तु हमें यह आशा है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।

**श्री एस० एस० मोरे** : संसदीय कार्य मंत्री केवल उस स्थिति को ध्यान में रख रहे हैं जिस में दोनों सदनों में एक ही दल का प्रभुत्व है। हमें उस स्थिति का अनुमान लगाना चाहिये जब दोनों सदनों में दो भिन्न दलों के हाथ में सत्ता हो तो गतिरोध हो सकता है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं नहीं जानता कि किस सामान्य विधि अधीन समिति का सभापति चुना जायेगा। क्या वह स्थायी होगा अथवा एक बैठक के लिये? नियम स्पष्ट होने चाहियें। दूसरे बैठक के लिये कोरम कितना होगा? अधिनियम में इस सम्बन्ध में विशेष नियमों का उपबन्ध होना चाहिये।

**श्री सत्य नारायण सिन्हा** : समिति अपना सभापति स्वयं चुनेगी। अपने कोरम का भी वह स्वयं निर्णय करेगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : कोरम का विषय एक भयानक बात होती है। तीन व्यक्ति यह कह सकते हैं कि वे कोरम हैं। इसलिये हमें ५, ७ या कुछ भी संख्या निर्धारित करनी चाहिये। मेरे विचार में पांच का कोरम ठीक रहेगा।

**श्री सत्य नारायण सिन्हा**: मेरा सुझाव है कि इस विषय को दोपहर तक स्थगित कर दिया जाये ताकि हम इस पर विचार कर सकें।

**उपाध्यक्ष महोदय** : खण्ड ७ दोपहर को पुनः समवेत होने तक स्थगित रहेगा।

**श्री ए० एस० सहगल**: (बिलासपुर) : संविधान के अनुच्छेद १०६ के अधीन जब संविधान सभा को दिये जाने वाले भत्ते दोनों सदनों के सदस्यों के लिये लागू किये गये तो यह टिप्पणी दी गई थी कि यात्रा के भत्ते की गणना करने के लिये सदस्य को छोटे से छोटे रास्ते से यात्रा करनी चाहिये। परन्तु अनुमान कीजिये कि यदि किसी सदस्य को रायगढ़, अम्बिकापुर, बिलासपुर या बस्तर से आना हो तो उसे यहां पहुंचने में ४८ घंटे लगेंगे। यदि "यथासंभव छोटे से छोटे रास्ते" का लोप कर दिया जाये तो सदस्य किसी अन्य रास्ते से यात्रा कर के २० घंटों में पहुंच सकता है।

अतः मेरा यह संशोधन है कि पृष्ठ ४ की पंक्तियां ४४, ४५ का लोप किया जाये।

**श्री बर्मन** : मैं पृष्ठ ४ की पंक्ति ४४ में "यथा संभव छोटे से छोटे" का लोप करवाना चाहता हूं। सदस्यों को इस से जो कठिनाइयां होती हैं उन के सम्बन्ध में मेरे मित्र ने बताया है। मैं अपने राज्य पश्चिमी बंगाल के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि यह कठिनाई अत्यधिक है। हम दोनों सदनों की समिति बना रहे हैं। और प्रत्येक मामले के बारे में न्याय और औचित्य पर विचार करने का अधिकार उसे दे रहे हैं। परन्तु उपरोक्त शब्दों को रख कर समिति के कार्यवाही के ढंग का निर्धारण

किया जा रहा है । इस से वे प्रत्येक की सुविधा, असुविधा का विचार नहीं कर सकेंगे । परन्तु इन दो शब्दों को लोप कर दिया जाये तो समिति प्रत्येक राज्य की सुविधा असुविधा का ध्यान रख कर निर्णय कर सकेगी ।

इसलिये मेरा यह सुझाव है कि यह दोनों सदनों के प्रतिनिधि निकाय पर छोड़ देना चाहिये कि वे स्वतन्त्र रूप से इस सम्बन्ध में निर्णय करें ।

**श्री एस० सी० सामन्त** (तामलुक) : मैं श्री बर्मन के संशोधन का समर्थन करता हूं । सदस्यों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में पहले ही संसद सचिवालय को सूचना दी जा चुकी है । इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये उक्त संशोधन को स्वीकार करना चाहिये ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री कृष्ण चन्द्र का संशोधन सं० ११४ सुविधाओं इत्यादि के सम्बन्ध में नियम बनाने के बारे में है । मैं इसे मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा ।

**श्री कृष्णचन्द्र** : मैं चाहता हूं कि यह संशोधन पंक्ति १० की बजाय पंक्ति ८ के पश्चात आये ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

(१) पृष्ठ ५ में पंक्ति ८ के पश्चात "medical, housing, telephone and postal facilities mentioned in section 6 A"

[ "(च) चिकित्सा, गृह-व्यवस्था, टैलीफोन तथा डाक की सुवधायें जो धारा ६-क में उल्लिखित हैं "] निविष्ट किया जाये ।

(२) पंक्ति ९ में

'f' (च) के स्थान पर 'g' (छ) रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ४ पंक्ति ४४ में 'shortest possible' [यथासंभव छोटे से छोटे] का लोप किया जाये ।

**खण्ड ८**–(कतिपय यात्रा भत्ता देने की मान्यता)

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ८ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ८ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

**खंड १--(संक्षिप्त नाम तथा आरम्भ)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्योंकि श्री ए० एन० विद्यालंकार, श्री बी० एन० मिश्र, श्री एस० वी० रामास्वामी और श्री डी०सी० शर्मा अपने अपने संशोधनों पर आग्रह नहीं कर रहे हैं, इसलिये मैं खंड को सदन के मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं । प्रश्न यह है :

"खंड १ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं देखता हूं विधेयक के पूरे नाम के सम्बन्ध में भी संशोधन हैं । इसलिये मैं इसे खंड से ७ के पश्चात सदन के मतदान के लिये रखूंगा । सभा अब पांच बजे तक के लिये स्थगित हो जायेगी ।

**इस के पश्चात सभा पांच बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।**

---

**सभा पांच बजे पुनः समवेत हुई**

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ।]

## संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी विधेयक--जारी

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या कोई सर्वमान्य हल निकल आया है ?

**श्री सत्य नारायण सिन्हा** : आपकी अनुमति हो तो मैं ने जो संशोधन प्रस्तुत किया

[श्री सत्य नारायण सिन्हा]

है उस में कुछ और जोड़ दूं और मुझे आशा है कि उसे सदन स्वीकार करेगा क्योंकि जो बात उठाई गई है वह इस से स्पष्ट हो जाती है ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ ४ में, पंक्ति ४० के पश्चात यह रख दिया जाये—

"(I A) The Joint Committee constituted under sub-section (1) shall elect its chairman and shall have power to regulate its procedure."

[ "(१क) उपधारा (१) के अन्तर्गत बनाई गई संयुक्त कमेटी अपना अध्यक्ष चुनेगी और उसे अपनी प्रक्रिया विनियमन करने का अधिकार होगा" ।]

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

**डा० लंका सुन्दरम** : मैं संविधान के अनुच्छेद ११७ पर अपनी दलील आधारित करता हूं । मेरा संशोधन यह है ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"In the new amendment proposed by Shri Satya Narain Sinha as sub-clause (I A) to clause 7, *after* "Chairman" *insert* "from among Members of the House of the People".

["खंड ७ के उपखंड (१क) के रूप में श्री सत्य नारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तावित नये संशोधन में "अध्यक्ष" शब्द के पश्चात "लोक सभा के सदस्यों में से" शब्दों को रख दिया जाये ।"]

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्योंकि उपरोक्त संशोधन प्रस्तुत किये जा चुके हैं इसलिये यदि और कोई माननीय सदस्य चाहें तो वह भी अपना संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

**डा० लंका सुन्दरम** : यह विधेयक लगभग धन विधेयक जैसा ही है । और यदि यह धन विधेयक है तो इस सम्बन्ध में सदन का अधिकार सब से उच्च है । नये तरीके के अनुसार अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है लेकिन उस का चुनाव सदन के सदस्यों में ही से होना चाहिये ।

**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मुझे आपत्ति है । हम डा० लंका सुन्दरम के इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकते हैं । यह धन विधेयक है या नहीं यह तो आप ही निश्चय कर सकते हैं । देखा जाय तो इस का साधारण धन विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है । एक कमेटी है जो इस विधेयक के सम्बन्ध में नियम बनायेगी—अर्थात यात्रा भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में, आदि । संचित निधि, आदि में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है । नियमों का सम्बन्ध तो दोनों ही सदनों से है । यह सच है कि इस सदन के अनेक सदस्यों का इस से सम्बन्ध है लेकिन यह इसलिये है क्योंकि लोक सभा में सदस्यों की संख्या अधिक है । अन्यथा इस से दोनों का ही सम्बन्ध है, दोनों को एक ही प्रकार से वेतन मिलता है, आदि । इस कमेटी में लोक सभा के दस सदस्य और राज्य परिषद के पांच सदस्य होंगे—स्पष्ट है कि लोक सभा के सदस्यों का बहुमत होगा । इस पर भी यह कहना कि लोक सभा के सदस्यों में ही से अध्यक्ष चुना जाये मेरे विचार में न केवल अनावश्यक है बल्कि अवांछनीय भी । हो सकता है उन में राज्य परिषद का कोई बहुत ही प्रतिष्ठित सदस्य हो और लोक सभा के सदस्य उसी को अध्यक्ष बनाना चाहें । यदि वह अध्यक्ष हो जाता है तो इस से कोई अधिकार नहीं

बढ़ जाता और न ही दस सदस्यों का मतदान देने का अधिकार चला जाता है । कुछ भी हो, इस मामले में मैं डा० लंका सुन्दरम के दृष्टि-कोण को अच्छा नहीं समझता और न चाहता हूं कि इस प्रकार की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया जाये ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री सत्य नारायण सिन्हा का संशोधन मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"पृष्ठ ४ में, पंक्ति ३५ से ४० के स्थान पर यह रख दिया जाये —

["7. *Power to make rule*—For the purpose of making rules under this section, there shall be constituted a Joint Committee of both Houses of Parliament consisting of five members from the Council of States nominated by the Chairman and ten members from the House of the People nominated by the Speaker."]

["७. **नियम बनाने का अधिकार** : इस धारा के अधीन नियम बनाने के प्रयोजन हेतु संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति बनाई जायेगी जिन में सभापति द्वारा राज्य परिषद में से नाम निर्दिष्ट ५ सदस्य और अध्यक्ष द्वारा लोक सभा में से नामनिर्दिष्ट १० सदस्य होंगे ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा डा० लंका सुन्दरम के संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ४ में, पंक्ति ४० के पश्चात यह रख दिया जाये —

"(I A) The Joint Committee Constituted under sub-section (1) shall elect its Chairman and shall have power to regulate its procedure."

["(१क) उपधारा (१) के अन्तर्गत बनाई गई संयुक्त कमेटी अपना अध्यक्ष चुनेगी और उसे अपनी प्रक्रिया विनियमन करने का अधिकार होगा ।" ]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ५, पंक्ति १२ और १० में, "by the Speaker of the House of the People after consultation with the Chairman of the Council of States" [राज्य परिषद के सभापति के साथ परामर्श के पश्चात लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा] के स्थान पर "by the Chairman of the Council of States and the Speaker of the House of the People" [राज्यपरिषद के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा] रखा जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"खंड ७, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ७, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : पूरे नाम तथा अधिनियम सूत्र के सम्बन्ध में जो संशोधन रखे गये थे उन्हें मैंने अनियमित ठहरा दिया है ।

[उपाध्यक्ष महोदय]

प्रश्न यह है :

"पूरा नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पूरा नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये ।

**श्री सत्य नारायण सिन्हा** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

## निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन—

जारी

**उपाध्यक्ष महोदय** : निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के सम्बन्ध में सदन अब आगे विचार करेगा ।

**विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास)** : मैं एक ऐसे राज्य से आ रहा हूं जहां से हम दक्षिण में ठंडी हवा के लिये जाते हैं। लेकिन कल मैं ने देखा कि दक्षिण से तूफान भी उठ सकता है । मैं यह निश्चय नहीं कर पाया कि इस तूफान में मैं खड़ा भी रह सकूंगा या नहीं, क्योंकि तूफान अचानक ही तेजी से आया था । श्रीमान्, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे कुछ समय दिया और मैं इन कुछ घंटों में उन आरोपों के सम्बन्ध में विचार कर सका जो परिसीमन आयोग और साथ ही विधि मंत्री के विरुद्ध लगाये गये हैं ।

एक बात तो स्पष्ट ही है कि परिसीमन आयोग की कार्यवाही के विरुद्ध कड़ा विरोध है । लेकिन मुझे यह देख कर बहुत निराशा हुई है कि गत डेढ़ वर्ष में एक बार भी इन बातों की भनक मेरे कान तक नही पहुंची । परिसीमन आयोग काफी समय से काम कर रहा है । इसे १९५२ में स्थापित किया गया था, लेकिन आज भी मुझे इस के कार्य करने के तरीकों के सम्बन्ध में तनिक भी असन्तोष नहीं है । मद्रास और आन्ध्र के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें की गई थीं . . . .

**श्री मात्तन** (तिरुवल्ला) : त्रावनकोर-कोचीन ने भी ।

**श्री बिस्वास** : अन्य राज्यों पर भी प्रभाव पड़ा है लेकिन शिकायतें दो ही राज्यों द्वारा की गई थीं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : त्रावनकोर-कोचीन से भी अनेक सदस्य थे ।

**श्री बिस्वास** : उन्होंने केवल वार्त्ता में भाग लिया लेकिन पहल उन्हीं लोगों ने ली थी जो दो राज्यों में दिलचस्पी रखते थे जिन का मैं उल्लेख कर चुका हूं । कुछ भी हो, एक तो बात है कि यहां पर जो कुछ आलोचना की गई है उस का एक अच्छा परिणाम तो हुआ ही है । आन्ध्र और मद्रास के सम्बन्ध में मैं यह तो कहूंगा ही कि वहां पर उठाई गई बात की ओर लोगों का ध्यान गया था क्योंकि एक विशेष कार्य के लिये ही १७ मई की तारीख निश्चित की गई थी । यह समझ लिया गया था कि यह बहुत आवश्यक है और इस के सम्बन्ध में कुछ किया जाना चाहिये था । परिसीमन कार्य इतने क्रान्तिकारी ढंग से किया गया था या ऐसे अजीब ढंग से किया गया था—परिसीमन के समस्त सिद्धान्तों की उपेक्षा करते हुए—कि उसे तत्काल ही ठीक करने के लिये यह मामला सदन में लाने

की आवश्यकता हो गई थी। मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि न तो विधि मंत्रालय में और नही विधि मंत्री में यह शक्ति है कि वह तत्काल ही कोई सहायता दे सकते हैं। माननीय सदस्य डा० कृष्णास्वामी और डा० लंका सुन्दरम स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो शिकायतें की गई हैं उन का आधार यह है कि परिसीमन आयोग ने संविधान की ऐसी व्याख्या को ले कर कार्य किया है जिससे वे सहमत नहीं हैं। संविधान के किसी उपबन्ध की ठीक ठीक व्याख्या क्या है इस के सम्बन्ध में राय प्रगट करने का अधिकार न तो हमें है और नही संसद को। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। यदि इसके लिये आप को कुछ कहना है तो और जगह कहिये यहां पर नहीं। यदि आप संविधान में परिवर्तन करने पर ही जोर देना चाहते हैं तो मैं उसे समझ सकता हूं, लेकिन ऐसा १७ मई के पहले नहीं किया जा सकता है। इस विषय पर चर्चा उठाने वालों का तत्काल उद्देश्य यही था।

**श्री रघुरामैया** : मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय मंत्री ने अभी बताया कि जो व्याख्या की गई है वह तब तक मान्य नहीं हो सकती जब तक कि स्वयं संविधान में ही संशोधन न कर दिया जाये। अनुच्छेद ८१(३) में कहा गया है :

"प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा में विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी तारीख से प्रभावी होने के लिये पुनः समायोजन किया जायेगा जैसा कि संसद विधि द्वारा निर्धारित करें।"

अतः संविधान में संशोधन किये बिना ही एक पृथक अधिनियम से संसद समायोजन की व्यवस्था कर सकती है।

**श्री बिस्वास** : वह विधि पारित हो चुकी है। मैं इस बात के प्रति निर्देश कर रहा था कि यह वाद विवाद इस कारण आरम्भ हुआ था कि १७ मई की तारीख कुछ प्रयोजनों के लिये नियत की गई थी। मैं सदन को यह बता रहा था कि मैं तो यही करने को तैयार हूं कि इस सदन की कल की सब कार्यवाही परिसीमन आयोग को भेज दूं और उस के कार्य के विषय में जो शिकायतें की गई हैं उन की ओर उस का ध्यान आकृष्ट कर दूं जिस से कि उस के काम पर जनता में असंतोष उत्पन्न होने का अवसर न आये। जहां तक इस तारीख विशेष का सम्बन्ध है, मैं इस के स्थगन की सिफारिश कर देता परन्तु विधि के अन्तर्गत मुझे आयोग को कोई निदेश देने का अधिकार नहीं है। यदि माननीय सदस्य यह आशा करते हैं कि परिसीमन आयोग विधि के अन्तर्गत कार्य करें तो मुझे भी विधि के अन्तर्गत ही कार्य करने दिया जाये। मुझे आयोग को कोई निदेश देने की शक्ति नहीं है परन्तु मेरा विचार यह अवश्य है कि उसे यह सुझाव दे दूं कि वह जरा बाद में कोई और तारीख नियत कर दे। इस के साथ ही मैं आप को यह बता देता हूं कि जो तारीख नियत की गई है वह कोई बहुत महत्वपूर्ण तारीख नहीं है। यह तारीख तो धारा ८(३) (क) के अधीन नियत की गई है, जिस में लिखा है :

"पहले तो उपधारा (१) के अधीन संख्याओं का निर्धारण करने के विषय में, और फिर उपधारा (२) के अधीन स्थानों के वितरण और निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के विषय में, आयोग . . . ."

खंड (१) में लिखा है :

"अपनी प्रस्थापनाओं को, किसी सहकारी सदस्य की कोई विमति प्रस्थापनायें हो और वह उन्हें प्रकाशित करवाना चाहता हो

[श्री बिस्वास]

तो उन के साथ, भारत के सूचना-पत्र में और सम्बद्ध राज्यों के शासकीय सूचनापत्रों में प्रकाशित करेगा, तथा ऐसे अन्य प्रकार से जैसे वह उचित समझे प्रकाशित करेगा;

(ख) ऐसी तारीख का उल्लेख करेगा जिसको या जिसके पश्चात वह प्रस्थापनाओं पर अग्रेतर विचार करेगा;"

१७ तारीख निश्चित की गई है जिस को या जिस के पश्चात उन सभी आपत्तियों पर जो प्राप्त हो चुकेंगी अग्रेतर विचार किया जायेगा। बस। इन आपत्तियों पर गौर करने के लिये समय होगा। उन सब पर यथोचित विचार किया जायेगा प्रस्थापनाओं को उस दिन अन्तिम रूप नहीं दिया जायेगा—इस अर्थ में कि इस समय अंतिम आदेश निकाले जायेंगे।

तत्पश्चात एक सार्वजनिक बैठक या बैठकें होंगी। यह खंड (ग) के अधीन होगा।

"परिसीमन आयोग उक्त उल्लिखित तारीख से पूर्व प्राप्त सभी आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार करेगा" ..... यहां १७ मई की तारीख है .... "और इस प्रकार विचार करने के लिये ऐसे स्थान या स्थानों पर जैसे कि वह उचित समझे एक या अधिक सार्वजनिक बैठकें करेगा।"

ऐसी सार्वजनिक बैठकों के पश्चात ही आयोग निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमायें निर्धारित करेगा तथा उन्हें अन्तिम आदेश में उल्लिखित करेगा। अभी वह समय काफी दूर है।

कुछ प्रारम्भिक कार्यवाही की जा चुकी है। मेरा विश्वास है कि प्रस्थापनाओं का मसौदा, आयोग की अस्थायी प्रस्थापनाओं को, सहकारी सदस्यों की विमति प्रस्थापनाओं के साथ, अब तक प्रकाशित कर दिया जा चुका है, और फिर एक तारीख नियत कर दी गई है जब तक आपत्तियां तथा सुझाव दिये जाने हैं और उन पर सार्वजनिक बैठक में विचार किया जायेगा। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि प्रस्थापनाओं पर अन्तिम रूप से विचार किया जा चुका है। इस तारीख तक या उस के पश्चात तो इन प्रस्थापनाओं पर अग्रेतर विचार किया जायेगा।

परिसीमन एक विशेष प्रकार से क्यों किया गया, इस बात से यह प्रश्न उठता है कि उस प्रकार से परिसीमन कर के, जिस पर अब आपत्ति की जा रही है, क्या आयोग ने संविधान की भावना के विरुद्ध कार्य किया है या उन निदेशों के विरुद्ध कार्य किया है जो परिसीमन अधिनियम द्वारा संविधान के अन्तर्गत विहित किये गये थे। यह एक अलग प्रश्न है। यह बात मेरी समझ में आती है। जहां तक उस प्रश्न का सम्बन्ध है, यह सुझाव दिया गया था कि उन्होंने जो कुछ किया है वह संविधान की भाषा तथा भावना का उल्लंघन है। यह तो अपनी अपनी राय का प्रश्न है। परिसीमन आयोग को यह विनिश्चय करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये कि संविधान के अधीन उनके लिये वास्तव में क्या करना अपेक्षित है। और उन्हें तदनुसार कार्य करना है। मेरी कुछ राय हो सकती है, मैं यह कह सकता हूं कि संविधान का आशय छोटे मोटे समायोजन से अधिक कुछ नहीं था। उन का दृष्टिकोण कदाचित ऐसा न हो। कई मामलों में शायद छोटा मोटा समायोजन संभव न हो। कुछ तथ्यों के कारण और कुछ परिस्थितियों में आमूल परिवर्तन स्यात् अनिवार्य हो गये हों। अतः हमें सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिये यह मान लेना चाहिये कि आयोग

उसी चीज के अनुसार कार्य कर रहा है जिसे वह संविधान का सच्चा आशय समझता है। हमारी राय दूसरी हो सकती है। उन का क्या दृष्टिकोण होना चाहिये यह विहित करना हमारा काम नहीं है, यह बात किसी के लिये बन्धनकारी नहीं होगी। यह बात भिन्न है कि इस खंड के निर्वचन के विषय में उच्चतम न्यायालय कोई निर्णय कर देता। माननीय सदस्य च हैं . . . (बाधा)। उनका निर्वचन भिन्न हो सकता है। यह बहुत जटिल प्रश्न है और आप अधिनियम में कुछ नहीं रख सकते।

**उपाध्यक्ष महोदय** : समायोजन का अर्थ छोटे मोटे समायोजनों से है, आमूल परिवर्तन से नहीं है। यह भी प्रश्न उठा है कि ये परिवर्तन क्यों किये गये। कारण क्या था ?

**श्री बिस्वास** : मैं तो यही कह सकता हूं। आयोग ने जो कुछ किया है उस के बहुत उचित कारण हैं। दुर्भाग्य से, जब यह विधेयक यहां सदन के समक्ष था तब उस पर विचार करने के लिये एक संयुक्त समिति भी थी; और उस समय एक भी ऐसा सुझाव नहीं दिया गया कि जब परिसीमन आयोग अपने अंतरिम सुझावों को प्रकाशित करे तो उन के साथ स्पष्टीकरण-ज्ञापन भी हो। अब इन प्रस्थापनाओं के साथ ऐसा ज्ञापन नहीं है तो आप आयोग को दोष नहीं दे सकते, वह इस विषय में कुछ नहीं कर सकता। आप को स्थगन के लिये आवेदन-पत्र मिले--कांग्रेस दल से, सरकार से, इस व्यक्ति से, उस व्यक्ति से, या किसी निकाय से। उन्होंने जो ठीक समझा किया, और उन्होंने एक दल की अपेक्षा किसी दल पर अनुग्रह करने का प्रत्यन नही किया। वे इसी भावना से सदा कार्य करते रहे, और मुझे विश्वास है कि उन के पास बहुत उचित कारण

वे इन प्रस्थापनाओं को तैयार करने के पश्चात और सूचना-पत्र म प्रकाशित करने से पूर्व, सहकारी सदस्यों को तथा राज्य सरकारों को सदा अग्रिम प्रतियां भेज देते हैं तथा उन्हें एक तारीख विशेष को आयोग से मिलने का आमंत्रण देते हैं।

इस के बाद चर्चा होती है, और साथ के अन्य सदस्यों की विमति प्रस्थापनाओं सहित इन अस्थायी प्रस्थापनाओं को गज़ट में प्रकाशित किया जाता है। जनमत जानने के लिए वे सभी उचित और संभव कदम उठाते हैं। मैं एक क्षण के लिये भी यह नहीं कहूंगा—मैं ही क्या, कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि आयोग के सदस्य भी इस बात का दावा नहीं कर सकते--कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वह सही है, और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की और कोई प्रणाली नहीं हो सकती थी, किन्तु मैं उन के लिये और उन की ओर से इस बात का दावा करता हूं कि उन्हों ने सदबुद्धि और न्याय के अनुसार बहुत ही श्रेष्ठ और उचित ढंग से कार्य किया है और वे सरकारी या अन्यथा, बाहर की किन्हीं भी बातों से प्रभावित नहीं हुए हैं। स्थिति यह है। (**एक माननीय सदस्य** : मुझे संदेह है) मेरे माननीय मित्र को इस बात पर संदेह हो रहा है। यदि हमारे आत्महित पर कोई प्रभाव पड़ता हो तो हम अन्त तक उस पर संदेह करेंगे, और सभी को संतुष्ट करना तो ईश्वर के बस में भी नहीं। इसीलिये मैं यह कहता हूं कि आयोग पर निर्दयी अनियमितताओं का आरोप लगाना उचित नहीं है। **[अन्तर्बाधायें]** कल कई माननीय मित्रों ने जो बातें इस प्रसंग में बताई थीं, उन की तुलना में यह बहुत ही कोमल विचार है। यहां तक कहा गया कि उन के पास जो सम्मतियां पहुंची थीं उन को उन्होंने दबाया था। एक माननीय सदस्य ने उस एक पत्र का

[श्री बिस्वास]

हवाला दिया जो किसी प्रश्न के उत्तर में मिला था, जिस में उन्होंने यह बताया था कि अविभाजित मद्रास राज्य से कोई भी सरकारी प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ। मेरा निवेदन है कि उनका कहना बिल्कुल ठीक है। जब वे किसी राज्य से सम्मति मांगते हैं तो वे उस में इस बात का स्पष्टीकरण करते हैं कि सरकार की सम्मति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे यह नहीं कहलवाना चाहते कि उन्हें सरकार या किसी अन्य संस्था द्वारा अनुचित रूप से दबाया जा रहा है।

वे किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना अपने ही उत्तरदायित्व पर, स्वयं ही इन प्रस्थापनाओं को बनाते हैं। किन्तु वे निश्चयरूप से राज्य का परामर्श लेते हैं: मैं पहले बता चुका हूं कि जब ये प्रस्थापनायें बनाई जाती हैं तो वे सम्बद्ध सदस्यों और राज्यों को उन की प्रतियां भेज देते हैं। उक्त राज्य अवश्य अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, और यदि वे नहीं भेजते तो यह इसी तरह चलता रहता है। जहां तक मद्रास राज्य का सम्बन्ध है, कोई भी सरकारी प्रस्थापनायें नहीं मांगी गईं, न तो सरकारी प्रस्थापनायें उन से प्राप्त हुईं। यह बिल्कुल सही बात है। मान लीजिये कि मंत्री के समक्ष कोई बात प्रस्तुत करनी हो, तो आप जानते हैं कि इस की प्रशासनीय कार्यवाही क्या होती है। उस मंत्री का कर्मचारीवर्ग रहता है। वह सामग्री एकत्र करता है, और उस के बाद उस को क्रम में रख जाता है, और बाद में उसे मंत्री के समक्ष रख जाता है। इस सामग्री को प्राप्त करने और इस की छानबीन करने के प्रयोजनार्थ वे उस अन्य मंत्रालय के कर्मचारीवर्ग से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परिसीमन आयोग के कर्मचारीवर्ग और कई राज्यों के कर्मचारिवर्गों के बीच भी यही बात हुई होगी। यह तो एक भिन्न बात है। किन्तु किसी विशेष राज्य में वहां के कर्मचारी वर्ग द्वारा तैयार की गई अस्थाई टिप्पणियां, आदि उस सारे राज्य के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकतीं। और यदि आप यह पूछें कि मद्रास राज्य से कोई प्रस्थापनायें मिली हैं, तो यह कहना सही होगा कि कोई भी प्रस्थापनायें प्राप्त नहीं हुईं। स्थिति यह है और यह केवल इसलिये नहीं बदलती कि राज्य के कर्मचारीवर्ग में से कई निम्नतर पदाधिकारियों ने परिसीमन आयोग के कर्मचारीवर्ग को उन की प्रार्थना पर कोई सूचना दी थी।

**डा० लंका सुन्दरम** (विशाखापटनम): कहां से सूचना दी गई?

**श्री बिस्वास**: इस के पश्चात जैसा मैं निर्देश भी कर चुका हूं, वे इन प्रस्थापनाओं को सरकार के पास सरकारी हैसियत से भेजते हैं। तत्पश्चात् वे सरकार के पदाधिकारियों उन के प्रतिनिधियों और सम्बद्ध सदस्यों से भी मिलते हैं। वे इस मामले पर विचार करते हैं, और इस के बाद गजट में इन प्रस्थापनाओं को प्रकाशित किया जाता है। आपत्तियां प्राप्त कर लेने की तिथि निश्चित की जाती है, आदि।

मैं इन मामलों के विस्तार में नहीं जाना चाहता था। आप ने मुझे समय दिया। इसीलिये, इन फाइलों की जांच, आदि के लिये मेरे पास समय था। जिस प्रक्रिया के अनुसार चला जाता है, उस के सम्बन्ध में भी मेरे पास एक टिप्पणी है, किन्तु मैं उसका अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं समझता।

मुझे एक विशिष्ट बात की ओर निर्देश करना है। यह एक गंभीर विषय था क्योंकि श्री गिडवानी ने बताया कि उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई। मैं ने इस विषय पर पूछताछ की। मुझे पता चलता है कि बम्बई तथा अन्य राज्यों के लिये स्थानों की संख्या का

निश्चय करने के सम्बन्ध में एक सार्वजनिक बैठक बुलाने के लिये १६ जून, १९५३ को एक सार्वजनिक सूचना दी गई थी। इस के बाद ३० जून को उन के पास एक और पत्र भेजा गया जिस में लिखा था कि किस जगह पर यह बैठक होगी। सार्वजनिक बैठक के सम्बन्ध में सम्बद्ध सदस्यों के पास २५ जून को व्यक्तिगत सूचना भेजी गई। मुझे मालूम नहा कि उक्त सूचना में कोई गड़बड़ हुई थी। किन्तु यह गलत बात होगी कि कोई भी सूचना नहीं भेजी गई। कार्यालय में इस बात का रिकार्ड रखा गया है कि सूचनायें भेजी गई थीं।

इतने समय में मैं यह सब बातें इकट्ठी कर सका हूं। मेरा विचार है कि इन मामलों के और विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने अपनी ओर से काफी अच्छा काम किया। मैं इसीलिये इस बात का हवाला दे रहा हूं क्योंकि वे यहां मौजूद नहीं हैं। जैसा मैं बता चुका हूं, मैं इन दो राज्यों के सम्बन्ध में १७ ई के स्थान पर और कोई तिथि रखे जाने की सदन की इच्छा उन के सामने प्रकट करूंगा।

**डा० लंका सुन्दरम** : मैं माननीय मंत्री से यह प्रार्थना करूंगा कि आज और कल की कार्यवाही का सारांश तार द्वारा आयोग के पास भेजा जाये।

**श्री बिस्वास** : मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूं वह यह है कि मैं उन के पास एक तार भेजूंगा कि १७ तरीख को स्थगित किया जाय। वे १७ को आ रहे हैं, अतः मैं वाद विवाद की प्रतियां उसी दिन उन को सौंपूंगा।

**डा० कृष्णस्वामी** (कांचीपुरम) : मैं माननीय मंत्री के विचारार्थ केवल दो सुझाव रखना चाहता हूं। यदि परिसीमन आयोग द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों के साथ कोई कारण हों तो वह अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय अस्थायी प्रस्ताव अन्तिम प्रस्तावों के समान दिखाई देते हैं। बिना कारण जाने हम आपत्ति नहीं कर सकेंगे।

**श्री बिस्वास** : मैं बता चुका हूं कि मैं किसी प्रकार का निर्देश नहीं करूंगा। मैं उन से बात चीत करूंगा और इस मध्याह्नोत्तर की बहस की कार्यवाही की प्रति भी परिसीमन आयोग को, उन की जानकारी के लिये, दी जायेगी।

**डा० कृष्णस्वामी** : मेरा यह सुझाव नहीं है . . . . . . .

**उपाध्यक्ष महोदय** : कदाचित माननीय सदस्य का यह सुझाव है कि यदि १७ तारीख बदली जाती है और काफी समय मिलता है, तो वे एक परिशिष्ट प्रकाशित करें जिस में यह दिया गया हो कि किन कारणों से उन्होंने इस प्रकार के प्रस्ताव रखे थे।

**डा० कृष्णस्वामी** : हां, श्रीमान, मेरा यही सुझाव है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री का कहना है कि इस बात का जिक्र भी होगा।

**श्री बिस्वास** : मैं उन्हें यही सुझाऊंगा कि वे इस तारीख को बदल कर और कोई तारीख रखें। तब तक उन के पास यह कार्यवाही होगी और वे जान सकेंगे कि क्या करना चाहिये। मैं किसी भी तारीख के सम्बन्ध में निश्चय नहीं कर सकता; यह तो परिसीमन आयोग का मामला है। उन्हें ही निश्चय करना होगा।

**डा० कृष्णस्वामी** : मेरा तो केवल यह सुझाव है कि तिथि बदलने के प्रस्ताव के साथ विशद कारण दिये जाने चाहियें।

**श्री बिस्वास** : अधिनियम में इस बात पर विचार नहीं किया गया है कि कारण भी साथ में दिये जायें। यदि वे विधि के ढांचे से बाहर जा कर स्वेच्छा से कारण बताना चाहते हैं, तो वह एक भिन्न बात है। ऐसे मामले में

[श्री बिस्वास]

वे ही कार्यवाही करेंगे, मैं कोई भी निदेश नहीं दे सकता ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : और कोई सुझाव ?

**श्री के० के० बसु** (डायमण्ड हार्बर) : एक मात्र सुझाव यह है कि कारण बताये जायें ।

**डा० कृष्णस्वामी** : यदि और भी कई प्रस्थापनायें रखी जायें तो उन को भी गज़ट में प्रकाशित किया जाये ताकि हम उन की जांच करें ।

**श्री गणपति राम** : (जिला जौनपुर-पूर्व—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : संविधान के अनुच्छेद ३४१ के उपखंड (२) में यह कहा गया है :

"संसद विधि द्वारा किसी जाति, मूलवंश या आदिमजाति को अथवा किसी जाति, मूलवंश या आदिम जाति के भाग या इस में के यूथ को खंड(१)के अधीन निकाली गई अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूचित जातियों की सूची के अंतर्गत या से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु उपर्युक्त रीति को छोड़ कर अन्यथा उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना को किसी अनुवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जायेगा ।"

इस में मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत सी जातियां शैडयूल्ड कास्ट्स की लिस्टस से निकाल दी गई हैं, लेकिना पार्लियामेंट के सामने स्वीकृति के लिये उन को कभी नहीं लाया गया और पार्लियामेंट ने कभी उस को स्वीकृति दे कर पास नहीं किया ।

दूसरी बात यह है कि १९ जातियां जो कि १९४१ की लिस्ट में राजस्थान में थीं वह १९५१ की लिस्ट में नहीं आई हैं । इस के विषय में ठक्कर बापा जी ने २२-११-५० को ही मिनिस्टर को एक पत्र लिखा था कि यह जातियां सेन्सस की रिपोर्ट में नहीं आई हैं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार में परिसीमन आयोग के सम्बन्ध में होने वाली चर्चा में यह (यह)बातें नहीं उठतीं ।

**श्री गणपति राम** : बैकवर्ड क्लासैज कमीशन जो इस वक्त टूर कर रहा है और जिस से यह मांग की गई है कि शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्स में जो जातियां इन्क्लूड नहीं की गई हैं वे इन्क्लूड की जायें । जब तक बैकवर्ड क्लासेज कमीशन रिपोर्ट नहीं देता तब तक सैन्सेस के अनुसार यह निश्चित करना कि शैयूल्ड कास्ट की आबादी कम है इस लिये उनकी सीटें घटा दी जायें, ठीक नहीं है । यू० पी० के अन्दर यह बात हुई है और वहां एक सीट पार्लियामेंट में व ५ ऐसेम्बली में शैडयूल्ड कास्ट्स की सीटें कम की जा रही हैं, जब कि यू० पी० में यह नियम है कि किसी भी रेकार्ड में कास्ट्स नहीं लिखी जाती और वहां पर इस तरह से कुछ जातियों की संख्या घटा दी गई है । बैकवर्ड क्लासेज कमीशन के जिम्मे यह काम सुपुर्द किया गया है । जब तक वह डिलिमिटेशन कमीशन के सामने अपनी रिपोर्ट न रक्खे तब तक डिलिमिटेशन कमीशन को शैडयूल्ड कास्ट्स की संख्या घटानी नहीं चाहिये । लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन अगर उस के पहले अपना कोई फैसला दे देता है और सीट्स घटा देता है तो मैं कह सकता हूं कि यह शैडयूल्ड कास्ट्स के लोगों के हितों की अवहेलना होगी ।

**श्री बिस्वास** : मैं कहना चाहता हूं कि अभी उत्तर प्रदेश का परिसीमन नहीं हुआ है । कोई कार्यवाही नहीं की गई है । मेरे माननीय मित्र प्रतीक्षा कर सकते हैं । जब मामला हाथ में लिया जाये तो परिसीमन आयोग से आप अभिवेदन कर सकते हैं ।

**श्री वेलायुधन** : मैं माननीय विधि मंत्री से मालाबार जिले के सम्बन्ध में कुछ पूछना चाहता हूं। परिसीमन आयोग के नये प्रस्ताव के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित स्थान दूसरे क्षेत्र में मिला दिया गया है। मैं ज्ञात करना चाहता हूं कि माननीय विधि मंत्री का इस सम्बन्ध में क्या विचार है?

**श्री बिस्वास** : जो कुछ मुझे कहना था कह चुका। मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।

**इस के पश्चात लोक सभा, शनिवार, १५ मई १९५४ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हुई।**

GIPD--HS—186 PSD—24-11-54—285